खण्ड-154, अंक-2
गुरूवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1877
(18 अगस्त, 1955 ई0)

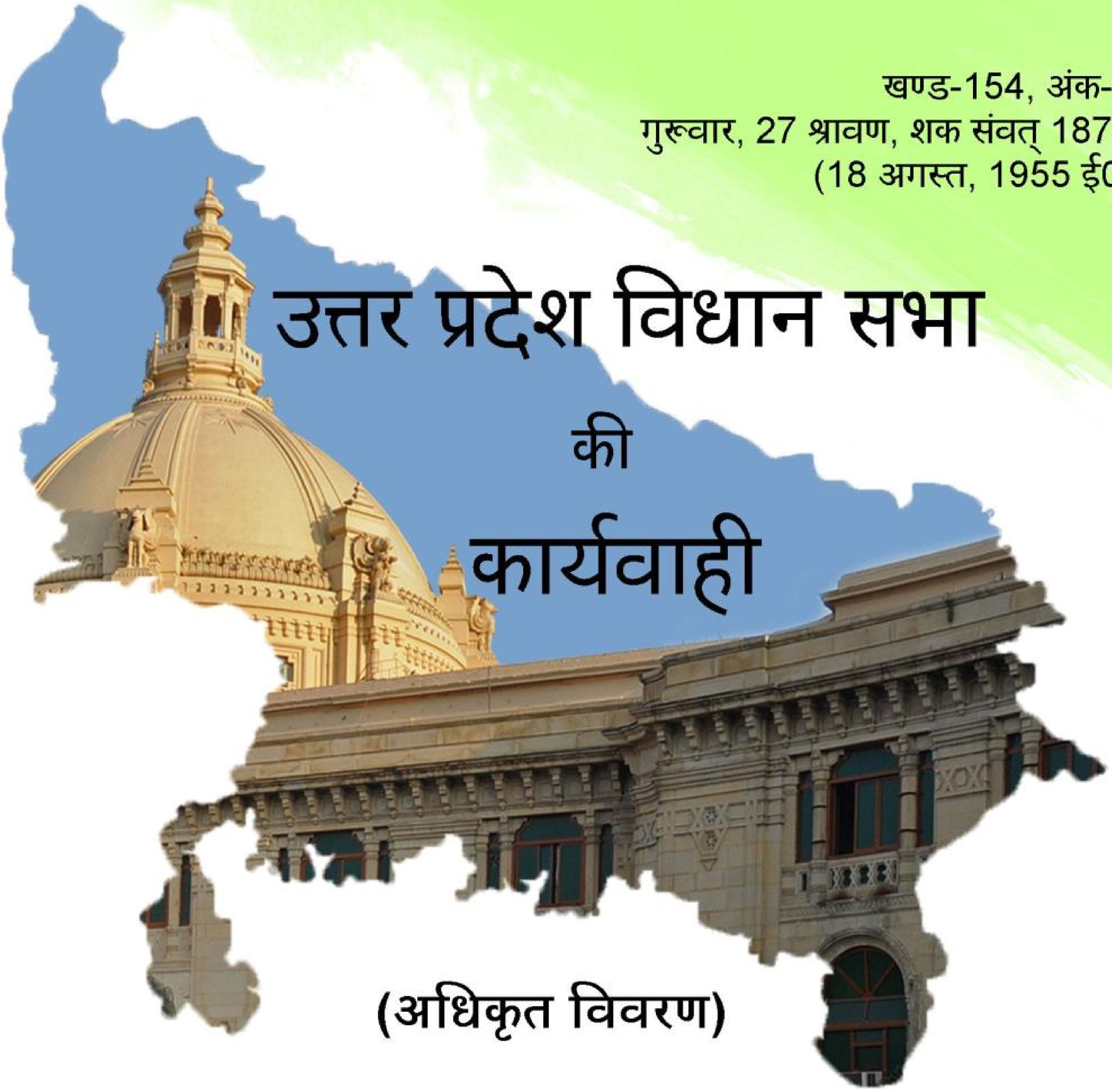

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 154 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल नगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्र पालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री

अवर्य पदेश विधान सभा

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फारूकी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री

विधान सभा प्रदेश

रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहर्तासिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १८ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

रायबरेली जिले के राजामऊ गांव में मई दिवस के अवसर पर झगड़ा तथा गिरफ्तारियां

*१--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को सूचना है कि रायबरेली जिला के राजामऊ गांव में गत १ मई को जिला कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जब मई दिवस मनाया जा रहा था तो उसे स्थानीय पुलिस ने कुछ और लोगों की सहायता से भंग कर दिया? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं ।

*२--**श्री झारखंडे राय**--क्या यह सच है कि उस स्थान पर उस सभा में गिरफ्तारियां भी की गयीं ? अगर हां, तो कितने लोगों की और किस दफा में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । १३ व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७/१५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । जिनमें ७ कांग्रेस जन और ६ कम्युनिस्ट थे ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह गिरफ्तारियां क्यों की गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस जगह कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के एक बहुत ही लोकप्रिय और वृद्ध नेता के विरुद्ध एक नोटिस निकाली जिससे कि वहां के लोगों में बहुत क्षोभ था । इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि उसी गांव में मे डे मनाया जाय । पुलिस वहां मौजूद थी । पब्लिक में बहुत नाराजगी थी । दोनों तरफ से नारेबाजी हुयी । उसके बाद झगड़ा फसाद हुआ इसलिये गिरफ्तारियां हुयीं ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने कांग्रेस जनों को सजा हुयी और कितने कम्युनिस्टों को सजा दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सजा की नौबत यों नहीं आयी कि दोनों पार्टियों की ओर से दरख्वास्त आ गयी कि हमने आपस में मेल कर लिया है । लिहाजा मुकदमा उठा लिया जाय । और शांति की दृष्टि से अधिकारियों ने मुकदमा उठा लिया ।

श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, नौगढ़ में कैदियों द्वारा किये गये कार्य का विवरण

*३--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नौगढ़, श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, में कुल कितने कैदियों ने कितने दिनों तक काम किया और उनकी निगरानी आदि का खर्च मिला कर उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---नौगढ़ शिविर में औसतन कुल १,७९६ कैदियों ने लगभग १४ मास तक काम किया और उनकी निगरानी आदि पर कुल ८,०८,८८१ रुपया व्यय हुआ।

*---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार का श्री सम्पूर्णानन्द शिविर को कहीं और स्थापित करने का इरादा है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री मुजफ्फर हसन---श्री सम्पूर्णानन्द शिविर नौगढ़ से हटा कर पीलीभीत जिले में शाहगढ़ के निकट एक स्थान पर पहले ही स्थापित कर दिया गया है। वहां पर कैदी एक नहर खोदने के काम पर लगाये गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार इन कैदियों के बारे में जो नौगढ़ में और जेल से मुक्त हो गये हैं उनकी देख-रेख रखती है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जरा इसको आप साफ कर दें कि देख-रेख का क्या मतलब है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय, जो कैदी जेल से छूट करके इन शिविरों में रखे गये थे वह इस वक्त कहां हैं, क्या कर रहे हैं, पुनः उन्होंने अपराध किया है या नहीं, सरकार इसकी कोई निगरानी करती है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---शिविर के लिये ऐसा कोई अलग इंतजाम तो नहीं है। लेकिन प्रोबेशन सर्विस है हमारे कुछ जिलों में, जो उस सर्विस के अन्दर हैं उनकी देख-रेख होती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---नौगढ़ शिविर में जो कैदी इस तरह १४ मास तक काम करते रहे, छूटते समय उनको कितना रुपया दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---उन्होंने कोई ६ लाख ६३ हजार ८ सौ १८ रुपया मजदूरी कमायी जिसमें से जो रकम उनके खाने कपड़े पर सर्फ हुयी वह काट करके बाकी उनको दे दी गयी।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---यह जो निगरानी हुयी उसमें एक कैदी पर एक दिन में क्या औसत पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन---अब इस पर तो बड़ा हिसाब लगाने की बात हो गयी। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि कोई २५ हजार कैदी १४ महीने वहां काम करते रहे। आप हिसाब लगा लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतला सकती है कि इस परीक्षण का कैदियों के भविष्य पर क्या असर पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन---बहुत अच्छा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रत्येक कैदी को प्रति दिन कितनी मजदूरी दी जाती थी और उन के खाने में प्रति दिन कितना खर्च होता था ?

श्री मुजफ्फर हसन---औसत आमदनी नौगढ़ कैम्प में १३ आना ११ पाई रही।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कैदियों ने इस समय में क्या-क्या काम किया और कुल उसकी कीमत कितनी हुई ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो दैनिक मजदूरी कैदियों को दी जाती थी वह इसी प्रकार का काम करने वाले अन्य आदमियों से कम दी जाती थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन कैदियों को शिविर में काम करने के उपलक्ष में कोई रेमिशन मिला था ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां । शिविर में काम करने पर एक दिन के काम पर एक दिन का रेमिशन दिया जाता था ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---शाहगढ़ में जो नहर है उसमें कितने दिन काम हुआ और कितने दिन और काम होगा और कितने रुपये का काम हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका ब्योरा तो नहीं है इसलिये कि इस सवाल से वह संबंधित नहीं है ।

बिक्री-कर के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता

*५---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार बिक्री-कर के नियमों में कोई ऐसा संशोधन करने का इरादा रखती है कि जिस से बिक्री-कर को खरीदारों से लेने के नियम में परिवर्तन हो ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्स की रकम खरीदारों से लेते हैं और जो बिल देते हैं उसमें वह दर्ज करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---उत्तर प्रदेशीय बिक्री कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३ के मुताबिक बिक्री कर देने की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी व्यापारी पर है और उस दशा में जबकि व्यापारी स्वयं को उक्त ऐक्ट की धारा ८ के अधीन रजिस्टर्ड करा लेता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सेल्स टैक्स ले या अपने पास से दे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी सेल्स टैक्स को कैशमेमो में दर्ज नहीं करते और इस तरह वह सरकार को धोखा देते हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह की कोई सूचना यहां नहीं है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार इस मसले पर विचार करेगी कि व्यापारी ग्राहक से सीधा टैक्स न ले, कैश मेमो में दर्ज न करे और जो बिक्री हो उस पर जैसे सरकार टैक्स वसूल करती है, करती रहे ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों के बहुविवाह पर प्रतिबन्ध

*६---**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिये विवाह सम्बन्ध करने पर कोई पाबन्दी लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? और उसे लगाने का कारण क्या है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ६ श्री राम सुभग वर्मा ने पूछा ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । गवर्नमेंट सर्वेन्टस कान्डक्ट रूल्स के नये नियम २७ के अनुसार, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित हो सरकार की पूर्व आज्ञा बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता, चाहे उसके निजी कानून के अन्तर्गत दूसरा विवाह करना जायज क्यों न हो ।

इस प्रतिबन्ध का स्पष्ट उद्देश्य बहुविवाह को रोकना है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४४ पर ।)

मुर्तजानगर, जिला उन्नाव में गुन्डों के आतंक तथा पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र के विषय में रिप्रश्न

*९---श्री झारखंडे राय---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी सेवा में जिला किसान सभा, उन्नाव की ओर से मुर्तजानगर में कुछ गुण्डों के आतंक तथा पुलिस के रवैये के खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र गत २० दिसम्बर, १९५४ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय उपमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सिलसिले में कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला था और इस तरह की शिकायत उसने उनसे की थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस सिलसिले में कोई शिष्ट मंडल नहीं मिला ।

देवरिया में एक ही जुडीशियल अफसर द्वारा सेशन के मुकदमों की सुनवाई के विरुद्ध शिकायत

*८---श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि देवरिया के सभी जुडीशियल अफसरों को सेशन केसों की सुनवाई नहीं करने दी जा रही है और केवल एक जुडीशियल अफसर को तीन तहसीलों के सेशन केसों की सुनवाई करने का प्रबन्ध किया गया है जिनको शासन के भी अनेक कार्य सौंपे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बलिया जिले के उमाव थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*९---श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गत २६ दिसम्बर, सन् १९५४ को तिरनई ग्राम (जिला बलिया) से उमाव थाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती आवेदन-पत्र उनको दिया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---२६ दिसम्बर सन् १९५४ का एक ऐसा प्रार्थना-पत्र आया था ।

*१०---श्री मान्धातासिंह (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस पर आवश्यक जांच की गयी तो पता चला कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आवेदक के पति की ओर से मुकदमा चलाया जा चुका है । मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कोई अन्य कार्यवाही सम्भव न थी ।

जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा–समितियां तथा उनको बन्दूक के लाइसेंस

*११—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितनी ग्राम रक्षा-समितियां बनायी जा चुकी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२९४६ ।

*१२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम रक्षा-समितियों को अपनी रक्षा करने के लिये बंदूकें दी जाने वाली हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं। हां, इन समितियों के कुछ उत्साही सदस्यों को बन्दूक के लाइसेंस अवश्य दिये जाते हैं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिनको लाइसेंस दिये जाते हैं उनकी योग्यता क्या रखी जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ग्राम रक्षा-समितियों में जो लोग उत्साह से कार्य करते हैं और कभी डकैतों या चोरों का मुकाबला करने में सफल होते हैं और पुलिस की सहायता करते हैं उनको यह लाइसेंस दिये जाते हैं यदि उनके खिलाफ और कोई किसी किस्म की शिकायत न हो तो ।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम रक्षा-समितियों के सदस्यों को जो लाइसेंस दिये जाते हैं उसमें ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष की भी राय ली जाती है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उनको लाइसेंस देते समय ग्राम रक्षा-समिति के अध्यक्ष या गांव के मुखिया या प्रधान वगैरह की ही साधारण तौर से सिफारिशों पर लाइसेंस दिये जाते हैं ।

प्रादेशिक सचिवालय में सरकारी अफसरों की अवधि

*१३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी ने सरकार को यह सिफारिश की थी कि प्रादेशिक सचिवालय में कोई अफसर पांच वर्ष से अधिक न रखा जाय और सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां और यथासम्भव इसी के अनुसार काम हो रहा है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल कितने ऐसे अफसर हैं जो इस सिफारिश के अनुसार अभी तक दूसरी जगह सेक्रेटेरियट से नहीं भेजे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ठीक संख्या तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे बहुत ही कम अफसर रह गये हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो अफसर ५ वर्ष से अधिक सेक्रेटेरियट में हैं उनको सेक्रेटेरियट में रखने की क्या वजह है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिए कि वे कुछ ऐसी जगहों पर हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि इस वक्त उनको वहां से हटाना मुनासिब नहीं है ।

देवरिया जिले में चोरियां तथा बलवे

*१४—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५४ में कितनी चोरियां और बलवे हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—५९९ चोरियां तथा ७३ बलवे ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत आयी है देवरिया जिले से कि चोरियों की संख्या कम है और बहुत सी चोरियां ऐसी हुई हैं जिनकी रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज हुयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आयी और सदस्य महोदय ने जो अनुपूरक प्रश्न किया है उससे तो चोरियों की तादाद और बढ़नी चाहिये न कि घटनी चाहिये ।

सचिवालय में हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के विषय में परिप्रश्न

*१५—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या आजकल सेक्रेटेरियट में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई है जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपना कारबार सिर्फ अंग्रेजी में करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसे कर्मचारी नहीं होंगे । लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि ऐसे लोगों की भर्ती हुयी है । और है में और भर्ती हुयी है में थोड़ा फर्क है ।

विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों को हिन्दी में सूचना भेजने का आदेश

*१६—श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज से जो सूचना भेजी जाती है वह अंग्रेजी में होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान के कर्मचारियों को आज्ञा देगी कि आइन्दा हिन्दी में सूचना दिया करें ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास टेलीफोन एक्सचेंज से विधायकों के पास अंग्रेजी में सूचना भेजी जाती थी इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं थी । इस बात की सूचना मिलने पर एक्सचेन्ज के कर्मचारियों को आदेश दे दिया गया है कि आइन्दा सूचना हिन्दी में भेजी जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल—दारुलशफा के टेलीफोन आपरेटर जो पर्ची भेजते हैं क्या वह अंग्रेजी में साइक्लोस्टाइल की गयी है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं । जब से प्रश्न आया है और जब से यह सरकार की नोटिस में सूचना आयी है यह छपने के लिये हिन्दी में दे दी गयी है ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या वहां जो रजिस्टर कायम है वह अंग्रेजी में लिखा जाता है, आज भी अंग्रेजी में वहां वह रजिस्टर लिखा जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—अब इसको तो देखना पड़ेगा, नोटिस की आवश्यकता है ।

सचिवालय के अस्थायी स्टेनोग्राफरों को हिन्दी शार्टहैन्ड का ज्ञान

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय के सभी टेम्पोरेरी स्टेनोग्राफर हिन्दी शार्टहैण्ड जानते हैं ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे ये हिन्दी शार्टहैण्ड सीख जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। अस्थायी नियुक्ति के समय सरकार हिन्दी तथा अंग्रेजी शार्टहैण्ड जानने वाले स्टेनोग्राफर को प्राथमिकता देती है और जो स्टेनोग्राफर स्थायी नियुक्ति के लिये चुने जाते हैं उन्हें उस समय तक मुस्तकिल नहीं किया जाता जब तक कि वे हिन्दी शार्टहैण्ड की परीक्षा पास न कर लें। हिन्दी शार्टहैण्ड न जानने वाले स्टेनोग्राफरों को काल वेतन-क्रम में कार्यक्षमता अर्गल (efficiency bar) पार करने नहीं दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी शार्टहैन्ड जानने वालों की परीक्षा किसके द्वारा करायी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- मैं ठीक नहीं कह सकता कौन अधिकारी है। कोई अधिकारी होगा जरूर। मैं दरियाफ्त करूं तो बता सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी नियुक्ति के पश्चात् कितने दिनों के बाद स्थायी होते हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सब नियम पूछ रहे हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो आपने प्रश्न किया था उसी से सम्बन्ध रखते हुए आप प्रश्न पूछें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि हिन्दी जानने वाले स्टेनोग्राफर जो अस्थायी पद पर नियुक्त किये जाते हैं उन्हें स्थायी नियुक्त न करके बाहर के और स्टेनोग्राफर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो लोग कि हमारे यहां दफ्तर में पहले से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि स्थायी होने में जरूर उनको प्राथमिकता मिलती होगी।

हेविट इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों को आर्थिक सहायता तथा उनमें छात्रों की भर्ती

*१८- श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में लखनऊ के हेविट इंजीनियरिंग स्कूल और सिविल इंजीनियरिंग स्कूल को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी और अगले वित्तीय वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता देने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५३-५४ में लखनऊ के हेविट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। सन् १९५४-५५ में हर एक को २५,००० रु० की सहायता दी गयी। सन् १९५५-५६ में सहायता देने के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी हो रही थी। उनका जवाब हाल ही में आया है, उस पर विचार किया जा रहा है।

*१९- श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त दोनों स्कूलों को अपने संचालन में लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। इसकी जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें आयी हैं कि जो सरकार ने इन स्कूलों को आर्थिक सहायता दी थी उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आयी हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से जो आर्थिक सहायता मांगी गयी है वह किन विशेष कारणों से मांगी गयी है ?

श्री धर्मसिंह---क्योंकि भारत सरकार टेक्निकल एजूकेशन का प्रबन्ध करती है, इस आधार पर मांगी गयी है और वहां रुपये की आवश्यकता थी, इस वास्ते मांगी गयी है।

श्री मोहनलाल गौतम---क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि इन स्कूलों में जो लड़के भर्ती किये जाते हैं वह कम नम्बर वाले भर्ती किये जाते हैं और ज्यादा नम्बर वाले नहीं किये जाते हैं बावजूद सरकार की हिदायतों के ?

श्री धर्मसिंह---जी, इस तरह की कोई भी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों स्कूलों में सरकार का क्या हाथ है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि बतलाया गया, उसने ग्रांट-इन-एड दी है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से सहायता आने को है सन् ५५--५६ के लिये उसमें कुछ शेयर करने को है और जो कुछ कार्यवाही थोड़ी बहुत होती है उसमें सरकार हिस्सा लेती है।

श्री मोहनलाल गौतम---क्या सरकार पिछले दो सालों में जो स्टूडेन्ट्स भर्ती हुए हैं और जो नहीं हुए हैं उन सब के नम्बर मंगवा कर देखने की कोशिश करेगी कि जिनको ज्यादा मिले वह नहीं लिये गये और कम वाले भर्ती हो गये ?

श्री धर्मसिंह---वह तो अवश्य मंगाकर देखा जायगा कि ऐसी क्या बात थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थियों के इन दोनों स्कूलों में भर्ती होने में सरकार का भी कोई हाथ रहता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी नहीं, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं रहता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन दोनों स्कूलों में सेकेंड डिवीजनर्स रह गये हैं और थर्ड डिवीजनर्स लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा चुका है और उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों का स्टैण्डर्ड रुड़की इंजीनियरिंग कालिज के ओवरसियर के स्टैण्डर्ड के बराबर है या कम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह इससे मालूम होता है कि रुड़की में ही उनका इम्तहान होता है। एक ही पेपर्स होते हैं, वही एक्जामिनर्स होते हैं। कुछ लड़के यहां के पास होते हैं, कुछ वहां के होते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार ने जो विभागीय कमेटी इन स्कूलों के सुचारु संचालन के सम्बन्ध में बनायी थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस वक्त तो सरकार ने इस किस्म की कोई कमेटी नहीं बनायी। कई वर्ष हुए जब बनाई थी और उसकी रिपोर्ट भी मुद्दत हुए आ चुकी थी।

श्री भगवान सहाय---क्या सरकार की नजर में यह बात आयी है कि इन स्कूलों में से एक स्कूल में पांच पांच सौ रुपये लिये गये और उसके बाद एडमीशन किया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह बात मेरे कान में अभी पड़ी है। आज तक मुझसे इस किस्म की शिकायत किसी ने की नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम---क्या गवर्नमेंट इस बात को देखेगी कि गवर्नमेंट की हिदायतें जो स्कूल डिफाई कर रहे हैं कि नम्बरवार स्टूडेन्ट्स को लिया जाय, जिनके ज्यादा नम्बर हैं उनको लिया जाय और कम वाले न लिये जायं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो बातें मैंने सुनीं, मैं जनाब के जरिये से सबको इत्तला देता हूं कि इस क़िस्म की जितनी शिकायतें हों वह मुझको अगर बतलायी जायं तो मैं उनमें से एक-एक को देख कर तहकीकात करूंगा और इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि वह कहां तक सही हैं और कहां तक गलत हैं । इसके अलावा गवर्नमेंट का उन स्कूलों पर कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि अब इस साल से उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया की कुछ एड मिल गयी है और एक हमारे स्कूल में उनके इम्तहान होते हैं । तो हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम्हारा इम्तहान नहीं होगा और गवर्नमेंट आफ इंडिया से कह सकते हैं कि उनकी एड बन्द कर दे । वह इस बात पर जांचा जायगा कि जो बात उनके खिलाफ साबित होगी वह किस दर्जे की है । जिस दर्जे की समझी जायगी उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोहनलाल गौतम---जो पहले मैंने सवाल किया था कि क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह देखेगी कि पिछले दो साल में जो भर्ती हुये हैं उन सबके नम्बर मंगायें जायं, क्योंकि जिनको कम मिले हैं वे ले लिये गये हैं और जिनको ज्यादा मिले हैं वे रह गये हैं तो ....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप स्टेटमेंट सा दे रहे हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम---जी स्टेटमेंट नहीं । तो क्या गवर्नमेंट इस बात को करेगी कि पिछले दो साल में जो भर्ती हुये हैं उन सब स्टूडेन्ट्स के नम्बर मंगा लिये जायं और यह देखे कि उसकी हिदायतें अमल में आयीं या नहीं और अगर नहीं आयीं तो डिसएफिलियेट कर दे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । बात यह है कि जो जवाब अभी दिया गया है वह कवर कर लेता है आपके प्रश्न को । उत्तर यह था कि यदि आप राइटिंग में देंगे तो इन्क्वायरी होगी । उसके बाद यह उठता नहीं है । आप प्रश्न सीधा करें ।

श्री मोहनलाल गौतम---जब सवाल यहां हो रहे हैं यही सबूत है कि इस तरह की शिकायतें आयीं । अब लिखकर देने को अगर आप जरूरी समझें तो दे दिया जाय, लेकिन हम खुद सवाल कर रहे हैं जिम्मेदार सदन में तो इसलिये यह ....

श्री अध्यक्ष---आप तो विवाद शुरू कर देते हैं ।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसलिये गवर्नमेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाय कि वह एड देते वक्त....

श्री अध्यक्ष---मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, मैं जिम्मेदारी डालने वाला कौन हूं ?

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को भी कुछ विद्यार्थियों को नामिनेट करने का अधिकार है इन स्कूलों में ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं, कोई अधिकार कतअन नहीं है । न सरकार ने किसी को नामिनेट किया है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेलेक्शन करते समय इन स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थियों की बनिस्बत रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के निकले हुए विद्यार्थियों को तरजीह दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मेरे सामने तो ऐसा कोई केस आया नहीं है कि जिसमें उसको छोड़ कर दूसरे को इसलिये ले लिया गया हो कि वह लड़की का है। बाकी यह कि चुनाव कमेटी के सामने जब ये पेश होते हैं तो वे खुद देखकर तय करते हैं कि किसको लें और किसको न लें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन स्कूलों को पूर्णरूप से वह अपने हाथ में ले, इसमें क्या कठिनाई है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ये स्कूल तो प्राइवेट हैं, इनके हाथ में लेने के कोई माने नहीं हैं। अगर सरकार को इस पर खर्च करना हो तो अपने पास से वैसे ही स्कूल और जगह कायम कर सकती है।

मथाई टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशें

*२०---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथाई टैक्सेशन इन्क्वायरी (Mathai Taxation Enquiry Commission) की रिपोर्ट के अनुसार वे इस प्रदेश में कर सम्बन्धी क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं?

श्री धर्मसिंह---टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

रायबरेली शहर में चोरियां तथा पुलिस की कार्यवाही

*२१---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून सन् १९५४ से १५ मार्च, १९५५ तक रायबरेली शहर में कितनी चोरियां हुयीं?

श्री जगनप्रसाद रावत---५१।

*२२---श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समय में होने वाली चोरियों में (प्रत्येक में) कितने-कितने का सामान व नकद चोरी गया?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सूचना बहुत लम्बी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ९ महीने के अन्दर जो ५१ चोरियां वहां हुयीं उनमें कितनी चोरियां ऐसी हैं जिनमें पुलिस ने चालान किया और सजा दिला सकी?

श्री जगनप्रसाद रावत---इनमें से १२ का चालान किया गया और ६ को सजा हुयी।

श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय तक जो १२ मामलों में चालान हुआ उसके अलावा जो चोरियां बाकी रह गयी हैं इनके लिये पुलिस ने क्या प्रयत्न किया?

श्री जगनप्रसाद रावत---जो सम्भव हो सकता था उनका पता लगाने की कोशिश की गयी और जिनका पता नहीं लग सका उनका चालान नहीं हो सका।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि इतने अल्पकाल में इतनी चोरियां क्यों हुयीं?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसलिये कि रायबरेली जिले में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो चोरी करने के अभ्यस्त हैं।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो चोर पकड़े गये उनके यहां से कुछ माल बरामद हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, बहुत से मामलों में माल भी बरामद हुआ है ।

आजमगढ़ जेल में कैदियों को पढ़ाने की व्यवस्था

*२३--**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल आजमगढ़ में कैदियों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिला जेल में कैदियों की शिक्षा के लिये एक अध्यापक नियुक्त है । इनके अतिरिक्त एक शिक्षित कैदी भी बंदियों को पढ़ाने-लिखाने में अध्यापक की सहायता करता है । कैदियों को लिखने के लिये तख्ती, स्लेट व लेखन-सामग्री और पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जाती हैं ।

बहराइच जिले के थाना फखरपुर के भवन का निर्माण

*२४--**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना फखरपुर, जिला बहराइच के निर्माण के लिये कुछ रुपया स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, इस थाने की नयी इमारत बनाने के लिये गत आर्थिक वर्ष में सरकार ने बजट में ७,५०० रु० की स्वीकृति दी थी और इस वर्ष के बजट में पुनः ३७,५०० रु० की रकम रक्खी गयी है ।

*२५--**श्री सियाराम चौधरी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त थाना के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस थाने की नयी इमारत के प्लान और एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं । जब यह प्लान और एस्टीमेट सरकार द्वारा मंजूर हो जावेंगे, नयी इमारत का निर्माण-कार्य आरम्भ होगा ।

श्री सियाराम चौधरी--क्या यह सही है कि गत वर्ष इस थाने की इमारत के लिये ९०,००० रुपया मंजूर किया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां, यह सही है लेकिन ९०,००० रुपया किसी भी इमारत के लिये मंजूर होता है, लेकिन जब बनना शुरू होता है तो उस वर्ष में जितना रुपया खर्च होना सम्भव होता है उतना ही रुपया दिया जाता है और पूरी इमारत पर जितना खर्च होता है वह उतना ही होता है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या मेहरबानी फरमाकर मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि जो रकम रखी गयी थी उसमें से कितनी खर्च हो गयी और कितनी बाकी रही ?

श्री जगन प्रसाद रावत--साढ़े सात हजार रुपया उस साल प्लान और एस्टीमेट में खर्च हुआ और ३७,५०० रुपया इस वर्ष प्लान और एस्टीमेट के अनुसार दिया जायगा और जो रुपया बच रहेगा उसको अगले वर्ष में या इसी साल अगर काम हो गया तो वह रुपया भी दे देंगे ।

*२६--**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)--[२९ अगस्त, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २३ श्री श्री नाथराम ने पूछा ।

जिला बदायूं के भुडेली ग्राम निवासी श्री हुक्म शंकर हत्याकांड के सम्बन्ध में पुलिस की कार्यवाही

*२७—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बदायूं के कप्तान पुलिस को श्री हुक्मशंकर, निवासी-ग्राम भुडेली, थाना दातागंज जो एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनको जान से मारने के षडयंत्र के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं ।

*२८—श्री शिवराजसिंह यादव—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में जिला पुलिस ने क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिरोजाबाद की एलेक्ट्रिक पावर उपभोक्ता एसोसियेशन का कुछ दिक्कतों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या वित्त मंत्री को एलेक्ट्रिक पावर उपभोक्ता एसोसियेशन, फिरोजाबाद (आगरा) की तरफ से एलेक्ट्रिक पावर कन्ज्यूमर्स की कुछ दिक्कतों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र या हैंड बिल प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन सी दिक्कतें बतायी गई हैं और सरकार की तरफ से उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री धर्मसिंह—(क) जी हां, और एसोसियेशन को उत्तर भेजा जा चुका है ।

(ख) निम्नलिखित दिक्कतें एसोसियेशन ने सरकार के सामने रक्खी थीं और उनके बारे में जो स्थिति है वह भी नीचे दी जाती है:—

(१) हाइडिल विभाग द्वारा लगाया गया सरचार्ज	अभी नहीं हटाया जा सकता ।
(२) वार कास्ट सरचार्ज	यह वार कास्ट सरचार्ज पहली जुलाई, सन् १९५५ से हटा लिया गया है ।
(३) ज्यादा यूनिट खर्च करने पर जो कमीशन मिलता है उस पर ड्यूटी	यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) एक्ट, १९५२ के अनुसार ड्यूटी कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले रिबेट घटाने के पहले ही लगती है और रिबेट की वजह से ड्यूटी में कमी नहीं की जा सकती ।
(४) बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी	घरेलू उद्योगों के बिजली के इस्तेमाल पर ड्यूटी कम की जा सकती है या नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है ।
(५) बिजली के उपभोग पर प्रतिबन्ध	आवश्यक आज्ञायें सुपरिण्टेण्डिङ्ग इंजीनियर, रुड़की को भेज दी गयी हैं और एसोसियेशन को उनसे पत्र-व्यवहार करने को कह दिया गया है ।

आजमगढ़ जिला जेल में कैदियों द्वारा दस्तकारी के काम

*३०--श्री व्रजविहारी मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल, आजमगढ़ में कौन-कौन से दस्तकारी के काम कैदियों से कराये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आगमगढ़ जिला जेल में कैदियों से दरी, कपड़ा, नेवाढ़, मूंज, बान और चटाई बनाने का काम कराया जाता है ।

विधायक निवासों के लिए फरनीचर

*३१--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ ई० से सन् १९५४ ई० तक विधायक निवासों के लिये जो फरनीचर मोल लिया गया है उसका कुल मूल्य क्या है ? क्या इसके पहले भी कोई फरनीचर था ? यदि हां, तो उसका क्या मूल्य है ?

श्री धर्मसिंह--लखनऊ में ३ विधायक निवास हैं । विधायक निवास नं० १ तथा २ हाल ही में बने हैं । उनके लिये फरनीचर सन् १९४९ से खरीदना शुरू हुआ । विधायक निवास नम्बर ३ पुराना है जो कि ओल्ड कौंसिलर्स रेजिडेन्स कहलाता था । इसमें बहुत पहले का खरीदा हुआ फरनीचर है और इधर हाल में इसके लिये कोई फरनीचर नहीं खरीदा गया है ।

विधायक निवास नं० १ व २ के लिये जो फरनीचर सन् १९५२-१९५४ में खरीदा गया था उसकी कीमत १,१९,८०० रु० ११ आना है । जो फरनीचर पहले खरीदा गया था, यानी सन् १९४९-१९५२ में उसकी कुल कीमत ५५,०३१ रु० १४ आना थी ।

*३२--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पलंग, मेज, स्टूल, कुर्सियां (साधारण और फ्रोगचेयर अलग-अलग), ड्रेसिंग टेबिल्स आदि का अलग-अलग क्या मूल्य है ? क्या सरकार फरनीचर की पूर्ण सूची मूल्य और संख्या सहित मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*३३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त फरनीचर किस-किस कम्पनी से लिया गया है ।

श्री धर्मसिंह--आवश्यक सूचना मेज पर रक्खे हुये नकशे में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४५-१४६ पर ।)

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय यह फरनीचर खरीदा गया था उस समय फरनीचर सप्लाई करने वालों से टेंडर मांगे गये थे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, मांगे गये थे ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जिन लोगों ने टेंडर दिया उसमें सब से कम और सबसे ज्यादा किस किस का टेंडर था ?

श्री धर्मसिंह--जिन लोगों ने टेंडर दिया था वह तो माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है । किसने कम दिया था इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो फरनीचर सन् १९४९ से सन् १९५२ तक खरीदा गया और फिर उसके बाद सन् १९५२ से १९५४ तक खरीदा गया तो जो पहले खरीदा गया था उस फरनीचर की कीमत कम होते हुये भी बाद में यह फरनीचर बोबिन कम्पनी से अधिक कीमत पर क्यों खरीदा गया ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की कोई सूचना नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य बतलाते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा---श्रीमन्, यह इस लिस्ट के देखने से मालूम होता है कि पहले तो फरनीचर कम कीमत पर लिया गया और बाद को बोबिन कम्पनी से ज्यादा कीमत पर फरनीचर लिया गया तो बाद को यह माल बोबिन कम्पनी से अधिक कीमत पर क्यों खरीदा गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ---उस जमाने में किसी सरकार की फैक्टरी के अन्दर फरनीचर नहीं बनता था जब बरेली में सरकार की फैक्टरी में फरनीचर बनना शुरू हुआ तब वहां से खरीदा जाने लगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी ---क्या सरकारी फैक्टरी से फरनीचर खरीदे जाने का सरकारी आदेश अब भी कायम है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने किसी आर्डर का जिकर नहीं किया । वह तो मेरे नजदीक अक्ल की बात थी कि जब सरकारी फैक्टरी में फरनीचर बनता है और वह सरकार की कम्पनी है तो उससे हमको फरनीचर लेना चाहिये और मैं भी समझता हूं कि वह फरनीचर उससे अच्छा भी था ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) ---क्या यह सही है कि सरकारी बोबिन फैक्टरी ने अपने यहां से फरनीचर सप्लाई न करके मारकेट से फरनीचर खरीदकर अपने नाम से सप्लाई किया था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ---मुझको यह मालूम है । यह बिलकुल गलत है । मैं बहुत दफा वहां पर गया हूं और मैंने देखा है । मैंने भी यह बात सुनी थी, हमने इसकी जांच की थी और मेरे नजदीक यह बिलकुल गलत है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में जो बोबिन फैक्टरी चलती थी वह अब बन्द हो गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बोबिन फैक्टरी का सब्जेक्ट एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस सवाल से उसका कोई ताल्लुक मालूम नहीं पड़ता । मैं चेयर से यह दरख्वास्त करने जा रहा हूं कि वह उनसे पूछ लिया जाय कि उसका किस तरीके से इस फरनीचर से संबंध है?

श्री अध्यक्ष---आपने बोबिन फैक्टरी का जिक्र किया था ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने उसका जिक्र नहीं किया बल्कि जवाब दिया था । फरनीचर की खरीद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि सरकारी फैक्टरी बन गयी थी, इसलिये उससे फरनीचर लिया गया तो क्या वह फैक्टरी अब बन्द हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष---वे कहते हैं कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है इसलिये इसका जवाब नहीं दिया जा सकता ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बोबिन दूसरी चीज है और उसमें यह काम अलहदा था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी ---क्या उस फैक्टरी से अब दारुलशफा के लिये फरनीचर मंगाया जाय तो मिल सकता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ---इतनी नालेज तो होना मुश्किल है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको दिला दिया जायगा ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकारी यह आदेश थे कि कीमत अधिक होने पर भी बोबिन फैक्टरी से ही फरनीचर खरीदा जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---आदेश किसके होते। गवर्नमेंट ही खरीदने वाली थी और गवर्नमेंट ही आदेश देने वाली थी।

*३४-३६---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---[२५ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

फिरोजाबाद में चूड़ी के व्यापारियों की हड़ताल

*३७---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या वित्त मंत्री को विदित है कि फिरोजाबाद में मार्च, १९५५ में तीन दिन तक आम हड़ताल रही? यदि हां, तो उसका क्या कारण था और उस कारण को दूर करने के लिये क्या उपाय किया गया है?

श्री धर्मसिंह---फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी के व्यापारियों ने मार्च, १९५५ में तीन दिन हड़ताल की थी। उनकी मांग थी कि कांच की चूड़ियों को बिक्री कर से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाय या यदि यह संभव न हो तो उनकी बिक्री पर एक स्थानीय बिक्री कर (सिंगल प्वाइण्ट टैक्स) लगाया जाय। सरकार उसकी मांग पर विचार कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस बात की जांच की है कि फिरोजाबाद से चूड़ियां बाहर जाती हैं तो उन पर कितने प्वाइण्ट टैक्स लगाया जाता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब के जरिये से यह बता देना चाहता हूं कि पेश्तर के जवाब में यह बता दिया गया था कि गवर्नमेंट इस मामले पर विचार कर रही है। उसमें यह बात भी है कि जो टैक्स इस वक्त लगता है वह कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है, उसमें किसी तरमीम की जरूरत है या नहीं, यह प्वाइण्ट भी इसी के अन्दर आता है।

आगरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकैती और फौजदारी की रिपोर्टें

*३८---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि गत वर्ष आगरा जिले के मलपुरा थाने में चोरी, डकैती और फौजदारी की कितनी रिपोर्टें हुईं और उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४७ पर।)

श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय मंत्री जी ने जो तालिका मेरे पास भेजी है उसमें चोरी की ४४ घटनायें हैं, उनमें से केवल ८ में सजायें हुई हैं और ३० में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन तीस चोरियों के सिलसिले में न कोई सुराग मिला और न कोई शहादत ही मिली।

मऊ पावर हाउस से बूढ़नपुर तथा अतरौलिया के नलकूपों को बिजली देने का विचार

*३९---**श्री व्रजविहारी मिश्र** (अनुपस्थित)---क्या सरकार आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील में ग्राम बूढ़नपुर तथा अतरौलिया में जो ट्यूबवेल बनकर तैयार हो गये हैं उन तक मऊ पावर हाउस से बिजली पहुंचाने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३९ श्री श्रीनाथराम ने पूछा।

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बिजली की आवश्यकता

*४०---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस से गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के दक्षिणी और पश्चिमी भाग को बिजली देने का आयोजन किया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्म सिंह---(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भाग को कहां से बिजली देने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह---अभी तो यह प्रश्न ही विचाराधीन है कि कहां से देंगे, अभी तो बिजली है ही नहीं कहां से दी जा सकती है।

श्री कमलासिंह---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के दक्षिणी किनारे के ठीक उत्तर थोड़ी ही दूर पर मऊ से बिजली सप्लाई होती है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको बाद में बतलाया जा सकता है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि गवर्नमेंट १०० टाउन एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, इस वक्त इस तरह का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४१---श्री कमलासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर टाउन एरिया को कब तक बिजली देने की सरकारी योजना है ?

श्री धर्मसिंह---इस समय ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है।

*४२---श्री कमलासिंह---क्या सरकार बलिया की तरह गाजीपुर में भी अपने हाथ में बिजली का काम लेगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

गोरखपुर जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियां

*४३---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५४ में कुल कितनी सहकारी समितियां बनीं जो रजिस्टर हुईं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गोरखपुर जिले में सन् १९५४ में कुल ४८६ सहकारी समितियां रजिस्टर की गईं।

कुशीनगर में बिजली लगाने की योजना

*४४---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर (कसिया) को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान समझ कर वह वहां बिजली लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। आशा की जाती है कि मार्च, १९५६ तक वहां बिजली लग जायगी।

आजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में गिरफ्तारियां तथा भ्रष्टाचार विरोधी समिति की बैठकें

*४५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में अक्तूबर, ५४ से लेकर मार्च, ५५ तक कितने राजकीय कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आजमगढ़ जिले में अक्तूबर सन् ५४ से मार्च सन् १९५५ तक पांच सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किये गये ।

*४६---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ भ्रष्टाचार निवारक समिति की बैठक जनवरी, ५४ से अक्तूबर सन् ५४ तक कितनी बार हुई है एवं अक्तूबर, ५४ से मार्च, ५५ तक कितनी बार हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जनवरी से अक्टूबर सन् १९५४ तक आजमगढ़ भ्रष्टाचार विरोधी समिति की ६ बैठकें हुईं तथा अक्तूबर सन् १९५४ से मार्च सन् १९५५ तक ५ बैठकें हुईं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ५ सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं उनमें कितनों को सजा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक उनमें से तीन पर मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है सेशन जजी में और स्पेशल जज के यहां । एक के ऊपर मुकदमा दायर होने वाला है और एक के मुकदमे की अभी तफतीश हो रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ५ व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये हैं ये किन-किन पदों पर काम कर रहे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनमें से तीन लेखपाल थे, एक पुलिस आफिस में एकाउण्टेण्ट थे और एक सब-इन्सपेक्टर थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार समिति का अध्यक्ष गैर-सरकारी हो, इस तरह का आदेश जिलाधीशों को माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह का आदेश देने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि यह प्रश्न जो अभी पूछा गया है उसका मुख्य प्रश्न से क्या संबंध है लेकिन इस किस्म की चर्चा कई बार इस सदन में आयी था और जो हमारी स्टैण्डिङ्ग कमेटी है उसकी भी ऐसी राय थी, तो इस वजह से इस सदन की राय का आदर करके इस तरह का आदेश दिया गया है ।

गोरखपुर के कलेक्टरी मालखाने से बन्दूक आदि शस्त्रों की नीलामी के संबंध में परिप्रश्न

*४७--**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के कलेक्टरी मालखाने से सन् १९५३ और १९५४ में कितनी दो नली कारतूसी बन्दूकें, राइफलें, पिस्टल और रिवाल्वर नीलाम किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५३ और १९५४ में कोई शस्त्र गोरखपुर मालखाने से नीलाम नहीं हुये ।

नैनी जेल से श्री खयाली राम, एम०एल० ए० द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतें

*४८---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर सन् १९५४ में श्री खयालीराम जी, एम० एल० ए० ने अपने नैनी जेल के बन्दीगृह में रहने के काल में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें सरकार के पास भेजी थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---श्री खयाली राम जी, एम० एल० ए० की भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत जेल से सरकार के पास नहीं आई ।

*४९---श्री महीलाल---क्या मंत्री महोदय ने उक्त शिकायतों की जांच कराने के उपरान्त भ्रष्टाचार निवारणार्थ कुछ उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या हिदायतें की गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को एक शिकायत का रूप समझकर जांच की विशेष व्यवस्था करायेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---सवाल से तो कोई तहकीकात नहीं हो सकती, खयाली राम जी से कहा गया कि वह अपनी शिकायतें फिर से भेज दें, उन्होंने नहीं भेजीं तो तहकीकात किस पर हो ?

आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के पृथक् किए गए कर्मचारियों की अन्य पावर हाउसों में नियुक्ति

*५०---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कितने कर्मचारियों को अलग करने की सूचना दे दी गई है ?

श्री धर्मसिंह---आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के केवल १० नान-गजटेड कर्मचारियों को अलग करने की सूचना दे दी गयी थी ।

*५१---श्री उमाशंकर---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कर्मचारियों में, जिन्हें अलग करने का निर्णय किया गया है, उसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नौकरी सात वर्ष से अधिक है और वे अब किसी नये विभाग में नौकरी करने की उम्र नहीं रखते ?

श्री धर्मसिंह---उपरोक्त दस कर्मचारियों में से केवल चार व्यक्तियों की नौकरी सात वर्ष से अधिक है । इस श्रेणी के टेक्निकल कर्मचारियों के लिये उम्र का बंधन विशेष-रूप से लागू नहीं होता ।

*५२---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि हाइडेल पावर हाउस, आजमगढ़ के कितने कर्मचारी काम से रिक्त किये जायेंगे, उनको किसी काम में लगाने का उनका विचार है ?

श्री धर्मसिंह---दस में से ९ कर्मचारियों को दूसरे पावर हाउसों पर काम में लगाया जा चुका है । एक जो शेष है उसे भी काम में लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह ९ कर्मचारी जिन पदों से हटाये गये थे वही दूसरे पावर हाउसेज में उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, उन्हीं पदों पर नियुक्त किये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह दस व्यक्ति क्यों हटाये गये थे ?

श्री धर्मसिंह---क्योंकि आजमगढ़ में पावर हाउस बन्द किया गया था और मऊ में खोलने की व्यवस्था थी, इसलिये मऊ में नियुक्तियां की गईं ?

मुखिया के नामांकन प्रथा की समाप्ति

*५३---**श्री महीलाल**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार निकट भविष्य में ही मुखिया के नामांकन की प्रथा को समाप्त करने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस प्रथा को सरकार समाप्त कर चुकी है ।

जिला कार्यालयों में सरकारी आदेश हिन्दी में ही भेजने का सुझाव

*५४---**श्री गुरुप्रसाद पांडेय** (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अन्तर्गत जिलों के कार्यालयों में जो सरकारी आदेश भेजे जाते हैं वे अंग्रेजी में क्यों भेजे जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय आदेश हिन्दी में भी भेजे जाते हैं किन्तु अधिक संख्या में नहीं । हिन्दी में पूर्णरूप से पत्र-व्यवहार करने का प्रयत्न हो रहा है ।

*५५---**श्री गुरुप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिलों में जो भी राज्य के अधीन संस्थायें हैं उन संस्थाओं की कमेटियों के एजेंडे अंग्रेजी में सदस्यों के पास भेजे जाते हैं और मीटिंग की कार्यवाही अंग्रेजी में होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि कुछ जिलों में कमेटियों के एजेंडे हिन्दी में भेजे जाते हैं और उनकी कार्यवाही भी हिन्दी में होती है । इस विषय में सरकार ने अभी हाल ही में आदेश निकाले हैं जिनके अनुसार इन कमेटियों के कार्यक्रम और बैठकों की कार्यवाही अब हिन्दी में ही हुआ करेगी ।

श्री गुरुप्रसाद पांडेय---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिलों को हिन्दी में कार्य करने का आदेश दिया गया है, उन जिलों में फतेहपुर आता है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है, इसलिये यह आदेश वहां भी जरूर गये हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर एक जिलाधीश और एस० पी० के बंगलों पर जो आफिस हैं उनमें हिन्दी टाइपराइटर हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं नहीं जानता सबके यहां हैं या नहीं, लेकिन बगैर पहले से सूचना के इसका जवाब देना असम्भव है ।

मिर्जापुर के अदलहाट थाने के अन्तर्गत डकैती, चोरियां तथा बलवे,

*५६---**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अदलहाट थाने के अन्तर्गत सन् ५४ से मार्च ३१, सन् ५५ तक कितनी डकैती, चोरियां, बलवे तथा हत्यायें हुईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---१ डकैती, ५७ चोरियां, ५ बलवे और ५ हत्यायें हुईं ।

*५७---**श्री राजकुमार शर्मा**---क्या यह सही है कि उक्त डकैतियों का प्रधान कारण इस क्षेत्र में यातायात का अभाव है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक कारण यह भी हो सकता है ।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार शासन के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को पुलिस स्टेशन से संबद्ध करने के लिये यातायात के साधन पर विचार कर रही है ?

श्री जगन्नप्रसाद रावत--माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य विचार किया जायगा ।

*५८--**श्री राजकुमार शर्मा**--क्या सरकार को पता है कि अभी पहली मार्च को अदलहाट थाने के किसी ग्राम में डाकुओं और ग्राम-रक्षक-दल में संघर्ष के फलस्वरूप बल्लम से आहत डाकू का दल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उससे कई डाके और डाकू दल का गुप्त रहस्योद्घाटन हुआ है ?

श्री जगन्नप्रसाद रावत--जी हां ।

आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के विरुद्ध निराधार शिकायती पत्र

*५९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास आजमगढ़ हाइडेल पावर हाउस के कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र एवं हाउस से संबंधित कोई शिकायती पत्र आया है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें व शिकायतें की गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री धर्मसिंह--कर्मचारियों की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है । सिर्फ एक आदमी ने, जो अब नौकरी में नहीं है, कुछ अफसरों के खिलाफ शिकायती पत्र भेजा था । प्रार्थी ने अपनी तरक्की तथा बकाया वेतन दिलाये जाने की मांग भी की थी । जांच करने पर सब बातें निराधार साबित हुईं ।

कुमाऊं फारेस्ट कमेटी में कुमाऊं के समस्त विधान सभा सदस्यों को लेने की मांग

*६०--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास मांगें आयी हैं कि कुमाऊं फारेस्ट कमेटी में कुमाऊं से आने वाले सभी विधान सभा के सदस्यों को स्थान दिया जाये ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--जी हां । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विधान सभा में लाउड स्पीकरों तथा पंखों की व्यवस्था

*६१--**श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के लाउड स्पीकर से साफ आवाज न आने के कारण सदस्यों को जो असुविधा होती है उसे ध्यान में रखते हुये संसद में जिस प्रकार की लाउड स्पीकर की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था वह इस सदन में भी करायेगी ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने निश्चय कर दिया है कि संसद वाला प्रबन्ध यहां भी हो और उसके करने वालों से मामला हो रहा है ।

*६२--**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा में जो पंखे सिकड़ियों से लटकाये गये हैं उन सिकड़ियों की मजबूती की जांच होती है ? यदि हां, तो कितने अरसे पर ?

श्री धर्मसिंह--विधान सभा में छत के पंखे लोहे की रस्सी से लटकाये गये हैं । पीतल की जंजीर लोहे की तार को छिपाने के लिये लगी हुई है । लोहे की रस्सी पंखे के वजन के मुकाबिले में बहुत मजबूत है । उनकी जांच प्रति वर्ष की जाती है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न संख्या ६१ के बारे में जो जवाब दिया गया है कि उसके करने वालों से मामला हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसका मतलब यह है कि जो उस किस्म का सिस्टम यहां बना सकते हैं, हर एक तो उसके बनाने वाले नहीं हैं, जो हैं दिल्ली में हैं और वह बाहरवालों की कम्पनियां हैं उनसे मामला हो रहा है कि वह क्या करेंगे, कब तक बनाकर दे देंगे और कितना लेंगे वगैरह वगैरह।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संसद वाली व्यवस्था कायम करने में सरकार का कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री धर्मसिंह---कोई ५० हजार से ६० हजार तक का अनुमान है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह---मैं समझता हूं कि शायद ६, ७ महीने तो लग ही जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन तारों की जांच आखिरी दफा कब कराई गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है इस वक्त आप मंगाना चाहें तो मंगाकर तारीख दे दूंगा।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले में बरनो थाने के भवन का निर्माण

१---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस के थानों के निर्माण के लिये साल १९५५-५६ में जो धन दिया गया है उसमें थाना बरनो (गाजीपुर) का नम्बर है कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, पुलिस की नई इमारतों में जो इस साल मंजूर हुई हैं, बिरनो जिला गाजीपुर का थाना भी शामिल है।

२-३---**श्री कृष्णशरण आर्य**---[२५ अगस्त, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

थानेदारी के साक्षात्कार में निर्वाचित अभ्यर्थी

४---**श्री गुप्तारसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष थानेदारी के साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी बुलाये गये और उनमें कितने निर्वाचित किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५५ में थानेदारी के साक्षात्कार में ४७८ अभ्यर्थी बुलाये गये थे और उसमें से ८२ निर्वाचित किये गये।

---

१७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३३-३४ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन *

श्री अध्यक्ष---माननीय धर्मसिंह, आपने पिछले दिन एक प्रश्न का उत्तर जो दिया था जो आप सही नहीं समझते हैं अगर आप उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं।

श्री धर्मसिंह---१७ मार्च, सन् १९५५ के प्रश्न संख्या ३३-३४ से संबंधित श्री देवकीनन्दन विभव के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जिसमें यह पूछा गया था कि जूते के व्यवसाय पर सिंगिल प्वाइण्ट सेल्स टैक्स लगता है या मल्टीपिल प्वाइण्ट, मैंने यह कहा था कि सिंगिल

*संदर्भ के लिये १७ मार्च, १९५५ की कार्यवाही का पृष्ठ ३१८ देखिये।

[श्री गर्वसिंह]

प्वाइण्ट टैक्स लगता है, लेकिन यह उत्तर ठीक नहीं था। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जूते के व्यवसाय पर मल्टीपिल टैक्स लगा हुआ है।

पूर्वी जिलों में गलत इंदराजों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राम सुभग वर्मा ने भेजा है और वह पूर्वी जिलों में गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में है। मैं इसको बहुत अनिश्चित और गोल सा समझता हूं। इससे स्पष्ट कोई मतलब निकलता नहीं है, इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश किया जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करना था--शायद माननीय मान्त्र मंत्री यहां हैं--उन्हें मैंने एक पत्र भी लिखा था कि पूर्वी जिलों में इन्दराज के बहुत से केसेज चल रहे हैं मगर आपने काम रोको प्रस्ताव अनियमित कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं मैं उनसे कहूंगा कि इतनी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस पर एक दिन जरूर तय कर दें जिससे उस पर विवाद हो सके।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। एक विषय बहुत महत्व का चल रहा है, उस बीच में किसी दूसरी चीज का आ जाना ठीक नहीं है। दूसरा समय होता तो मैं थोड़ा समय इस विषय की चर्चा में खर्च होने की अनुमति दे देता।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस यह कह रहा था कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये अगर अकेले स्टेट गवर्नमेंट पर यह सारा बोझ डाला जाय तो यह उसके लिये संभव नहीं है कि वह बर्दाश्त कर सके। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह बात है कि बाढ़ का नियंत्रण करने के लिये जितने धन की आवश्यकता है वह सारा धन स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर एक सूबे के खास हिस्से के लिये वह अपने सारे काम को रोक कर अपने बजट में काफी गुंजाइश करे तो फिर इस हालत में यह बात पैदा हो सकती है कि जो दूसरा हिस्सा और कामों में सफर करेगा उसे शिकायत होगी और इससे बीच में मनोमालिन्य बढ़ने का डर है। मैं समझता हूं कि उस हिस्से की उतनी सहायता नहीं हो पाती है जितनी कि दूसरी तरफ शिकायत होती है। साथ ही कहीं भी किसी देश में ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता है कि इस तरह के बड़े काम या इस तरह के नेचुरल कलेमिटीज से बचने के लिये ऐसी सरकार के किसी एक यूनिट पर सारा बोझ छोड़ा गया हो। अमेरिका में भी बाढ़ नियंत्रण के लिये जो चेष्टा की गई उसमें सिर्फ उसकी स्टेट गवर्नमेंट पर वह बोझ नहीं छोड़ा गया, बल्कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने उसमें से ज्यादा बोझ बर्दाश्त किया। तो ऐसी हालत में मैं यह जरूरी समझता हूं कि हमको भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी बातों को पूरी तरह से रख कर, अपनी योजनाओं को रख कर उससे धन लेने की कोशिश करनी चाहिये मैं यह मानता हूं कि अबकी मरतबा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे हमारे मंत्री गण भी इस मामले में सचेष्ट रहे, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ जितना आकर्षित होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी खामी इसमें हम मानते हैं। वह खामी यह है कि पिछले कई वर्षों में जो मुसीबत हमारे सूबे की रही है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने नहीं रक्खी गयी जब यह चर्चा की गई कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने तस्वीर को रखने में संकोच न करना चाहिये तो उस वक्त हमारी सरकार को यह बात अपनी मर्यादा के विरुद्ध मालूम हुई। और उसका परिणाम आज यह है कि अबकी मर्तबा स्टेट

गवर्नमेंट ने जितने व्यय का अनुमान पंचवर्षीय योजना के लिये किया था उस अनुमान को शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना। मैं फिर भी विधान सभा के माननीय सदस्यों से और माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात के लिये आग्रह करूंगा कि मैं नहीं जानता कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह से राजी कर सकते हैं—लेकिन राजी करने के लिये चेष्टा जारी रखनी चाहिये और जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोसी प्रोजेक्ट के लिये संभवतः १ अरब ३७ करोड़ रुपया लिया था उसी प्रकार हमें घाघरा, बड़ी गंडक, सरजू, राप्ती और मैं गोमती को भी उसी श्रेणी की नदियों में मानता हूं—इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये कुछ ऐसी योजनायें जैसे दामोदर घाटी योजना, कोसी प्रोजेक्ट योजना या भाखरा नांगल योजना की तरह कोई योजना यहां के लिये बनाई जाय जिससे कि कोई बड़ा काम हो सके। उससे बहुत से इलाकों को पानी दिया जा सके और साथ ही साथ पावर की भी उत्पत्ति हो सके, जिससे छोटे-छोटे गृह उद्योग उन्नति कर सकें। अकेले यू० पी० गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि इन बड़ी-बड़ी नदियों को वह कंट्रोल कर सके।

उसमें थोड़ी दिक्कत सीमा की भी पड़ेगी। ये नदियां ऐसी भी हैं जो यू० पी० और बिहार दोनों से जाती हैं। इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये आवश्यक होगा कि दोनों सरकारों से और कहीं-कहीं से तीन सरकारों से विचार विनिमय करना पड़ेगा। कहीं-कहीं नैपाल सरकार से भी विचार विनिमय करना पड़ेगा। वह स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है कि वह इस काम को पूरा कर सके। इस लिये केन्द्र को पूरी तरह इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिये।

यह तो लम्बी अवधि की चीजें हैं। इस पर मैंने निवेदन किया। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को किसी तरह से केन्द्रीय सरकार को राजी करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वह इस पर कोई ऐसी योजना बनाये जिससे नदियों से हमें मुक्ति मिल सके और यह नदियां श्राप न हो कर आशीर्वाद सिद्ध हो सकें। परन्तु यह भी ध्यान में रहे कि थोड़े दिनों के लिये भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और वह थोड़े दिनों के काम के लिये मैं संक्षेप में कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि जहां पर बाढ़ के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जल्दी पैदा हो जाने वाली फसल का कोई बन्दोबस्त किया जाना चाहिये जो कि अगस्त में पानी आने से पहले कट सके। यदि गर्मी के महीने में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाय, जो किया जा सकता है, चाहे ट्यूबवेल लगायें जायं। चाहे पम्पिंग सेट लगाये जायं, लेकिन यह हो सकता है कि गर्मियों में पानी पहुंचाया जाय और जो फसल उस बीच में सूखती रहती है वह सूखे नहीं और शुरू बरसात में पक कर तैयार हो जाय। कई वर्षों के अनुभव से हम देख रहे हैं। पानी पहले बरसना शुरू हो गया है। बाढ़ पहले आती है। अगर पहले फसल काट लेने की तैयारी करें और इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाय तो शायद हम इससे फायदा उठा सकते हैं।

बाढ़ के क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर हर गांव में जा कर देखें तो कुएं डूब जाते हैं। उनको बाढ़ का ही पानी पीना पड़ता है और वह बीमारी का घर होता है। इस लिए वहां पानी पीने के लिये भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। जो पुराने कुएं हैं उनकी जगत ऊंची की जाय, या पंम्पिंग नल लगायें जायं। गांव के लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं। सरकार भी कुछ मदद करे। तभी वह काम चल सकता है। पीने के पानी के ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए।

इस समय जो तात्कालिक सहायता की आवश्यकता है उसमें यह भी है कि लाखों आदमियों को रोजी दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिए होनी चाहिए कि वह कहीं जा कर इस वक्त काम नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहता हूं कि अगर बाहर भेजे जा सकें लोग तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व मंत्री जी को शिकायत रहती है कि गेंदा सिंह जी की

[श्री गोंदा सिंह]

जिद्द है कि घर पर ही रोजी मिले। इसमें मुझे कोई जिद्द नहीं है चाहे मेरठ जाना पड़े या झांसी जाना पड़े। जरा मलेरियल प्लेस में न भेजें। अगर वहां भेजेंगे तो वहां भी जाकर बीमार पड़ेंगे। मेरठ तो कोई मलेरियल प्लेस नहीं है। मेरठ तो स्वर्ग है। अगर वहां लोग जांय तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि हम उनको राजी करेंगे कि बाहर जा कर काम कर सकें।

दूसरी बात यह है कि इतने ही से काम नहीं चलेगा लोकल भी काम करना पड़ेगा जिसमें लाखों आदमियों को अपना पेट भरने का प्रबन्ध हो सके। वह चार, पांच, छः, महीने के लिए बन्दोबस्त करना पड़ेगा। ऐसे कामों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए। उन स्थानों पर लोकोपयोगी काम कराये जायं जिनकी आवश्यकता है। लेकिन योजना के साथ करायें, कई स्थानों पर लाख, पचास हजार या कुछ लाख आदमियों को जो रोजी देने का सवाल है उस का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अगर उनको रोजी नहीं मिलती है तो इससे ला ऐंड आर्डर में भी गड़बड़ी पड़ती है चाहे कागज में वह लिखा जाय या न लिखा जाय।

इन कामों के सिलसिले में मैं गांवों को ऊंचा करने को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता हूं। इस ओर मैं एक आध बात की ओर जरूर संकेत कर देना चाहता हूं। ठेकेदारी की प्रथा न रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस धन में से बीच वाले लोगों के पास भी चला जाता है। बीच वाले लोग कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन कटु सत्य कहना पड़ेगा। उससे हमारे ठेकेदार भाई और कुछ सरकारी कर्मचारी, जिनको इंजीनियर कहा जाय, ओवरसियर कहा जाय, उस पैसे को ले लेने में हाथ बटाते हैं। अगर इस पैसे को बचाया जा सके और उसको वह काम करने वालों की मदद करने में खर्च किया जा सके, जो पैसा सरकार के पास से निकला है उसका पूरा-पूरा ठीक उपयोग किया जा सके तो अच्छा है। इसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता, बहुत से भाई कहने वाले हैं और वे कहेंगे, लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा का अन्त किया जाना चाहिये और गांव के लोगों की सहायता की जानी चाहिए कि वे खुद ही इस काम में हाथ बटावें।

इसके अलावा गांव बसाने के लिये एक नक्शा होना चाहिये। ऐसा न हो कि गांव के अन्दर से ही मिट्टी काटी जाने लगे। सरकार कुछ योजना बनावे जिसके अनुसार गांव बसाये जायं। जब हम इतना रुपया खर्च करने जा रहे हैं तो उसका पूरा नक्शा ठीक तरह का हमारे सामने होना चाहिये। अगर मिट्टी निकालने की जरूरत है तो जरूर निकाली जाय लेकिन उसकी सही तस्वीर हो तो अच्छा है।

सार्वजनिक इमारतों के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों की इमारतें बहुत बरबाद हो गई हैं। उनको बनवाने का बोझ सरकार को उठाना चाहिये गांवों को बड़ी सड़कों से जोड़ने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये, ताकि पानी आने के वक्त भी गांव के लोग नाव की व्यवस्था के झगड़े में न पड़ें अगर दूर जाना पड़े अपनी रोजी कमाने के लिये तो आसानी से दूर जा सकें और अपनी रोजी कमा सकें। इसलिये सड़कों का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिये।

मकान बनाने का काम बड़े पैमाने पर हो सकता है जो होना चाहिये। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे सामने राजस्व मंत्री जी ने जो साढ़े तीन लाख मकानों की क्षति की बात कही है, मैं उनसे कहूंगा कि यह बात गलत है। लोग आम तौर पर झोपड़ी का मकान बनाते हैं जिसकी दीवारें भी फूस की होती हैं और ऊपर भी फूस होता है उनकी शायद इसमें गिनती नहीं है। जिन मकानों में नीचे मिट्टी की दीवारें थीं शायद उनकी ही गिनती इसमें की गई है। तो मैं यह जरूर कहूंगा कि उन झोपड़ियों की गिनती भी इसमें होनी चाहिये। और उनके भी बनाने का बन्दोबस्त किया जाना चाहिये और सही अनुमान लगाना चाहिये।

मैं इसमें कोई खास सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन इसके लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिये कि जो यह सोचे कि वहां किस तरह के मकान बनने चाहिये, जो कि बाढ़ को रिसिस्ट कर (सुरक्षित रह) सकें और आग से भी ताकि आगे भी लोगों की कुछ मुसीबत दूर हो। अगर मकान बनाने के काम में हमने लोगों को लगाया तो लाखों आदमियों को उससे रोजी मिल सकती है और यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजी दिलाने वाला काम है। इस में बहुत गंभीरतापूर्वक हम को सोच करके एक अच्छी रकम खर्च करनी चाहिये।

जमीन के बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि जो सरकार ने आदेश जारी किये हैं, उनमें गांव समाज को कहा है कि उसकी जमीन पर लोगों को खेती करने के लिये तथा मकान बनाने के लिये सुविधा दी जाय। गांव समाज को जो जमीन दी गई है वह ऐसी नहीं है कि यह काम उससे चल सके। मैं इस मामले में यह भी कहूंगा, जो मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं जमीन बटवारे की बात कहता हूं कि जो ऊंची जगहें हैं भले ही वहां पर लोगों को बड़े फार्म हों और उनमें अच्छी खेती होती हो, लेकिन उसे गांव बसाने और लोगों को खेती के लिये जमीन देने के लिये नामिनल मुआवजे पर एक्वायर (प्राप्त) कर लेना चाहिये। इसमें जिद नहीं होनी चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि गांव समाज की जमीन से ही हम यह काम चलायेंगे।

मैं फीस माफी की तरफ ध्यान दिलाऊंगा और यह चाहूंगा कि पिछले वर्ष की गलती इस वर्ष न हो। यह बात तो सही है कि कि फीस माफी के आदेश जाते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता। फीस माफी के आदेश ऐसे होने चाहिये कि गवर्नमेंट यह साफ कहे कि संस्थाओं को जो फाइनेंशियल लास (हानि) होगा उसको गवर्नमेंट रिइम्बर्स करेगी। अगर ऐसा होगा तो संस्थायें जरूर फीस माफ करेंगी और इसके बाद भी जो ऐसा न करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये। और उनको दंड दिया जाना चाहिये कि जब सरकार रुपया देना चाहती है तो जिनको लाभ मिलना चाहिये उन्हें क्यों नहीं दिया जाता।

एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं। पिछले साल सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट १ करोड़ रुपया तक फीस माफी में खर्च कर देगी तो हम ५० प्रतिशत अपनी सहायता दे देंगे। और अगर १ करोड़ रुपये से ऊपर खर्च करेगी तो हम ७५ प्रतिशत मदद देंगे। परन्तु इसमें हमारी सरकार बहुत पीछे रह गई। मुझको मालूम नहीं क्या किया और उस आदेश का पालन भी नहीं हो सका। तो अबकी मर्तबा भी कुछ ऐसी गलती न हो। फीस माफी के मामले में उदारता पूर्वक बर्ताव होना चाहिये। मालगुजारी के सिलसिले में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का भी केवल मालगुजारी की वसूली के रोक देने से काम नहीं चलेगा और जो राजस्व मंत्री जी ने कल कहा था कि मालगुजारी जो इस वक्त लोगों के ऊपर बाकी है वह जो फसल डूब गई है उसकी तो बाकी नहीं है वह तो पिछली फसल की है। सवाल तो इस वक्त अदा करने की ताकत का है। अगर इस वक्त अदा करने में दिक्कत हो रही है तो मैं समझता हूं कि उसको जरूर मुल्तवी करना चाहिये और अगर अदा करने की ताकत उनमें हो जाय तो वसूली फिर की जाय। लेकिन इस वक्त तो जरूर मुल्तवी कर दी जानी चाहिये, बाद में विचार हो कि उसे माफ कर दिना जाना चाहिये।

अब भी पंचायत करों की वसूली का जो जोर है उससे भारी दिक्कत लोगों को हो रही है। तीन-तीन वर्षों की लोगों पर बकाया वसूली की जा रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको भी मुल्तवी किया जाना चाहिये और जो बन्धन हो रहे हैं कि जिस पर बकाया रहेगा वह चुनाव के लिये नहीं खड़ा हो सकता, वह खत्म होने चाहिये।

दवा का प्रबन्ध पशुओं और मनुष्यों के लिये जरूर होना चाहिये। बड़ी खुशी की बात है कि इस बाढ़ में आदमियों की मौत कम हुई है, पशुओं की भी कम हुई है। और मैं माननीय

[श्री गेंदा सिंह]

राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि २ हजार की जो फीगर उनके पास है वह गलत है। कभी तो ऐसी फीगर आयी थी ४ ही पशु मरे हैं तो अगर वह फिर भीतर जायेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि २ हजार के बजाय १० हजार पशु मरे हैं। तो इसका भी अन्दाजा रखने की कोशिश हो कि कितनी क्षति हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो उससे मालूम होता है कि यह फीगर गलत है।

मैं यातायात के सिलसिले में जरूर कहूंगा और कुछ समाचार भेजने के सम्बन्ध में मैंने अनुभव किया कि अभी मरतबा टेलीफोन वगैरह जो हैं उनको जिले के अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिया और जहां चाहते थे वहीं हम खबर भेज पाते थे दूसरी जगह नहीं भेज पाते थे। तो आगे से यह प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि समाचार वगैरह के सिलसिले में फिर किसी को रुकावट न पड़े। मुझे आजमगढ़ में इस तरह की शिकायत मिली थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की यह हालत थी और उनको टेलीफोन के बाबू लोगों से झगड़ा करने की नौबत आयी थी। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि समाचार हमारे ठीक तरह से आ जा सकें।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट लेविल कमेटी बनाने का विचार रखा था तो यह विचार मालूम नहीं क्यों रुक गया। मैं समझता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिये और वह कमेटी फिर पूरे सूबे की और पूरे क्षेत्र को सामने रख कर वह सारा काम करे तो उससे बड़ी मदद मिलेगी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेविल कमेटी से काम नहीं चलता है। मैंने सुना था कि हमारे सिंचाई मंत्री जी उसके चेयरमैन होंगे मैं उनके परिश्रम का कायल हूं। हम उस परिश्रम का फायदा उठाना चाहते हैं। तो वह कमेटी जल्दी बन जाय और इसी बरसात में तो उससे अगले वर्ष काफी लाभ होगा और सारे जिलों को उसके गाइडेन्स (पथ-प्रदर्शन) से लाभ पहुंच सकेगा।

एक बात मैं कहूं कि सरकारी कर्मचारियों को माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट आर्डर इस तरह के होने चाहिये कि उनके मन में यह भावना न आवे कि अगर हम कांग्रेस दल को ही प्रसन्न रखेंगे और उनकी तरफ से कुछ खुशामद की बात करेंगे तो उससे उनका ओहदा बढ़ेगा। मैं यह जरूर सोचता हूं कि कहीं-कहीं ऐसी शिकायत मिली कि उन्होंने किसी दूसरे दल का सहयोग लेने की कोशिश नहीं की और उपेक्षा की गोरखपुर से भी एक शिकायत मिली कि वहां पर खास तौर से कुछ लोगों की उपेक्षा की गई। और उनकी सहायता भी लेने की चेष्टा नहीं की गई। यह ऐसा वक्त होता है कि ऐसे वक्त पर सब लोगों की सहायता लेने की चेष्टा होनी चाहिये, अगर वह न भी चाहें तब भी चेष्टा होनी चाहिये, तब फिर अगर चाहते हों और तब भी न ली जाय तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी संकुचित मनोवृत्ति की बात है और इससे उस काम में दिक्कत पड़ती है, यह मनोवृत्ति दूर होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह मनोवृत्ति कुछ पुरानी है और उस जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी बात होती थी, अब इस मनोवृत्ति को मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करता हूं अगले बार छः महीनों के भीतर दूर करने की वह कोशिश करेंगे, आशा भी करता हूं कि वह दूर कर सकेंगे।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां यह संकट है, बाढ़ है, वहां मैं यह भी समझता हूं कि संकट का उपाय करने से और संकट को बचाने में अगर ठीक ढंग से हम लोगों ने काम किया तो यह उन इलाकों के लिये आशीर्वाद हो सकता है, बशर्ते कि हम ठीक ढंग से काम कर ले गये और उनको बचाने की पूरी योजना हमने तैयार कर ली। जहां-जहां भी विपत्ति आती है उस विपत्ति से बचाने में आदमी को जांफिशानी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत से, इस जांफिशानी से आदमी कुछ बनता है। मुसीबत तो आयी हमारे ऊपर, लेकिन इस मुसीबत में अगर हमको राह

बताने वाले, हमारी मदद करने वाले, ठीक ढंग से आयें तो मैं समझता हूं कि इससे हमको लाभ होगा। इस सिलसिले में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे जो इंजीनियर साहबान हैं, मैं बड़ी ऊंची भावना उनके बारे में रखता हूं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी हैं जिनको कि मैं अपने से ज्यादा ईमानदार समझता हूं, लेकिन इनमें ऐसे लोग भी हैं, जो इस बाढ़ से बचाने वाले काम में भी कुछ परसेंटेज लेते हैं। मैं निश्चित मत हूं कि कहीं भी ऐसी शिकायत मिले तो उनके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिये। अगर रूल्स में कुछ बदलने की जरूरत पड़े तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसमें तब्दीली की जाय, लेकिन इस काम में कहीं से भी किसी इंजीनियर की कोई शिकायत मिले तो फिर उनको तो कम से कम नौकरी में रखने की बात नहीं सोचनी चाहिये। और मेरी राय में अगर इस तरह की चेष्टा हुई तो फिर यह काम बहुत आगे बढ़ेगा और उन इंजीनियरों की मदद से हमारा बड़ा लाभ होगा। मैं कुछ ऐसे इंजीनियर्स से भी सरकार को सलाह लेने का आग्रह करूंगा, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं और कुछ पब्लिक सर्विस की भावना से कहीं-कहीं वे ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनसे हमको लाभ हो सकता है। मैं सिर्फ रिटायर्ड लोगों से ही सलाह लेने की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी परसेंटेज नहीं लिया होगा। तो उनको भी इस काम में लेना चाहिये। जनता का सहयोग लेना इस योजना में बहुत आवश्यक है। अगर जनता का सहयोग हम न ले पायें तो केवल सरकार ही सब कुछ कर सकेगी, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। चीन का मैंने कल इसीलिये उदाहरण दिया था कि वहां जहां एक तरफ सरकार ने काम किया तो दूसरी तरफ जनता ने फिर इस काम को अपना समझा। हां, यह बात जरूर हुई कि खाने भर को जनता को मिला। यह नहीं हुआ कि खाने के बगैर बाढ़ से बचाने का काम वे करें। तो यह साधारण तौर से हमको समझ लेना चाहिये कि उनके खाने का इन्तजाम हमको करना है और फिर लाखों आदमियों को लगाना चाहिये चाहे वे कहीं काम करें, बांध बनायें या नाले बनायें या चाहे दूसरे कार्य करें, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जनता का उत्साह उसमें होना चाहिये एक जन आन्दोलन के तौर पर कार्य होना चाहिये। यह तभी हो सकता है कि जब इसमें से हम खाने वालों को हटा सकें। अगर यह नहीं होता तो जनता का उत्साह इसमें नहीं बढ़ सकता।

मुझे बड़ा दुख होता है एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने में मैं चाहता नहीं था कि इस बात को कहूं भी, लेकिन मुझे एक सम्मानित पत्र में एक न्यूज पढ़ने को मिली जौनपुर के बारे में, यह ब्लिट्ज अखबार है। मैं यह नहीं कहता कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है, मैं उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं सोचता हूं कि यह ब्लिट्ज अखबार लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा और अगर इस तरह के समाचार का खंडन सरकार नहीं करती है तो बड़ी बदनामी की बात है। इसमें यह लिखा हुआ है कि:—

"A young pretty girl of 16 years of age said that attempts were made to outrage her modesty by certain officers of the district. With tears in her eyes, she said that it is better to die in the swelling waters of Gomti, rather than to live in danger of losing honour."

मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि इसकी सफाई हो जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—क्या यह बाढ़ से वास्ता रखता है?

श्री गेंदासिंह—जी हां, बाढ़ से संबंधित है। कहीं पर लोग इवैकुएट किये जा रहे थे, इसीलिये इसका जिक्र किया, वरना मैं इसका जिक्र नहीं करता।

श्री चरणसिंह—क्या यह अखबार देवरिया से निकलता है?

श्री गेंदासिंह—यह "ब्लिट्ज" अखबार है। मैं आपकी सेवा में भेज देता हूं और मैं बार-बार इस बात को कहता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसमें कहां तक सच्चाई है। लेकिन यह लाखों आदमियों की निगाह से गुजरा होगा और अगर सरकार की निगाह से न गुजरा हो तो देखकर अपनी सफाई दे दें ताकि इस पर फिर गलतफहमी न रह

[श्री गंदा सिंह]

जाय। आखिर में मैं उन लाखों आदमियों को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने मालूम नहीं कितने वर्षों से इस मुसीबत को सहते हुये बाढ़ में, सूखा में और तरह-तरह की स्केयरसिटी में, अकाल में उन्होंने अपने को कायम रखा है। वह हैं गांव की किसान जनता और खेती में काम करने वाले लोग। उनके बरदाश्त करने की ताकत की सभी सराहना करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि केवल उनके बरदाश्त करने की ताकत की सराहना का समय अब नहीं रहा, इसका विचार करते हुये कि वह राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक ऐसा कदम उठावे जिस से हर साल वे लोग इस मुसीबत में न पड़ें और सरकार को भी असाधारण काम में पड़ना न पड़े। उसके बजाय सरकार जनता के कल्याण का कार्य करे। मैं समझता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर खोजबीन और जांच होनी चाहिये और ऐसे काम शुरू किये जाने चाहिये ताकि जिनसे हम अपने सूबे को इस मुसीबत से बचा सकें।

इतना कहकर के मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र की सरकार से फिर एक बार इस बात के लिये यत्न करेगी और अपने पार्लियामेंट के मेम्बरों से भी हम आग्रह करेंगे और हमारी विधान सभा आग्रह करे कि वह कम से कम केन्द्र की सरकार का ध्यान आकर्षित करें कि जिस तरह से उन्होंने दामोदर वैली, या भाखरा नंगल या कोसी प्रोजेक्ट जैसा काम हाथ में लिया वैसे ही इन बड़ी नदियों को नियंत्रित करने का कार्य यू० पी० में भी शुरू करे।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री महोदय की प्रशंसा करने में कभी मुझे हिचक नहीं रही और मैं सदैव उनको इसका पात्र समझता हूं। श्रीमन्, बाढ़ के कारणों पर जो कुछ ध्यान उन्होंने दिलाया है उसको हमने पिछले साल भी सुना और इस समय सुनने का भी मौका मिला। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है, इस मात्रा में अन्न नहीं है कि इन फ्लड्स को रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध किया जा सके। परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि कोई सरकार किसी भी देश की हो, कहीं भी हो इस दुनिया के पर्दे में, वह यह बर्दास्त नहीं कर सकती है कि प्रतिवर्ष ४०-५० करोड़ रुपये की क्षति होती रहे। मान्यवर, यही नहीं बल्कि आइन्दा चलकर यह देखा जायगा कि आपने पहली पंच वर्षीय योजना में जो कुछ भी उन्नति की थी वह अगर इसी तरह से मुतवातिर बाढ़ से पूर्वी जिले परेशान और पीड़ित होते रहे तो सम्भवतः आपका किया कराया जो है वह शीघ्र ही नष्ट हो जायगा। मान्यवर पूर्वी जिलों की एकोनामिक बैकबोन बराबर टूटती जारही है, यह हो सकता है कि किसी एक साल उनको क्षति पहुंचे और उससे वे पनप सकें, लेकिन मुतवातिर पिछले तीन वर्षों से जो मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही हैं उनको देखते हुये मुझे यह सहसा कहना पड़ता है कि इसके लिये सरकार को कुछ समुचित प्रबन्ध करना होगा चाहे आप केंद्र से सहायता लें चाहे दूसरी जगह से लें पर किसी भी हालत से इस विपत्ति को रोकना होगा और जब तक आप इसको रोकते नहीं तब तक प्रथम पंच वर्षीय योजना का बहुत कुछ अंश सफलीभूत नहीं हो सकता है। इस वाद-विवाद के महत्व को मैं भली भांति समझ रहा हूं और यही नहीं बल्कि ज्वर से पीड़ित होते हुये भी आज मैंने यह दुस्साहस किया कि सदन में अपने विचार प्रकट करूं। मुझे यह कहने में लज्जा नहीं कि अपोजीशन का यह अभिप्राय नहीं होता कि हम केवल गालियां ही दें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि आपके बहुत से कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है लेकिन साथ ही साथ माननीय माल मंत्री को यह भ्रम भी नहीं होना चाहिये कि हर जगह वैसा ही काम हुआ जैसा कि वे चाहते हैं। हमारे फैजाबाद जिले में माननीय माल मंत्री को यह मालूम होना चाहिये और संभवतः मुख्य मंत्री को भी यह मालूम है, कि जब इस विधान सभा के एक सदस्य एस० डी० एम० के पास सहायता के लिये गये तो उनका यह कहना था कि जितने अधिकार मेरे पास हैं मैं आपके खिलाफ उनका प्रयोग करूंगा। मान्यवर, किसी कर्मचारी के लिये विधान सभा के सदस्यों के लिये यह कहना कहां तक उचित है यह मैं इस सदन के लिये छोड़ देता हूं। वह माननीय सदस्य विरोधी दल के नहीं हैं, वह आपके दल के हैं और एक पुराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकर्त्ता है और जिन पर मैं समझता हूं कि इस सदन में सब की श्रद्धा है। आज आप दरियाफ्त कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर यही रवैया रहा तो किसी भी सदस्य के लिये उनसे सहयोग करके ऐसी आपत्ति और विपत्ति में कोई हाथ बटाना मैं सदा के लिये असंभव समझता हूं। मेरा मतलब जयराम जी से है। इसके बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ यह ठीक है कि जिलाधीश महोदय ने अथक परिश्रम किया, फैजाबाद में और जो कुछ किया सराहनीय किया लेकिन सिर्फ एक महोदय की वजह से मुझे आज इस सदन में यह शिकायत करनी पड़ी। जो मुझे सबसे पहले इस वक्त शिकायत है वह माल मंत्री से है और संभवतः वे यह कहेंगे कि अवधेशप्रताप को तो हमेशा शिकायत रहती है अतः इसके लिए उनको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री चरणसिंह--मोहब्बत न सही अदावत ही सही, ताल्लुक तो बना रहेगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मान्यवर, फिकराबन्दी का जो असर हुआ वह मुझे आज तक जाहिर है। हमारे माननीय माल मंत्री महोदय ने फैजाबाद में एक मर्तबा भी दर्शन देने का कष्ट सहन नहीं किया। यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी गये और त्रिपाठी जी भी तशरीफ ले गये और उन्होंने लोगों में साहस का संचार किया और सब तरह से मदद दी और यही नहीं उनके वहां जाने का एक बहुत ही सुन्दर प्रभाव हुआ और हर तरह की सहायता के लिये हमें उम्मीद दी गई। हमारे माननीय माल मंत्री जी जिनका यह विभाग है और जिनके पोर्टफोलियो में यह है वह कहां थे मुझे मालूम है और मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी पीछे रहने वाले नहीं हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भली-भांति समझते हैं, लेकिन इसमें क्या रहस्य है, क्या कारण है, और क्या कहानी है, यह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूं। अगर वे इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो सदन में शांति हो सकेगी नहीं तो यह एक बहुत ही भयानक वस्तु की सूचक प्रतीत हो रही है।

मान्यवर, मैं दुर्भाग्यवश उस जिले से आता हूं जहां पर इस समय बाढ़ के कारण सबसे अधिक क्षति पहुंची है। मान्यवर, मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि यह कोई मनगढ़न्त फीगर्स नहीं हैं, लेकिन ये वे फीगर्स हैं जो जिलाधीश महोदय द्वारा प्रमाणित की गई हैं कि हमारे जिले में जहां पर लगभग तीन हजार मौजे हैं उनमें से १९८८ मौजों में बाढ़ का प्रभाव रहा। २०० मौजे तो श्रीमन्, एक दम से बिल्कुल साफ हो चुके हैं। आज जहां इस बाढ़ के आने से पहले एक चहल-पहल थी, जहां पर इंसान दिखाई पड़ते थे और टूटी-फूटी झोपड़ियां दिखाई पड़ती थीं वहां आज बरबादी की निशानी बाकी रह गई है और वहां पर आज दो मिनट रुकना भी असंभव है, वहां दुर्गन्ध है और मन को बड़ी ग्लानि होती है और हृदय इतना कम्पित और दुखित होता है कि वहां एक मिनट के लिये भी रुकना असंभव है, श्रीमन्, वहां कोई ठहर नहीं सकता।

श्रीमन्, २०० मौजों का एक दम नष्ट हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। जिस जिले में ३००० मौजे हों और वहां के १९८८ मौजों में बाढ़ का असर हो यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्रीमन्, २२,००० घर इस जिले में एक दम से नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं और ५५,००० घर ऐसे हैं जिन्हें काफी धक्का पहुंचा है और १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और ५९३ मवेशी इस बाढ़ के कारण खत्म हुये और इस जिले का औसत रेनफाल ४२ इंच होता था वहां आज ५ अगस्त तक ७० इंच पानी बरस चुका है।

श्रीमन्, जहां तक वह फसल जो कि खरीफ में जैसे अरहर, कोदों, ज्वार, मक्का, ईख और धान वगैरह ऐसे हैं जिसके लिये मैं समझता हूं और मैं ही नहीं समझता, बल्कि जिलाधीश का भी कहना है कि १६ आने नुक्सान है, दो-तिहाई फैजाबाद जिला इस बाढ़ से पीड़ित हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से इस ओर अधिक ध्यान देने के लिये प्रार्थना करूंगा जिससे भविष्य में चलकर यह उन्हीं का कार्य होगा कि वह कुछ कर सकें। यह हो सकता कि वह बाहर न निकलें

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

लेकिन बावजूद उनको प्रसन्न किये हुये यह संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उन जिलों को जहां पर कि बाढ़ आयी है वहां के निवासियों को कोई राहत या सुविधा पहुंच सके ।

मान्यवर, यही नहीं, अब मैं सरकार का ध्यान इस बात के लिये आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बात को थोड़ी देर के लिये सोचें कि हमको उन लोगों को दो प्रकार से सहायता देना है । एक सहायता तो वह है जो कि तात्कालिक सहायता है और दूसरे यह है कि भविष्य में चलकर किस तरह से उनको पुनर्वास की सहायता देना है । मान्यवर, माननीय मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि लोग अपना गल्ला अपने मकानों से हटाने में असमर्थ रहे । जो मौजे एकदम से मुतवातिर बरसात के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं वहां पर एक दाना भी बाकी नहीं है। तो उन गांवों के निवासियों के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार उनको फ्री राशन दे और उस फ्री राशन को उस समय बंद किया जा सकता है जब कि उनके लिये टैस्ट वर्क दिया जाय । यह मैं मानता हूं कि सरकार के लिये यह कठिनाई है कि बरसात के दिनों में कोई अधिक कार्य नहीं हो सकता है, परन्तु जो कुछ भी संभव हो उसको शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिये, क्योंकि मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार बहुत दिनों तक मुफ्त राशन नहीं दे सकती और साथ ही साथ अगर उनको मुफ्त नहीं देती है तो वे किसी प्रकार से जीवित नहीं रह सकते हैं । क्योंकि उनके लिये दूसरा सहारा नहीं है । दूसरा कोई मार्ग उनकी जीविकोपार्जन का नहीं है । उनकी फसल नष्ट हो चुकी है यह कल माननीय मंत्री जी ने भी कहा था । जेट रैडी माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी जिलों से मंगाने के लिये कहा था किन्तु वह वहां से भी मिल नहीं पायेगी । उसकी वजह यह है कि उनके पास जो कुछ है वह अभी पानी में है और उनकी आशा यह है कि वह लग सकेगी, लेकिन जितनी मांग है उसको उतनी मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, इसमें भूसे के लिये जो यह १८५ हजार रुपया दिया हुआ है उसके विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका क्या अभिप्राय है । इसको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया हूं । मैं आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह भूसा किस प्रकार से तकावी पर दिया जायगा । यह मैं मान सकता हूं कि यह काफी सस्ता है, लेकिन सवाल यह है कि जब उनके अन्दर परचेजिंग पावर नहीं है तो वह इस भाव पर भी कैसे ले सकते हैं । परचेजिंग पावर भी तो उनमें होनी चाहिये । अगर सरकार इसके लिये कुछ तकावी या सब्सिडी दे तब ही, मैं समझता हूं, काम कुछ चल सकता है । अगर हमारे मवेशी नष्ट हुये और इस योग्य नहीं रहे कि वे काम में लाये जा सकें तो मैं समझता हूं कि हमारी एग्रीकल्चरल इकानामी को वह धक्का लगेगा जिसको सुधारना न कृषि मंत्री जी के लिये और न माल मंत्री जी के लिये संभव होगा । पाकिस्तान बनने के बाद हमारे लोगों पर तबाही जो आयी वह हम सब लोगों को भलीभांति मालूम ही है । इसी तरह इसे हमारे लोगों के पास इस बाढ़ के कारण तन ढकने को कपड़ा नहीं है और खाने के लिए अन्न नहीं और मवेशी बगैर चारे के हैं । आज कोई जगह ऐसी बाक़ी नहीं रह गई है जहां वे लोग अपना मुंह छिपा सकें । सरकार के कार्य में जो सुस्ती है वह दूर हो होनी चाहिये । फैजाबाद जिले में ८,००० लोगों के लिये टेंट भेजे जा रहे हैं । कितने खेमे हैं । यह जाहिर नहीं है । पहले लेखपाल या पटवारी अपने घरों में बैठकर, बगैर मौके पर गये हुये, नक्शे भर कर तहसीलों में भेजा करते थे वही धांधली आज भी है । ८,००० के लिये खेमे भेजने से मसला हल नहीं हो सकता । हमारी फौजें हैं उनकी और रेलवे के लोगों की सराहना करने में माननीय मंत्री जी के साथ हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है । परन्तु मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यह खेमे जो वह भेज रही है वे काफी नहीं हैं । अभी बरसात का अन्त नहीं है । अभी वह युवावस्था में है और जब तक बरसात समाप्त न हो तब तक वहां के लोगों को नमूनिया, आंकाइटिस इत्यादि से बचाना है । आज एक नागरिक की जान की रक्षा के लिये सरकार को जो कुछ भी करना पड़े वह करना चाहिये । माननीय कमलापति जी फैजाबाद गये । उनके

आगमन से हमें धैर्य मिला और हम प्रफुल्लित और प्रसन्न हुये। उस आपत्ति काल में हमारे अन्दर साहस आया कि वह हमारी मुसीबतों को समझने के लिये वहां गये। उन्होंने हमारी मुसीबतों को समझने की कोशिश की। उन्होंने, अगर मैं उनको गलत नहीं समझा, यह आश्वासन दिया था कि मौजों की सतह उठाने के लिये काम शीघ्र से शीघ्र किया जायगा, लेकिन हमने देखा कि अभी तक कोई काम प्रारम्भ नहीं किया गया है और कल माननीय मंत्री जी के भाषण से मुझे यह झलका कि वह यह काम बरसात के बाद ही शुरू करने वाले हैं। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी का विचार जानना चाहूंगा।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह सदन को बताना चाहता हूं कि यह काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, दिक्कत केवल यह है कि मिट्टी मिलनी चाहिये। पानी भरा हुआ है। बरसात समाप्त होने की राह नहीं देखी जायगी। मौका मिलते ही कार्य शुरू हो जायगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—प्रत्युत्तर तो बहुत ही सुन्दर और बहुत ही डिप्लोमेटिक है, लेकिन अब बहुत सी जगह पानी सूख गया है और अगर अभी वह कार्य शुरू कर दें तो बहुत लाभ पहुंच सकता है। अन्नदाता माननीय मंत्री जी ही हैं। लिहाजा उन्हें अप्रसन्न करना हमारे लिये सर्वथा अनुचित है। मैंने यह समझा कि माननीय मंत्री महोदय २ लाख २० हजार रुपया निधन लोगों के मकान बनाने के लिये ग्रांट के रूप में दे रहे हैं। जब साढ़े तीन लाख घर गिरे हों, बरबाद हो चुके हों तो उस रुपये से कितनी थोड़ी सहायता पहुंचेगी यह आप सोच सकते हैं। यह रुपया बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जब पानी बरसता है तो वह कोई लाइन आफ डिमार्केशन नहीं खींचता है कि गरीबों के घरों पर ही बरसे और दूसरों के घरों पर न बरसे। मालूम नहीं उन्होंने झारखण्डे राय जी की तरह क्या लाइन आफ डिमार्केशन खींची है। मालूम नहीं सोसायटी में अपर मिडिल या मिडिल या निर्धन के क्या मानी उन्होंने रखे हैं। मेरी राय में यह क्लासीफिकेशन करना अमीर-गरीब का सोसायटी में अनुचित है। मुसीबत सब के ऊपर पड़ी है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऊंचे घराने ऐसे थे, और माननीय सिंचाई मंत्री को भी यह अहसास हुआ होगा, जो बाढ़ से बरबाद हो गये और इमदाद चाहते थे। मगर वे लज्जा के कारण फ्लड कोष से कुछ लेने के लिये नहीं जा सके। उन्होंने वहां जाना पसन्द नहीं किया। उनका ग़ल्ला बरबाद हो चुका था, उनको खाना नहीं मिला। रिश्तेदारों से या और जिन जरियों से उनको रुपया मिल सका उन्होंने लिया है और अपना काम चलाया है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसमें कोई जमींदारी अबालीशन का टिन्ज उन्हें दिखाई दे तो यह तो कोई उचित प्रतीत नहीं होता। अगर इसका माल मंत्री जी को कोई फोबिया हो गया है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिये। इसमें सरकार को जो भी कोई बाढ़ से पीड़ित हुआ है, उन सब को एक सा समझना चाहिये, क्योंकि भगवान् ने इन्द्रदेव ने कोई भी क्लासीफिकेशन नहीं किया है।

अब माननीय माल मंत्री महोदय ने एक रकम १ करोड़ २० लाख की और दूसरी रकम ३० लाख की घर बनवाने के लिये दी है और बगैर किसी इण्टरेस्ट के तकावी देने के लिये सदन को यह न भूल जाना चाहिये कि यह जो लोन दिया जा रहा है वह शार्ट टर्म लोन है, लांग टर्म लोन नहीं है। आप जो कुछ दे रहे हैं उसका देना भी लोगों के लिये कठिन प्रतीत होता है। अगर आपको देना ही है तो आप लांग टर्म लोन करके दीजिये। आप उसको सब्सीडी करके दीजिये। इस विषय में बनिया का हिसाब लगाना ठीक नहीं है। इससे आप यह न समझें कि आप सूद छोड़ रहे हैं तो आप महान् दया का काम कर रहे हैं। आपके लिये सूद लेना महापाप है, सरकार तो उन्हीं व्यक्तियों की है।

एक सदस्य—सूद ले कौन रहा है?

श्री अवधेशप्रतापसिंह---इन सब बातों पर विचार करके सरकार को चाहिये कि लोन अगर वह दे तो काफी मात्रा में दे और लांग टर्म वाला दे। अगर आप तकावी देते हैं तो इण्टरेस्ट फ्री होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि स्टेट के पास अधिक रुपया नहीं है, अगर ऐसा है तो इसके लिये सेंटर को रुपया देना चाहिये। अगर ऐसा रुपया सेंटर नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह भी अपने कर्तव्य से च्युत होता है।

इसके अतिरिक्त आज वह मौका आया है जब कि आप थोड़ा सा रुपया खर्च करके इस बुराई से लाभ उठा सकते हैं। आज यह बात आपको भी अखरती है कि हमारे यहां विनेज बोर्डलिंग का अभाव है। लेकिन डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप उनके घरों को तुड़वा दें या उनसे कहें कि ये दूसरे स्थानों पर चले जायं, क्योंकि जहां आदमी का घर होता है उससे उसको कुछ अटेचमेंट हो जाता है। इस प्रकार दूसरी जगह पर लोगों को बसाना कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में जिन गांवों को आप सतह ऊंची कर रहे हैं या जिन्हें ऊंची जगह बसा रहे हैं उसमें आप इस बात का अवश्य ध्यान रक्खें। आप जो भी सेंकिंड ईयर प्लान बना रहे हैं वह सब तो ठीक है और उसमें जो रुपया खर्च करना चाहते हैं वह ठीक है। लेकिन यह सब तभी मुनासिब होता है जब कि आदमी को बेसिक नैसेसिटीज प्राप्त हों, जीवन के सब आवश्यक पदार्थ उसको प्राप्त हों। उसी समय यह सब अच्छा प्रतीत होता है लेकिन जब तन ढकने को वस्त्र न हो रहने के लिये घर न हो उस समय सड़कों और बिजली के पंखों का प्रबन्ध करने से न तो शान्ति ही मिल सकती है और न शारीरिक लाभ ही पहुंच सकता है। श्रीमन् यह ऐसी चीज नहीं है कि हम केवल ३८ लाख रुपया देकर सफल हो सकते हों। इस समय भी आप जो ३ करोड़ रुपया दे रहे हैं इसके कुछ माने नहीं हैं। जब सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि उसकी क्षति ५० करोड़ के लगभग है ऐसी दशा में ३ करोड़ रुपना देना क्या माने रखता है। मैं समझता हूं कि हमारे माल मंत्री को कुछ असन्तोष हो रहा है कुछ क्रोध उनको आ रहा है, लेकिन यह सब होते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वे हमें तंग नहीं कर सकते। श्रीमन्, एक चीज जो मैं समझ नहीं पाया उसकी थोड़ी सी सफाई जरूर चाहता हूं। श्रीमन्, कुछ स्कूलों के लिये जो फीसें माफ की गयी हैं उसके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, चाहे वे शिक्षा मंत्री हों, या माल मंत्री हों कि जो एडेड स्कूल्स हैं उनके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इंस्टीटयूशंस हैं उनके लिये तो सुगमता दी गई है, जो सरकारी इंस्टीटयूशंस हैं उनके लिये भी सुविधायें दी गयी हैं, लेकिन जो एडेड इंस्टीटयूशंस हैं, बाढ़ क्षेत्र के इलाके में पड़ते हैं उनको क्या सुविधायें दी गयी हैं यह मैं जानना चाहता हूं। मान्यवर, फैजाबाद में सई, टोंस ये बहुत छोटी-छोटी नदियां हैं, घाघरा में कभी ऐसी बाढ़ नहीं आयी। सन् ३१ में एक मर्तबा बाढ़ आयी थी, फिर सन् ५३ में आयी और फिर सन् ५५ में आयी। जहां तक मेरी सूचना है सन् १८७१ में कोई ऐसी बाढ़ फैजाबाद में नहीं आयी। श्रीमन् मुझे यह कहना है कि फैजाबाद में पी० डब्ल्यू० डी०, की सड़कें कट गयी हैं और १७ मील के अन्दर कम से कम ३१ ब्रीचेज थीं, लेकिन मैं समझता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा १५ दिन तक इस काबिल भी नहीं की गयीं कि उस पर बस सर्विस कण्टीन्यू की जाय। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जब फैजाबाद गये थे तो वह केवल मेरी ही शिकायत नहीं थी बल्कि उनके दल के एम० एल० एज० भी यह शिकायत करते रहे और मैं समझता हूं कि आज तक भी पी० डब्ल्यू० डी० जग नहीं पाया है।

एक सदस्य---मर गया है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---अगर मर गया होता तो भी कल्याण होता। श्रीमन्, फैजाबाद को रेलवे लाइन की वजह से बहुत बड़ी क्षति पहुंची। ऊंची जगह सतह होने के

वजह से जो दूसरी तरफ के गांव थे तो वे बचे रहे लेकिन जब पानी लो नहीं हो पाया तो दूसरे जो मौजे थे वे बह गये और अगर रेलवे क्लवर्ट्स के लिये शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध नहीं करती या पी० डब्ल्यू० डी०, क्लवर्टस के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करती और ईसी तरह से रास्ते और सड़कें कटती रहीं तो मैं समझता हूं कि हर साल कोई न कोई मुसीबत इसी तरह की सदैव आती रहेगी और रेलवे की पटरियां तथा पी० डब्ल्यू० डी०, की सड़कें सदैव कटती जायंगी।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, एक बात मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं और आपके जरिये से अपने माननीय मित्र को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे जरा समय कम लेवें। यों तो उनको पूरा अधिकार है कि जितना समय चाहें लेवें, लेकिन इस तरह से फिर आज शाम तक डिबेट नहीं खत्म हो सकेगा, क्योंकि १५ जिले एफेक्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर सदन चाहता है तो मैं हर सदस्य के भाषण के लिये समय नियत कर दूं आपके (श्री अवधेशप्रतापसिंह के) भाषण के बाद समय निश्चित करना उचित होगा।

(आवाजें—ठीक है।)

तो मैं आपका (श्री अवधेशप्रतापसिंह का) भाषण समाप्त होते ही समय नियत कर दूंगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन् कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमन्, मैं आपको हर तरह से प्रसन्न रखूंगा। मान्यवर, फैजाबाद जिले में जो टांडा अकबरपुर रेलवे लाइन थी और जिसको द्वितीय महायुद्ध में हटा दिया गया था और जिसको निकाल कर फ्रण्ट पर भेज दिया गया था तब से वहां के लोगों को बहुत कठिनाई हो गई है और कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है। जैसा कि कहा जाता है कि सेण्टर को इस विषय में लिख रहे हैं, लिखना ही काफी नहीं है, अगर उसी लाइन को खुलवा देते हैं तो वह वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा दान होगा। उससे केवल यही नहीं होगा कि लोगों की जीविका चलेगी बल्कि भविष्य में टांडा की और अकबरपुर की उन्नति होगी। जिनमें से एक म्युनिसिपैलिटी है और एक टाउन एरिया है वह दोनों ही के लिए लाभदायक होगा और इस समय की तात्कालिक मुसीबत भी दूर हो जायगी। एक और चीज आई जिसके बारे में पता नहीं मंत्री महोदय क्या समझते हैं, वह ऐसा समझते हैं कि मुल्तवी करना किसान के लिए हानिकारक है, मैं इससे सहमत हूं और इसे स्वीकार करता हूं कि किसान को छूट देना सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन फैजाबाद जिले में और बाढ़ ग्रस्त दूसरे जिलों में अगर काफी छूट नहीं दी गई तो मैं समझता हूं कि उन जिलों के निवासियों के साथ घोर अन्याय और अत्याचार होगा। अगर लेखपाल महोदय ने कहीं क्षति ८ आने से ७ आना कुछ पाई भी कर दी तो झट मंत्री महोदय कर देंगे कि वह रेमिशन नहीं पा सकते और वह कहेंगे कि रूल्स के मातहत उनको छूट नहीं मिल सकती है। ससपेंशन तो उनकी डिसक्रिशनरी पावर की चीज है और इस तरह से बहुत से लोग छूट पाने से वंचित रह जायंगे। कलेक्टर लोग भी पहले माननीय मंत्री जी का और गवर्नमेंट का रुख देखते हैं और तत्पश्चात् वह आगे बढ़ते हैं कि कितनी छूट हमें देना है। अगर आप छूट दें तो कम से कम वह इतनी तो हो कि वे लोग अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर पहुंच सकें। यह फसल तो गई, मैं समझता हूं कि आगे जो रबी की फसल आयेगी उसके लिये भी मवेशियों की ऐसी दुर्दशा है कि वह किसी काम नहीं आ सकते, उनमें बीमारियां फैल रही हैं। श्रीमन्, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री रह चुके हैं आप जानते होंगे कि बीकापुर एक तहसील है, वहां पूरी तहसील में बाढ़ है और जिसकी आबादी ३ लाख के ऊपर है उसमें सिर्फ ७ आदमी पब्लिक

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

हेल्थ के हैं। हमारे मंत्री महोदय फैजाबाद में हेल्थ विभाग की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मैं उनको बता दूं और वह नोट कर लें कि बीकापुर में महज ७ आदमी हैं जो स्वास्थ्य की देखभाल के लिये जिम्मेदार हैं। एक तहसील में ७ आदमी। श्रीमन्, यह कैसे पूरा हो सकता है और कितना काम कर सकते हैं यह श्रीमन् आप ही विचार कर लीजिये। सिर्फ इनाकुलेशन ही लगाना हो या पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर ही कुंयें में डालना हो तो वह नहीं कर सकते। अगर इस स्टाफ को एडिक्वेट कहा जा सकता है और अगर हिन्दुस्तान में हेल्थ का यही पैमाना है तो मैं समझता हूं कि इसके बहुत अच्छे दिन नहीं हैं। श्रीमन्, एक फ्लड के मामले को तो एक्चुअली वार फुटिंग पर ही लेना चाहिये था कि जिस तरीके से हो सके लोगों के दुखदर्द को दूर किये जाय। मैं अन्त में उनसे इतना कहना चाहूंगा और उसके लिये क्षमा भी मांगना चाहूंगा, मैं यह समझता हूं कि सरकार सब कुछ हमारे लिये नहीं कर सकती, लेकिन हम नहीं भूले हैं कि हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और इसलिये हम कुछ मांग भी कर सकते हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको पूरा करें। जहां तक पब्लिक कोआपरेशन का सम्बन्ध है वह बहुत सराहनीय रहा है। इन बाढ़ क्षेत्र के निवासियों ने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है वह सराहनीय ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लिये आदर्श है। इन शब्दों के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आगे जो भाषण देंगे उसके लिये किसी को भी १० मिनट से अधिक समय नहीं दिया जावेगा, साधारण तौर पर ७ मिनट का समय ही काफी होगा।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं अपने बारे में आपसे बताऊं कि मैंने इधर काफी फ्लड एरियाज का सब जगह निरीक्षण किया है। मैं चाहता हूं कि फुल फैक्ट्स हाउस के सामने आ जावें। इसीलिये मैंने काम रोको प्रस्ताव भी कल दिया था तो आपने कहा था कि इस पर विवाद होने वाला है। तो अगर फुल फैक्ट्स भी उसके बारे में सदन के सामने न आवें तो उससे लाभ क्या होगा। जितनी सरकार की खामियां हैं, सरकारी कर्मचारियों की खामियां हैं, कितना जनता का सहयोग है अगर यह सब बातें दब जाती हैं तो मैं समझता हूं कि यह इस बाढ़ की समस्या पर वाद-विवाद नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो कहा कि किसी को १० मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायगा। मामूली तौर पर ७ मिनट रहेगा। अगर दो तीन मिनट बढ़ जायं तो वह ऐसी अवस्था में होगा जब कि कोई सदस्य पूरे वाकयात दे रहे हों तो दो तीन मिनट उनके लिये समय बढ़ जायगा।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री देवकीनन्दन शुक्ल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इसलिये यह कहना असंगत नहीं होगा कि इस सदन में कुछ लोगों को रोज या हफ्ते में कई बार या महीने में कई बार बोलने की इजाजत मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको साल में भी एक बार नहीं मिलता। दुर्भाग्यवश मैं उनमें से एक हूं। इसलिये मैं आपका अधिक आभारी हूं। श्रीमान्, इस साल की बाढ़ की एक विशेषता है कि बाढ़ इस साल दो तीन हफ्ते पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ गई यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में बाढ़ का पूरा प्रकोप उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुआ और वह बाढ़ आज तक कुछ पानी के कम व बेश चढ़ाव व उतार के साथ कुछ न कुछ है। अभी भी घाघरा में बरहज मुकाम पर परसों ५ बजे शाम तक १८ फीट पानी था जब कि खतरे का बिन्दु १९ फीट है। इस वर्ष की बाढ़ की विशेषता और भयंकरता इस अर्थ में अधिक है कि बाढ़ खेतों के बोने के थोड़े दिन बाद ही आई। अब तक बाढ़ कुछ न कुछ जारी है। देवरिया जिले में जिसका क्षेत्रफल करीब २,००० वर्गमील है ५०० वर्गमील जलमग्न है यानी करीब ३ लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। कुल रकबा देवरिया जिले का करीब १३ लाख एकड़ के है, जिसमें से ३ लाख एकड़ भूमि में जंगल, परती, आबादी और नदी इत्यादि हैं। यानी साढ़े १० लाख एकड़ भूमि हल के नीचे है। उस साढ़े १० लाख एकड़ भूमि में करीब पौने तीन लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। कितनी भयंकर क्षति उन किसानों को हुई जिन किसानों का सर्वस्व जलमग्न हो गया है। सरकारी आंकड़ों से कुछ दिन पहले जिलाधीश ने ६७० गांवों के जलमग्न होने के आंकड़े दिये थे, लेकिन उनके इन आंकड़ों के देने के बाद गंडक की बाढ़ और भी बढ़ गई और जब डेढ़ सौ गांव जलमग्न थे तब उन्होंने ६७० गांवों के आँकड़े दिये थे। सात सौ गांवों से अधिक देवरिया जिले में जलमग्न हैं। हमारा खयाल है कि उन गांवों की आबादी देवरिया जिले में करीब तीन हजार है। तीन हजार गांवों में सात सौ गांव जलमग्न है। बीस सौ मील रक्बे में पांच सौ मील जलमग्न है। १३ सौ एकड़ भूमि में करीब तीन सौ एकड़ भूमि जलमग्न है। और यह तीन हफ्ते से ज्यादा होता चला जा रहा है। और वर्षों में जो बाढ़ आती थी तो एक हफ्ता, दस रोज रह कर चली जाती थी, तो ईख की फसल कम से कम बच जाती थी। इस वर्ष की बाढ़ की भयंकरता यह है कि जो सरकारी आंकड़े माल मंत्री महोदय ने दिये कि सात लाख एकड़ भूमि जलमग्न है। इसकी क्षति का अन्दाजा मेरे खयाल से एक अरब या सवा अरब से अधिक क्षति इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में हुई है। यदि हम एक एकड़ में दो सौ रुपये की क्षति लगायें तो इस तरह से भी एक अरब बीस करोड़ की क्षति का अन्दाजा आता है। माननीय माल मंत्री ने करीब साढ़े तीन लाख घरों के नष्ट होने का आंकड़ा दिया है। यह अन्दाजा लगाना कुछ ठीक न होगा कि एक घरकी कीमत क्या पड़ेगी। लेकिन यदि हम औसत दो सौ या तीन सौ रुपया लगा ले तो भी सात आठ करोड़ रुपया उन घरों का दाम हो जाता है। इस तरह से इस वर्ष की बाढ़ से जो क्षति हुई वह बड़ी ही भयंकर है। एक बात इस सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ या सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी तत्परता के साथ बाढ़ पीड़ितों की दुर्दिन में जाकर उनके दुखों की पूछ-ताछ की। इससे उनको बड़ी सांत्वना और राहत मिली। लेकिन एक बात की तरफ विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देवरिया जिले में ६७० या ७०० गांवों में जो नावों का प्रबन्ध होता है उस पर काफी सर्फा पड़ता है। और घाघरा में या घाघरा की भयंकर बाढ़ में नावें टिक नहीं सकतीं। पारसाल माननीय डाक्टर सीताराम जब गये थे तो मोटर-बोट से वे सफर कर रहे थे। वे और उनकी पार्टी डूबते-डूबते बची। इस वर्ष जब मैं उनको घाघरा के पास ले गया तो उन्होंने उस डर से घाघरा में नाव या मोटर बोट में बैठने से इनकार किया और उनका इनकार करना बिल्कुल सही है। घाघरा में इतना भयंकर वेग हो जाता है कि नाव के मान का नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां अधिक हार्स पावर की दो-दो या तीन-तीन मोटर बोटें हर जिले में दी जानी चाहिए।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से आज मुझे इस सदन के नये सेशन में पहला अवसर बोलने का मिला। हमारे पूर्वी जिलों में ऐसा प्रकोप हुआ है कि मैं कह सकता हूं कि कर्मों का फल है। यह सरकार क्या कर सकती है, या कोई लाल टोपी वाला क्या कर सकता है।

[श्री शिवनारायण]

मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री कृपाशंकर जी जब कलवारी रोड पर जा रहे थे हाथी पर, तो उनका हाथी फंस गया और फिर १२ मील उनको पैदल जाना पड़ा। हमारी सड़कें जगह-जगह कटी हुई हैं। पी० डब्ल्यू० डी० से हम बराबर प्रार्थना करते रहे लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। बांसी रोड के पास अगर सड़क न काटी गई होती तो सारा गांव बह गया होता। हमारे जिले में १४ नदियां बहती हैं। नौगढ़ तहसील में अगर आप नजर उठा कर देखिये तो मालूम होगा कि बांसी का क्षेत्र सारा ही जलमग्न है। जिस दिन हमारे मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे, मगहर से लेकर गोरखपुर तक जल ही जल दिखाई देता था। जब हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू गये थे तो मालूम होता था कि समुद्र यहां आया हुआ है। हमारे यहां बस्ती में सारी सड़कें बन्द हैं। मैं पी० डब्ल्यू० डी०, का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरैया रोड पर जब माननीय सिंचाई मंत्री गये थे तो उन्होंने देखा कि बस आगे जा नहीं सकती। मैं उस विभाग के इंजीनियरों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कान खोल कर सुन लें। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। १९३५ में जब जवाहर लाल जी वहां गये थे तो उन्होंने कहा था कि कैसे निकम्मे इंजीनियर लोग हैं जो कि हमें बाढ़ से बचा नहीं सकते। आज हमें आजाद हुए इतना समय हो गया लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारे इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, उससे कोई शिकवा नहीं है। मैं जानता हूं कि उसने हमारी मदद की है, हमें चना दिया है, हमें मुसीबत से उबारने की पूरी कोशिश की है। हम उसके आभारी हैं। सरकार ने तीन मोटर बोट भेजी, लेकिन लेट भेजीं। उनको जुलाई के पहले जाना चाहिये था क्योंकि उनके लिये बजट में रुपया मंजूर था लेकिन वह गईं जब वहां बाढ़ आ गई है। मुख्य मंत्री जी ने बड़े ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुना और वह पूरी तरह हमारी मुसीबत में शरीक हैं, लेकिन जो रुपया दिया गया है वह अभी भी बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूं कि और रुपया दिया जाय क्योंकि ऐसी बारिश हुई है जिसकी संभावना नहीं थी। वहां पर सात दिन तक कांटीनुअस पानी बरसने की वजह से एक-एक दाना हमारा गल गया है। आज हमारे पास धान नहीं है। जब हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब गये थे तो वहां सड़कों पर ब्राह्मण, ठाकुर, छोटे, बड़े, सभी इकट्ठे थे और सभी चना लेने के लिये तैयार थे। यह विपत्ति है, मुसीबत है, शिकायत नहीं है। मांगा जा रहा है सरकार से और यह सरकार वाकई मदद कर रही है। हम अहसान फरामोश नहीं हैं। यह गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है लेकिन इसके साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी कलवारी की जो सड़क है वह कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाती है और कभी पी० डब्ल्यू० डी० के पास। तो इसको फुटबाल न बनाया जाय। इस सड़क पर ही हिन्दुस्तान और पाकिस्तान क्यों बना हुआ है, किसी एक को मिल जाय और वह इसको सुधार दे। उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे जरूरी काम है वह यह है कि इंजीनियरों को सरकार आदेश दे और उनको बताये कि कहां-कहां क्या-क्या काम करना है। छोटे-छोटे पुल बना कर पानी की निकासी की जाय। मुंडरवा रेलवे स्टेशन पर ६३ नम्बर का पुल है जहां सारा पानी रुक कर ज्वार की सारी फसलों को तबाह कर देता है। अगर इसको कुछ और बढ़ा दिया जाय तो बहुत सुन्दर काम वहां हो सकता है।

इसके अलावा भूसे की कमी हमारे यहां है। पूर्वी जिलों में भूसा नहीं है। दवाइयों की भी बहुत बड़ी कमी है। यहां हमारे उपमंत्री बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि वहां आप दवाइयां भेजिये। एक वैद्य जी हमारे यहां हैं उन्होंने कहा है कि हम गांव-गांव में जाकर मेडीसिन बांटेंगे। सरकार सहयोग करे, हम लोग सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं और इस काम में पीछे नहीं हैं। पंडूर घाट अभी मौजूद है। वह एक छोटा सा बाजार है। वहां पर युधिष्ठिर ने कहा था "The time has come when we should resign from the diadem of Hastinapur" (समय आ गया है कि हमें हस्तिनापुर के राज्याधिकार को त्याग देना चाहिए) यह एक एतिहासिक स्थान है और कटना जाता है तो मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां जिस दिन हम पहुंचे हैं।

उस दिन हमारे साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और अन्य लोग भी थे क्या कम्युनिस्ट क्या समाजवादी पार्टी के, सभी थे, रामकिशन सिंह हमारे साथ थे। सबों ने कहा कि लाइये चना हम गरीबों को बांटेंगे। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था कि सरकार ने हमको इग्नोर किया, गलत कहते हैं। हर राज्य में कहीं छोटे, बड़े, बेइमान, ईमानदार हैं, यह बात नहीं है कि कहीं कोई घपला हो न हो, ईमान जिसका बिगड़ता है उसको सरकार क्या चेक करेगी, कहां तक रोकेगी। अभी गेंदासिंह जी ने बिलट्ज का कुछ अंश पेश किया, और कोई अखबार ही नहीं मिला उनको। और फैजाबाद के मेम्बर जो बोले थे मैं उनसे कहूंगा कि सरकार तकावी दे कर उनके मकान बनवाने में मदद देगी।

"कर बहियां बल आपनी, तजो पराई आस।"

मैं सरकार का एहसानमन्द हूं कि गांवों को ऊंचा करने से हमारे गांव बच गये और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि हमारे जिले के और गांवों में अगले साल यह स्कीम शुरू की गई तो गांव वाले उसके साथ सहयोग करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकट जिसके ऊपर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं इसका श्रीगणेश पहले इलाहाबाद की फूलपुर तहसील से हुआ और फिर हंडिया और सोरांव तहसील से बढ़ते हुए वह आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया गोरखपुर और फैजाबाद पहुंचा। जहां तक प्रयाग का सम्बन्ध है श्रीमान् मैं वहीं की चर्चा करूंगा और वही बातें करीब-करीब और जिलों पर भी लागू होती हैं। इलाहाबाद जिले में जो नुक्सान हुआ उसका सूक्ष्म ब्योरा यह है। कुल मिलाकर ९८ हजार ९५६ एकड़ खरीफ की काश्त पानी में चली गई और उसका नुकसान हुआ। ६४२ गांव इस नुकसान से पीड़ित हुए। २ लाख ७६ हजार ६०० आदमी इस संकट में पड़ गये। ३ हजार ७७६ मकान गिरे। ३ आदमी मरे और ३८ मवेशियों का भी नुकसान पहुंचा। ९८ मील कच्ची सड़क और एक बन्ध पानी से टूटा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संकट आया है यह पूर्णतः बाढ़ से नहीं है, नदियों में प्रायः बाढ़ आती है। उस प्रकार से अब की बाढ़ नहीं आयी। कहीं दो सौ मील ऊपर पानी बरसा तो नदियां बढ़ती हैं। बाढ़ गंगा में आती है, सरजू में आती है, यमुना में आती है, इन नदियों में अब तक किसी प्रकार की बाढ़ नहीं आयी। यह दैवी घटना अधिक पानी से उत्पन्न हुई। इतनी जब बारिश होगी तब स्वाभाविक है कि जमीन जलमग्न हो जायगी। मेरा अनुमान है कि यह पानी शायद १,२ दिन में बह जाता है, लेकिन ८,१० और १२ दिन तक पानी जमा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण उन रास्तों और नदियों का बन्द होना है जिनसे पानी निकलता था। मसलन फूलपुर क्षेत्र में मैलहन झील पानी से भर गई। इस झील में सर्दी गर्मी में ६०,७० एकड़ के घेरे में ही पानी रहता है लेकिन, अब उसका विस्तार लगभग १० मील लम्बा और ३ और ४ मील चौड़ा हो गया है। मैलहन झील से ही वरुणा नदी निकलती है। वरुणा को काशी वाले अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब पानी कम हुआ तो वरुणा के पुल के नीचे की हालत देखने से ताज्जुब होता है कि उसका विस्तार अधिक नहीं है फिर उसके दो तिहाई हिस्से में काश्त हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो पानी निकलने के नाले और रास्ते थे उनमें चाहे ग्रो मोर फूड कैम्पेन के कारण या और जो जमीन के अन्दर काश्त बढ़ी उसके कारण इतनी काश्त शुरू हो गई जिससे कि जमीन का लेविल ऊंचा हो गया और पानी बहने में रुकावटें पैदा हो गई हैं। मैंने यह भी देखा है कि जो रेल के कल्वर्टस हैं, उनके मुंह तक में आपको खेती मिलेगी जिसके द्वारा कि पानी का बहाव रुक गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कारण को दूर करने की चेष्टा की जाय यह सबसे मुख्य चीज है। लेकिन जो इस वक्त कष्ट सामने आया है उसको दूर करने के लिये सरकार ने जो बातें कीं, वे सब प्रकार से उचित थीं और इलाहाबाद जिले में मैं निवेदन करूंगा कि इन्तजाम काफी माकूल रहा और कर्मचारियों के द्वारा अच्छी तरह से काम हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो बिना जमीन के मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनकी शोचनीय हालत की तरफ ध्यान दिया जाए। वह जो काम करते थे धन्धा करते थे, खेतों में पानी भर जाने

[श्री शिवनाथ काटजू]

के कारण आज उनका धन्धा खत्म हो गया है । उसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं हैं । हमारी तहसील में ही दो बड़ी सड़कों के बनाने की योजना है एक फूलपुर से लेकर सोरांव तक और दूसरी फूलपुर से मलहन–मुबारकपुर । मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के बनाने के कार्य में यदि पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से या और किसी प्रकार से बाधा हो तो सरकार को देखना चाहिए कि उन बाधाओं का शीघ्र ही निवारण किया जाय । दूसरे श्रीमन्, मैं विशेष रूप से एक बात निवेदन करूंगा कि लोगों को जहां मुफ्त गल्ला दिया गया, माननीय केदारसिंह जो इस समय यहां नहीं हैं, उसमें भी उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने, ऐसे कष्ट के समय में भी वहां जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरू किया । जाहिर है कि यह कार्ड उन्हीं को दिये गये थे जिनके पास खाने पीने को नहीं था । लेकिन उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने वहां जाकर यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस वाले उन्हीं को कार्ड दिलवा रहे हैं जो उनके मित्र हैं और वहां की पात्र जनता को कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं । मैं यह अच्छी तरह से जानता था और मेरा शुरू में सुझाव भी यही था इस प्रकार के कार्डों का वितरण किसी राजनीतिक दल द्वारा न हो बल्कि सरकार की तरफ से ही और हुआ भी यही । जाहिर है कि कार्ड उन्हीं को दिये गये जो दरिद्र थे । लेकिन मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करूंगा कि इसमें भी मेरे कुछ मित्र राजनीतिक प्रचार का मौका समझ कर चूके नहीं । दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि आस्टरिटी प्राविजन स्कीम की कहीं-कहीं बहुत जरूरत है और खास कर के फूलपुर तहसील के मलहन के चारों तरफ के क्षेत्र में और सिकन्दरा परगने में जहां बहुत काफी हिस्सा बिल्कुल पानी में चला गया था । वहां पर अगर आस्टरिटी प्राविजन स्कीम लागू कर दी जाय जिसके द्वारा लोगों को कम खर्च में चीजें मिल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी । अब समय नहीं है, दो चार बातें और कहना चाहता था, लेकिन लाल रोशनी हो गई है, इसलिए इसी पर समाप्त करता हूं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ की जो समस्या उत्पन्न हुई है और जो वहां पर भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर भी है । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर समुचित कदम उठाती तो यह बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना कर सकती थी । मैं यह भी निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा क्रिमिनल नेग्लिजेंस आफ ड्यूटीज (अक्षम्य कर्त्तव्य अवहेलनाएं) हुई हैं जिनसे कि कुछ जिले और कुछ शहर बाढ़-ग्रस्त हुए हैं । श्रीमन्, मैं आजमगढ़ का वाकया आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । आजमगढ़ में जब नदी में पानी बढ़ना शुरू हुआ तो वहां पर कोलघाट, हरैया, लखराम, खोजापुर के निवासी २२ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कहने लगे कि सड़क जो चार फुट ऊंची कर दी गई है वह सड़क काट दी जाय, वरना शहर के पास के हमारे गांव डूब रहे हैं और हमारे घर डूब जायेंगे और हमारा घर गिर जायगा । श्रीमन्, आपको मालूम होना चाहिये कि सन् १९५३ में आजमगढ़ में जो बाढ़ आई थी मैं उस समय किसान सत्याग्रह के सम्बन्ध में आजमगढ़ में मौजूद था । यहां पर सड़क भी पानी में डूब गई थी । इस साल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ४–५ फिट व ३ फिट सड़क ऊंची कर दी । मैं गरमी के महीने में वहां गया हुआ था । जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने उस समय यह कहा था कि वहां से पानी के निकास का क्या रास्ता दिया जा रहा है जब कि सड़क इतनी ऊंची कर दी गई है । अगर इस सम्बन्ध में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठायी जाय तो उसकी निश्चित रूप से यह राय होगी कि यह जो ४–५ फिट, ३ फिट सड़क ऊंची की गयी है और पानी के निकास का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया और इस प्रकार पुराने बांध पर प्रेशर डाला गया । यह चीज सभी को मालूम है और इस सदन के लोग बता सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य में जो उस बांध के दूसरी ओर खाई थी उसका लेविल ऊंचा कर दिया जाता था ताकि उधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर दबाव में रहे । इससे बांध की हिफाजत होती थी । इसके अतिरिक्त सात वर्ष से लगातार उस बांध की तनिक भी परवाह नहीं की गयी । कैसे वहां पर पशुओं का आना जाना हुआ, घास

का काटना हुआ, उस घास का लगाना भी बन्द कर दिया गया। फिर यह कहना कि सरकार उसके लिये जिम्मेदार नहीं है, मैं समझता हूं कि यह सच्ची बात नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को रहनी चाहिये और यह जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस वहां के कर्मचारियों द्वारा हुई मैं समझता हूं कि उनको और स्वयं मंत्री जी को अगर वह अच्छी तरीके से देखें, तो स्वतः उनको इस्तीफा दे देना चाहिये, क्योंकि विभागीय कर्मचारियों ने आजमगढ़ शहर को डुबो दिया। २९ तारीख को मैं आजमगढ़ में उपस्थित था। जो चावल वहां मिशन स्कूल में बांटा गया उसका नमूना मेरे पास मौजूद है और उसको माल मंत्री और मुख्य मंत्री देखें। जिन सरकारी कर्मचारियों के नेतृत्व में यह चावल बांटा गया उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इस चावल के खाने से परेशानी पैदा होती है। उनके खाने से पेट में हैजे की बीमारी पैदा हो सकती है, नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। क्या इस सब की जिम्मेदारी इस सरकार के कर्मचारियों पर नहीं है और स्वयं सरकार पर नहीं है? श्रीमन्, कुछ लोग सरकार की तरफ के तो कहते ही हैं मगर जब विरोधी पार्टी के सदस्य भी उसी धारा में बहने लगते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है मैं समझता हूं कि यह पूर्वी-पश्चिमी जिले का सवाल नहीं है। यहां पूर्वी जिले में आफत आई हुई है। मानवता इस समय खतरे में पड़ी हुई है। तो यह कहना कि अगर पश्चिमी जिलों द्वारा दिया गया रुपया अगर पूर्वी जिलों को उठा कर दे दिया जायगा तो उससे पश्चिमी जिले के लोगों को ग्रज होगा और वह लोग ग्रज करेंगे। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है। और इस विभीषिका में पश्चिमी जिलों का समुचित रुपया भी दिया जाय तो कोई ग्रज नहीं करेगा। यह सब बातें सरकारी बेंच की ओर से कही जांय तो ठीक है, मगर विरोधी पार्टी के सदस्य अगर स्तुति के रूप में यह कहा करें तो अशोभनीय है। जौनपुर के लिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं। वहां १८७१ में जो बाढ़ आई थी उतनी बाढ़ इस साल नहीं आई और ५ फिट के करीब १८७१ के मुकाबले में लेविल इस साल कम रह गया। जौनपुर में एक बुढ़िया थी जो १८७१ के बाढ़ को देखे हुए थी, हमारे माननीय मित्र जो एक अखबार के सम्पादक हैं, श्री कृष्णदास जी, उनकी माता हैं। उन्होंने मुझे १८७१ की बाढ़ की कविता सुनाई और उसकी आखिरी लाइन इस प्रकार की है कि "चढ़ गया था अठारह हाथ पुलन पर पानी, अंग्रेज हुए हैरान अक्ल घबरानी।" तो १८७१ में भी जितनी हिफाजत की बात थी अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में, उतनी भी नहीं की गयी, जो कि अपने को जनता की हुकूमत कहती है, जोकि जन तंत्रिक प्रणाली पर चलने वाली हुकूमत अपने को कहती है। वह किस मुंह से कह सकती है कि इस सरकार ने क्या सुविधा और सहायता उतनी दी जितनी कि वह अपनी शक्ति भर दे सकती थी। मैं माल मंत्री जी की सेवा में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। ३,५०,००० मकान माननीय माल मंत्री जी के आंकड़े के मुताबिक इस बाढ़ से ग्रस्त हैं और उन्होंने २,३०,००० रुपया दिया। प्रति मकान पीछे करीब बारह आना पड़ता है। श्रीमान्, मुझे अभी काफी कहना है, थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं ८ मिनट माननीय सदस्य को दे चुका हूं, दो मिनट और दूंगा।

श्री राजनारायण—अच्छा, जो अगर यह हिसाब लगायें तो १२ आने फी मकान पड़ता है १२ आने फी मकान की सहायता दे रहे हैं ९१ करोड़ के बजट में। मैं पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ में वह नया बांध बंधा क्यों। वहां के इंजीनियर का नाम श्रीमन् हमारे पास है। उसका नाम अगर चाहें तो मुख्य मंत्री जी को भी बताऊंगा और माल मंत्री जी को भी बतलाऊंगा। जब मैं नाव पर आ रहा था तो वह इंजीनियर जिनका नाम रामअधार सिंह था मिल गये। उनका कहना था कि मई और जून के महीने में जो बांध बांधा जायगा वह निश्चित रूप में पानी के पहले धक्के में गिर जायगा क्योंकि मई और जून के महीने में मिट्टी सूख जाती है उसकी लसी सूख जाती है, भुरभुरी रहती है, वह पानी के धक्के को नहीं संभाल सकती है। हमने उससे कहा कि फिर तुमने यह बांध क्यों बांधा? उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से कहा था लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि बांध बांधते चलो "People should know that the Government is doing something." (जनता यह जान पावे कि सरकार कुछ कर रही है) उसके ये शब्द

[श्री राजनारायण]

थे। मैं आपसे कहना चाहता कि उन्होंने चार वर्ष तक योजना बनाई। माननीय माल मंत्री जी ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट ४९ में भी आयी कुछ, ५० में भी आयी कुछ, ५१ में भी आयी। लगातार ७ वर्षों से बाढ़ से हिफाजत करने की योजना यह सरकार बना रही है। दहीपुर का नाला जो कि जौनपुर से ३ मील पश्चिम चल कर २ मील पूर्व से मिलता था उसमें पानी का चढ़ाव होता था। उस नाले के लिये क्या इस सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया? उस नाले से क्यों नहीं हिफाजत की गई? उस नाले को नहीं खोदा गया। ११ फीट नदी के फ्लड का लेवल ऊंचा हो गया है जिसको कोई भी देख सकता है। सरकार के कर्मचारी क्या करते थे सालों तक? जहां तक इतनी लापरवाही हो, जहां उदासीनता हो फिर उस उदासीनता कर्त्तव्य भाव को रखते हुये अगर कोई सरकार चाहे कि बांध बनाकर बाढ़ से हिफाजत की जाय तो वह नहीं कर सकती है। यह सरकार के निकम्मेपन से साबित हुआ है। जब मैं कहता हूं कि यह सरकार भी दोषी है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की पीड़ित मानवता को दुख पहुंचाने में तो मैं महात्मा गांधी को अपने पक्ष में कोट करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा है मुझे अफसोस है कि महात्मा गांधी जी की इस बाणी को जब पिछले साल बाढ़ पर वादविवाद हुआ था तभी मैंने दुहराया था मगर सरकार के लोग उसी चीज को बार-बार दुहराते हैं, महात्मा जी ने कहा है कि यह कह देना कि नेचुरल क्लामिटी है और इससे मानवता की हिफाजत नहीं की जा सकती ठीक नहीं है। बाढ़ से हिफाजत की जा सकती है। रोग से हिफाजत की जा सकती है अगर किसी को रोग हो। वह भी तो नेचुरल क्लामिटी है, उसकी दवाई होती है। माल मंत्री जी ने कहा कि केवल ८८ नावें बन पायीं क्योंकि सरकार ने यह कह दिया था कि जो गांव सभा नाव बनाने की आधी कीमत देंगी वहीं सरकार नाव बनवायेगी। कहां गांव सभा के पास रुपया है? क्या माननीय माल मंत्री जी इन जिलों में नावों की व्यवस्था करने के लिये ४, ६, १० लाख रुपये नहीं दे सकते थे? ८८ नावें बनवाने में सरकार ने कितना खर्च किया। बिल्कुल नगण्य है।

मैं माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बनारस के जिले में हमारे सामने मालगुजारी काटी जाती है, पिछली तकावी का बकाया काटा जाता है तब नयी तकावी दी जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हमने इसकी शिकायत की तो हमें रूल्स कोट किये जाते हैं कि तकावी के कानून में लिखा हुआ है कि अगर पिछली तकावी का किसी के पास बकाया हो तो गवर्नमेंट उसे नयी तकावी नहीं दे सकती। एक तरफ इतनी आफत हो कि लोग हमौत से खेल रहे हों, रहने के लिये घर न रह गये हों और तकावी देने में सरकारी लोग कहें कि पिछली तकावी दे दो, पिछला लगान दे दो, सरकार को इन कामों की ओर निगाह डालनी चाहिये ताकि आइन्दा ऐसे गलत काम न हों,

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कि पुराने माननीय नेता विरोधी दल के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। असल बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि किसी राष्ट्र में, किसी देश में कुछ घटनायें ऐसी होती हैं जिन पर देश के प्रत्येक नागरिक एक मत होते हैं और मेरी छोटी सी राय में उपाध्यक्ष महोदय, यह दुखद घटना बाढ़ की एक ऐसा संकट है जिसको दूर करने में इस प्रांत के सभी नागरिकों को एकमत होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आदमियों की एक आदत पड़ गयी है कि वह अपने एक रास्ते से बातें करें और एक ही रास्ते पर चलें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच हो सकता है कि जिस प्रकार से आलोचनायें करना या सुझाव देना चाहें वह रास्ता ठीक हो या न हो, लेकिन वह तो उसी एक रास्ते पर चले जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ का संकट इस प्रांत में एक अजीब तरीके से आया है। जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ नहीं आई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जिले के छोटे-छोटे नाले या छोटी-छोटी नदियों में जिन से कभी यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि उनसें बाढ़ आ सकती है, उन्होंने इतनी आफत मचायी कि इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता है। मैं उदाहरण के लिये कहता हूं कि हमारे जिले में सई नदी से बाढ़ आया करती थी। लेकिन हमारे यहां पट्टी तहसील जिला प्रतापगढ़ में परैया नाम का एक छोटा सा नाला है जिसके संबंध में कभी यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसमें बाढ़ आ सकती है। उसी ने सारी तहसील को डुबो दिया। उसने वह जोर मारा कि परैया नदी पर जो पी० डब्लू० डी० का मजबूत पुल है और वह ऐसा नहीं है जिसके लिये किसी इंजीनियर ने कहा हो कि वह जल्दी में बनाया गया है जैसा कि राजनारायण जी से किसी इंजीनियर ने कहा था। अगर कोई इंजीनियर ऐसी बात मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में कहता भी और चाहे वह सत्य भी होती तो भी मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि उसका जिक्र सदन में करता।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजनारायण जी की सेवा में यह निवेदन कर रहा था कि परैया नदी से जो पुल बह गया प्रतापगढ़ जिले में वह कोई ऐसा पुल नहीं था जिसके बारे में किसी इंजीनियर ने कहा हो कि वह जल्दी में बनाया गया और यदि कोई मुझसे अपनी प्राइवेट टाक में ऐसी बात कहता और वह सत्य भी होती तो भी मैं उसको सदन के सम्मुख न रखता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाले ने गजब ढा दिया। उसके अलावा हमारे जिले में वाटर लौगिंग बहुत हुआ। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र में कुंडा तहसील में यह समस्या रही है कि एक तरफ से पक्की सड़क निकाली गई, दूसरी तरफ से नहर निकली और तीसरी तरफ से और नहर निकली तो इन तीनों के निकल जाने से बीच के गांव डूब जाते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि यह समय उचित है कि वह इंजीनियरों को आदेश दें कि वे वहां जाकर देखें कि पानी का निकास क्या हो सकता है। इस समय गांव के लोग बतला सकते हैं, यों तो हमेशा गांव वाले बतलाया ही करते हैं, लेकिन इस समय काफी असलियत का पता लग सकता है कि कहां सड़क कट जाती है और जिन सड़कों को और नहरों को काटकर निकाला गया है वहां कोई प्रबन्ध होना आवश्यक है।

मेरा ऐसा खयाल है कि पिरवा के पास परियावां गांव न डूबता अगर नहर के निकास का प्रबन्ध हो गया होता। हमने सुझाव दिया था लेकिन हमारे दुर्भाग्य से वह नहीं हो पाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि जिन स्थानों मे ऐसी बातें हैं और उनके लिये जो पंचवर्षीय योजना के अन्दर बातें हैं और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर उन बातों का प्रबन्ध करने की बात कही जा रही है उनमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिये। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित परगना है जिसमे जाने के लिये कोई साधन नहीं हैं वहां पर सड़क के चारों ओर पानी भर जाता है। जठवारा से लाल गोपालगंज के बीच जो सड़क है वह तमाम पानी मे डूबी हुई थी। तो बड़ी कठिनाई से सरकारी अफसर और गैर सरकारी लोग जो सेवा करने वाले लोग थे वह सब घुटने-घुटने पानी मे चलकर ३,४ और १० मील तक पानी के अन्दर चले और उन्होंने गांवों के अन्दर जाकर सहायता का कार्य किया है। यह बात सच है कि जितनी सहायता गांव वालों के लिये आवश्यक है उतनी उनकी सहायता नहीं की जा सकी, लेकिन यह भी अपनी जगह पर सच है कि गांव वालों को जो भी सहायता पहुंचायी गयी है उससे उनको बड़ा सहारा हुआ और उससे उनका बड़ा साहस हुआ। साहस इस बात के लिये हुआ कि उनकी सरकार के लोगों ने और गैर सरकारी संस्था के लोगों ने उनके दुख में जाकर हाथ बटाया। हमारे जिले का तो माननीय मुख्य मंत्री ने सबसे प्रथम दौरा किया। उनका बड़ा अच्छा प्रभाव हमारे जिले पर पड़ा। जो राज्य कर्मचारी हैं और जनसेवक हैं उन सबने मिलकर इस बात को समझा और यह आश्वासन चारों तरफ दिया गया कि जो भी सहायता की जा सकती है वह अवश्य की जायगी।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

मैं अन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक स्थान के लिये इसी समय कोई निश्चित योजना बनानी चाहिये। आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों से और इस प्रांत के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि यह समय नहीं है कि इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाय। माननीय गेंदासिंह जी ने यदि सत्य कहा है तो वह सत्य ही हमेशा रहेगा और जो उन्होंने नुक्स जाहिर किये हैं वे उनको मुबारिक रहें। बस इससे अधिक और मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उन गांवों को देखने का मौका मिला है जो टोंस, घाघरा और लकड़ा नाला से पीड़ित हुये हैं और साथ ही साथ उन सरहदी जिलों को भी देखने का मौका मिला, जो बलिया से सटे हुये गाजीपुर आजमगढ़ और देवरिया के इलाके हैं। वहां के लोगों की स्थिति को देखा और यहां आने पर उन जिलों के लोगों से जो हमारे साथी हैं और जिनसे पहले बात नहीं हुई उनसे भी वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानने का प्रयत्न किया है और यह जानना चाहा है कि हमारी सरकार ने उनकी कितनी मदद की और वहां के लोगों का नैतिक स्तर किस प्रकार का रहा है। इन तमाम बातों को जानने पर मुझे यह प्रसन्नता है कि लोगों ने मुझे बतलाया कि सरकार जितनी भी सहायता दे सकती थी उसने उतनी सहायता दी। वहां के जिलाधीशों ने बड़ी तत्परता के साथ वहां की स्थिति को प्रदेश की सरकार को बताया और प्रदेशीय सरकार ने भी तदनुसार जो भी सहायता हो सकती थी वह उनको दी और वहां के लोगों का जो नैतिक स्तर था उसके बारे में लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। मैंने अपने जिले में टोंस, घाघरा और लकड़ा नाला के किनारे के गांवों को देखा और मैंने देखा कि गांव के गांव पानी से चारों तरफ से घिरे हुये हैं। प्रकृति अपनी क्रूरता का प्रचंड रूप धारण किये हुये थी। लोग अपने गांवों से दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे। जब मैं उस दृश्य को सोचता हूं तो दिल में बड़ी परेशानी पैदा होती है। हमारे यहां बाढ १९ तारीख से शुरू हुई और १९ तारीख से लेकर अभी तक वहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। सैकड़ों गावों में बाढ़ का प्रकोप है और हजारों व्यक्ति बाढ़ की लपेट से बुरी हालत में हैं। मैंने यह देखा कि २४ तारीख से पहले तो हमारे जिले में नाव का प्रबन्ध नहीं था। एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को अपनी नाव से मदद दे रहे थे। २५ तारीख को सरकारी नावें आईं। सरकारी और गांव की नावों द्वारा बच्चों को बूढ़ों को और जानवरों को ऐसे स्थान पर ले जाया गया, जो पानी से ऊंचे थे। कोई भी ऐसा स्थान आसानी से नहीं मिल पाया जहां उन्हें कुछ दिनों तक रखा जा सके। हम लोगों ने थोड़ी सी जगहों को ढूंढा और वहां उनको टिकाने की कोशिश की, लेकिन वह अपर्याप्त रही। लोग परेशान थे। जिलाधीश महोदय ३० और ३१ तारीख को आये और वहां की स्थिति को देखा। शायद सरकार के पास इसके पूर्व बाढ़ की सही सूचना नहीं आई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब लीडर समाचार पत्र के सम्वाददाता ने अपने अखबार में बाढ़ की भयंकरता की खबर दी तब जिलाधीश महोदय बाढ़ के इलाके में आये। वहां का दौरा किया और सहायता दी।

हमारे यहां चारे की बहुत कमी है। कहा जाता है कि रियायत से भूसा २ रुपये १४ आने मन दिया जायगा। हमारे जिले में ५३ व ५४ दोनों में बाढ़ आई और किसानों ने ५४ में दोनों वर्षों के सरकारी मतालबात को अदा किया। अब किसान कैसे इस भाव में भूसा खरीद सकता है? इसलिये मैं चाहता हूं कि यह भूसा तकावी के रूप में और बिना ब्याज दिया जाय। बाढ़ हर साल आती है और लोग परेशान होते हैं। इसलिये कुछ ऐसे स्थान बनाये जावें जहां जमकर लोग बच सकें। सन् ५३ में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बाढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ करने का हुकुम फरमाया था, लेकिन इस बात से केवल सरकारी स्कूलों के या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही फायदा उठा सके और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के बच्चों को कुछ फायदा नहीं मिला। जो रुपया हमारी सरकार ने उनको इस मद में

दिया था उसका उचित रूप से उपयोग नहीं हुआ। इसलिये यह आदेश यहां से जाना चाहिये कि इस रुपये का ठीक ढंग से उपयोग हो।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपकी इजाजत से विरोधी पक्ष के नेता माननीय गेंदासिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। हमको पहले भी इस बात का विश्वास था और आज और कल जो उनके भाषण हुये उनको सुनने के बाद हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि अब हमको विरोधी पक्ष की ओर से उस प्रकार की रचनात्मक आलोचना प्राप्त होगी जो कि किसी भी लोकतन्त्रात्मक शासन में केवल विरोधी पक्ष से ही प्राप्त हो सकती है। गेंदासिंह जी ने जो बातें कहीं और आलोचना की, उनमें उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनमें बहुत काफी वजन है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट निश्चय ही उनके ऊपर विचार करेगी और यथासंभव उनके संबंध में कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी। मैं सोच रहा था कि आज से कुछ दिन पहले जो माननीय सदस्य उनकी गद्दी को सुशोभित कर रहे थे या उस गद्दी से जो माननीय सदस्य शोभा प्राप्त कर रहे थे, उनका जो अभी भाषण हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करूं या न करूं। अन्त में मैंने सोचा कि एकाध बात में उसका जिक्र करना ही चाहिये। कुछ लोग स्वाभावतः मैसोजिनिस्ट होते हैं। यह उनका दुर्भाग्य होता है कि उनको कहीं भी दुनिया में अच्छाई देखने को नहीं मिलती। माननीय राजनारायण जी उन लोगों में हैं जिनको किसी ऐसे कार्य में भी, किसी ऐसी जगह, जिससे कांग्रेस का या किसी कांग्रेस जन का या इस गवर्नमेंट का संबंध हो, कोई भलाई देखने को नहीं मिलती। यह उनका दुर्भाग्य है और भलाई बुराई की तो यह बात है कि अभी जो लोग थे जो कल तक भले थे आज वे बुरे हो गये और बुराइयों के दायरे में आगये। मुझे बहुत तो आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने यह देखा कि माननीय गेंदासिंह भी खुशामदियों की लिस्ट में गिन लिये गये हैं। उन्होंने और बातों के साथ-साथ मेरे पास दोचार दाने चावल के भेजे जिनकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की थी। यह हो सकता है कि ये दाने उस चावल का नमूना हो जो उस क्षेत्र में बांटा गया हो। चावल जरूर बुरा है और मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं थी। जो भी देखेगा वह कह देगा कि बुरा चावल है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है। श्री राजनारायण जी को केवल आलोचना करनी थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके जिम्मे यह काम था कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी सहायता करें। जब भारी विपत्ति यकायक सामने आजाती है तो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, जो कि साधारण तौर से नहीं होतीं। जिस समय यह प्रश्न हो कि बहुत से आदमी पानी में घिरे हुये हों और भूखे हों, उनको कुछ तात्कालिक सहायता पहुंचानी है, तो हो सकता है कि कुछ बुरा भी स्टाक जो मिला हो वह पहुंचाया गया हो। आसपास से जौनपुर, आजमगढ़, बनारस में न जाने कहां कहां से अनाज भिजवाने की बात हुई। हो सकता है कि कुछ अच्छा और कुछ खराब सामान रहा हो। लेकिन राजनारायण जी को कहीं अच्छा अन्न देखने को मिला ही नहीं, खराब ही अन्न उनको देखने को मिला।

श्री राजनारायण---आपको क्या मालूम आप तो हवाई जहाज से उड़े थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हां, मैं हवा में उड़ा और कुछ जगह जमीन पर भी उतरा था। जहां तक बाढ़ की बात है, लोगों के आंसू पोंछने की जो कुछ कोशिश हो सकती थी और आगे भी करने की जरूरत है उन बातों की तो विस्तार के साथ चर्चा माननीय चरणसिंह जी ने की। उन बातों को मेरे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो सुझाव यहां दिये गये हैं उनके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो दो एक चीजें हमारे सुनने में या देखने में आईं उनकी मैं थोड़े में चर्चा करना चाहता हूं। मुझे कुछ देर पहले यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि और लोग तो गये लेकिन चरणसिंह जी बाढ़ के क्षेत्र में क्यों नहीं गये। जिन सज्जनों ने यह शिकायत की उनको एक बात खयाल में रखनी चाहिये थी कि जो स्थानीय काम होते हैं वे होते ही रहते हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वे जारी रहते हैं। उसके साथ ही साथ १५,१६ जिलों में यकायक इतनी बाढ़ आ गयी वहां कहीं नावों की जरूरत थी तो कहीं खाने के सामान की, कहीं कपड़ों की, तो कहीं रहने के सामान की, ऐसे वक्त में इस बात की सख्त जरूरत थी कि एक आदमी पांव तोड़ कर लखनऊ में ही बैठा रहता। जगह-जगह से लोगों की रिपोर्टस् आ रही थी, जिलाधीशों की रिपोर्टस् आ रही थीं उनके बारे में यहां बैठ कर फैसला देता। दूसरे बाहर जाने आने में १—२—४ घंटे लगते भी हैं, वहां लोगों से मिलना भी पड़ता है, काम करने में कुछ समय जाता ही है जो लोग बाहर जाते हैं उनकी रिपोर्टस भी यहां आती हैं, लोगों के जीवन को बचाने की रिपोर्टस् आती हैं तो ऐसे सब कामों को देखने के लिये यहां एक शख्स को रहने की सख्त आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि बजाय इसके कि वह भी बाहर जाते और जाने-आने और लोगों से बातचीत करने में अपना समय लगाते उनका यहां रहना अधिक आवश्यक था।

यह बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य ने अभी प्रकृति के ऊपर इतनी विजय नहीं पायी है कि वह प्रकृति को इस किस्म के काम करने से रोक सके। इससे पहले मुंगेर में भी मैंने एक ऐसा ही तमाशा देखा था; वहां भूकंप आया हुआ था। वहां मुझे डेढ़ माह रहने का मौका मिला। ऐसा ज्ञात होता था कि वहां कोई महायुद्ध हुआ हो, भयंकर बमों की वर्षा की गयी हो। उसी प्रकार की हालत आज हमारे यहां के कुछ जिलों में दिखायी देती है। इसके समझने में बुद्धि कुंठित हो जाती है कि क्या कभी मनुष्य प्रकृति के इस तांडव को रोक भी सकेगा, परन्तु जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इस विज्ञान के युग में जितना संभव हो सके, जितनी क्षति को कम किया जा सके, उतना कार्य करना चाहिये। उसके लिये बांध आदि का निर्माण करना चाहिये। दुर्भाग्य से विज्ञान के द्वारा जो भी काम हो सकते हैं उनके लिये हमारे देश में बहुत कम साधन हैं, रुपये पैसे की भी कमी है, तथा उन लोगों की कमी है जिनकी इन कामों के लिये आवश्यकता होती है। एक पंच-वर्षीय योजना समाप्त हो गयी है और दूसरी चालू होने वाली है, उनमें माननीय सदस्य देखेंगे कि हमारा एक-एक पैसा लग जायगा और फिर भी बहुत से कामों में जितना पैसा हम लगाना चाहेंगे नहीं लग पायेगा। इसी प्रकार की न जाने कितनी पंच-वर्षीय योजनायें आयेंगी। पैसे की कमी के अतिरिक्त जैसा कि मैंने अभी कहा हमारे यहां ट्रेंड परसोनल की बहुत बड़ी कमी है। अगर आज कहीं कोई जगह खाली होती है जो आपको एम० ए०, बी० ए०, तो बहुत मिल जायेंगे लेकिन अगर हम ओवर सियर्स को ढूंढना चाहें तो वे हमको नहीं मिलेंगे। हमारे म्युनिसिपल बोर्डस में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में ओवरसियर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन नहीं मिल पाते। लोग इंटरव्यू तक में आने का कष्ट नहीं करते। सुबह के प्रश्नों में दो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन्स का जिक्र था। उनमें हम दोष दूर करना चाहते थे। इस इंस्टीट्यूशन में दुगनी सीट्स कर दी गयी हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता हमें है उसमें फिर भी कमी ही रहेगी। इसके लिये हाथरस में हम एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा हम एक ऐसा केडर भी तैयार करने की सोच रहे हैं जो ओवर-सियर से कम का हो। ऐसे केडर भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर तैयार करने के लिये स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन ओवरसियर्स और इंजीनियर्स की कमी के कारण ही रोड्स आदि बनाने वाले मजबूर हो जाते हैं। फिर भी जहां तक हो सकेगा कोशिश की जायगी और जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा बांध वगैरह और प्रदेशों की भांति यहां भी बनाने का प्रयत्न किया जायगा।

इस वर्ष एक बात और हुई कि अब तक का हमारा जो अनुभव था वह उलट पड़ गया। जिसकी पहले कोई आशंका नहीं थी, जिन नदियों का नाम उन जिलों के बाहर शायद ही किसी ने सुना हो, ऐसी कुआनों आदि नदियां और नाले उबल पड़े। लेकिन जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं जैसे घाघरा, राप्ती, गंडक, इन नदियों के लिये फ्लड प्रोटेक्शन के लिये जो रुपया मंजूर हो चुका है और जिसके सम्बन्ध में काम शुरू हो चुका है वह मैं बतला देना चाहता हूं। घाघरा के लिये एक करोड़ ९० लाख, राप्ती के लिये ९० लाख, गंडक के लिये ५५ लाख

और जो दूसरी छोटी-छोटी नदियां हैं जिनका यमुना क्षेत्र से सम्बन्ध है उनके लिये ३५ लाख और गंगा के लिये ८० लाख, इस तरह से ४५० लाख रुपया फ्लड प्रोटेक्शन के लिये मंजूर हो गया है और इस वक्त तक ६६ लाख रुपये का काम हो चुका है। आशा है कि अगले दो तीन वर्षों में या अधिक से अधिक ५ वर्षों में निश्चित रूप से इन नदियों पर प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा है वह खत्म हो जायगा और आशा की जाती है कि इन नदियों से आने वाली बाढ़ का जहां तक सम्बन्ध है उसको हम सम्भाल लेंगे। जहां पर अन्दाजा हो सकता था, जहां पर आशंका हो सकती थी कि बाढ़ आने का खतरा है वहां पर उसके लिये प्रबन्ध किया गया था। अब कोई चाहे तो इसको नेगलिजेंस कह सकता है या जो भी चाहे नेगलिजेंस कह ले, क्रीमिनल नेगलिजेंस कह ले, उसको कहने के लिये कोई रुकावट नहीं है। इन छोटी-छोटी नदियों से इस किस्म की आशा नहीं की जाती थी कि वे इस तरह से उबल पड़ेंगी। बहरहाल , यह चीज सामने आयी और आगे भी हम इस का प्रबन्ध करेंगे।

एक चर्चा यहां यह हुआ कि जो अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स हैं वे लोग जा कर देखें कि इस वक्त वहां की क्या हालत है और किस तरह से वहां काम किया जा सकता है, जिससे आगे इस तरह की चीज न हो सकें। कल ही चरणसिंह जी ने बतलाया था कि यह चीज हमारे सामने है और इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनको भी हमने लिखा है और उन्होंने अपनी तरफ से इंजीनियर नियुक्त कर दिया है। हमारे पी० डब्ल्यू० डी०, के चीफ इंजीनियर श्री विष्ट हैं और श्री मित्रा जो इरीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हैं, इन तीनों के जिम्मे यह काम निश्चित कर दिया गया है कि वे इन क्षेत्रों में जा कर देखें कि कहां पर कितना नुक्सान हुआ है, कहां पर सड़कों की वजह से गड़बड़ी हुई है, कहां पर नहरों की वजह से गड़बड़ी हुई है, और कहां पर रेलवे लाइन की वजह से गड़बड़ी हुई है। ये तीनों आदमी बाढ़ वाले हिस्सों में जायेंगे और जो खराबी होगी उसकी रिपोर्ट देंगे।

एक और चीज का चर्चा यहां किया गया। हो सकता है कि श्री राजनारायण जी इंजीनियर हों, लेकिन मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है, फिर भी यह जानने की चीज है कि जो बांध वगैरह टूटे उनके न टूटने के लिये क्या करना चाहिये था और कहां पर किस आदमी के नेगलिजेंस से या किसी आदमी की गलती से बांध वगैरह टूट गये और बाढ़ आयी इसके लिये कई रोज पहले हमने एक कमेटी नियुक्त कर दी है, जिसके सभापति श्री गोविन्द नारायण हैं तथा उसके एक सदस्य रुड़की युनिवर्सिटी के वायस-चांसलर तथा एक श्री विष्ट हैं। ये एक्सपर्ट्स हैं जो उस कमेटी के अन्दर हैं, ताकि वे जाकर देखें कि जो छोटी-छोटी खराबियां हैं जिनकी वजह से बहुत से गांवों के अन्दर बांध टूट गये और उनको टूटने से रोका जा सके और गांवों को इस तरह से बसाया जाय ताकि उनके ऊपर बाढ़ का कोई असर न हो सके। उनका काम यह भी देखना होगा कि किसी आदमी की गलती से तो बांध नहीं टूट गये। जो गोरखपुर तथा आजमगढ़ के बांध टूटे हैं। उसके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी गयी है, इसलिये मैंने जिक्र कर दिया। मैं समझता हूं कि मनुष्य का कर्त्तव्य प्रयत्न करना है और उसके लिये जहां तक भी हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं।

इस मामले में यह खुशी की बात है, सन्तोष की बात है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी तरफ से जहां तक मैं समझता हूं, कोई कसर उठा नहीं रखेगी। वहां के जो वित्त मंत्री श्री देशमुख हैं उन्होंने लिखा है और प्लानिंग विभाग के मंत्री जो श्री नन्दा हैं वे खुद यहां आये थे और कुछ क्षेत्रों में हवाई जहाज से वे गये भी थे उनसे मेरी बातचीत हुई, तथा खाद्य विभाग के मंत्री श्री अजितप्रसाद जैन हैं उन सब लोगों से मेरी बात चीत हुई और उन सबों ने यह आश्वासन दिलाया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हर तरह से जो कुछ भी होगा मदद करेगी। इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे सूचना है कि लगभग २५ करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमको फ्लड प्रोटेक्शन के लिये मिल जायगा। एक चर्चा यह भी थी कि लोगों को तत्काल काम

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दिया जाय। उसके लिये यह सोचा गया है कि जो काम पंच-वर्षीय योजना के लिये होने वाले हैं उनमें से जो काम इस वक्त लिये जा सकते हों उनके ऊपर काम शुरू कर दिया जाय। जिन गांवों की जमीन ऊंची करनी हो, उनको ऊंचा उठाने का काम शुरू कर दिया जाय। जो काम पहले अनप्लांड तरीके से होता अब प्लांड तरीके से होगा। उसके लिये प्लान तैयार हो जायगा। जब तक गांवों को बनाने का काम हाथ में लिया जायगा तब तक प्लान भी बन जायेंगे और जब हमको फिर से गांवों को उठाना जरूरी है तो उनको एक खूबसूरती के साथ और तरीके से उठावें ताकि वहां भी स्कूल, सड़कें वगैरह सब कायदे से बन सकें। इसलिये हम प्लान के साथ इन तमाम बातों का खयाल रख कर ही उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं और जो रिलीफ वर्क्स या टेस्ट वर्क्स वहां खुलेंगे उनमें तो गांव के लोगों को दूर भी जाना पड़ेगा, लेकिन इस काम में तो लोग खुद अपने घर के घर में ही काम पा जावेंगे और घर के पास ही में उन को काम मिल सकेगा और उस से उनको मजदूरी भी मिलेगी। साथ ही उनमें यह भावना भी होगी कि यह अपना काम है और उनको उससे अपने गांवों की उन्नति की आशा होगी और इससे वह ज्यादा उत्साह और लगन से काम कर सकेंगे। जहां तक जल्द हो सकता है और जैसे भी वहां से पानी हटेगा वैसे फौरन हमारा वहां काम शुरू करने का विचार है।

लड़कों की फीस के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने और दूसरे सदस्यों ने भी जिक्र किया। इस सम्बन्ध में हमारा विचार जो है और जिसका जिक्र माननीय चरणसिंह जी ने किया कि फीस के बारे में जो आदेश हैं और जो आज्ञा है उस पर अमल किया जाय, ताकि जिनके लाभ के लिये वह आदेश हैं उनको उस से फायदा पहुंचे। यह सवाल केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों या हायर सेकेण्डरी स्कूलों का ही नहीं है, बल्कि यह सवाल पूर्वी जिलों की यूनिवर्सिटी के लड़कों की भी दिक्कतों का है। उधर के अधिकतर लड़के बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वहां के वाइस-चांसलर ने मुझे लिखा था कि आप उस तरफ के लड़कों की दिक्कतों को देखते हुये तत्काल हमें कुछ रुपया भेज दें। हमने उनको ७,५०० रुपया भेज दिया है और साथ ही हमने उनको लिख भी दिया है कि अगर और रुपये की जरूरत हो तो वे लिखें। माननीय सदस्य देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स फंड में से भी कुछ रुपया दिया गया है। बनारस के लिये आप देखेंगे कि १०,५०० रुपया दिया गया है। कुछ माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा कि बनारस को इतना रुपया दिया गया है, लेकिन वास्तव में बनारस जिले को केवल १,००० रुपया ही दिया गया है। इसके साथ ही उन जिलों के कुछ लड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। यहां के वाइस-चांसलर को भी यहां से लिख दिया गया है कि उन लड़कों से फीस या जो कुछ भी लिया जाता है वह उनसे न लिया जाय, स्वयं दे दें वह दूसरी बात है, लेकिन जो न दे सकता हो उससे न ली जाय। इस तरह से जो फीस वगैरह नहीं दे सकते हैं उनके लिये लखनऊ युनिवर्सिटी में भी फीस वगैरह का इंतजाम होगा।

एक सदस्य—इलाहाबाद युनिवर्सिटी के लिये भी कुछ कर दीजिये, वहां भी उन जिलों के लड़के पढ़ते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये भी अभी मुझसे किसी ने नहीं कहा है। अगर वहां के वाइस चांसलर हमें लिखेंगे तो वहां के लिये भी कुछ न कुछ जरूर किया जा सकता है, वह न भी लिखें तो भी वहां के लिये भी निश्चय ही है, वहां के लिये भी सहायता होगी।

माननीय गेंदा सिंह जी ने और किसी और मित्र ने भी जिक्र किया कि उन जिलों में पंचायत राज टैक्स बहुत कड़ाई के साथ वसूल होता है। मेरी इस सम्बन्ध में माननीय अली-जहीर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया है कि वह आदेश भेज रहे हैं कि पंचायत राज टैक्स की वसूली रोक दी जाय।

श्री राजनारायण—लगान के बारे में भी तो कहिए, वह भी रोकिए।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके बारे में भी जो तरीका ठीक होगा वह बरता जायगा। माननीय गेंदासिंह जी ने एक और बात का भी जिक्र किया था, प्रादेशिक रिलीफ कमेटी के बारे में। और उस सम्बन्ध में उन्होंने श्री कमलापति जी का भी जिक्र किया था। इस मामले में उनको कुछ थोड़ी सी गलतफहमी शायद हो गई, उस को मैं साफ कर दूं। जहां तक फ्लड की बात है, या रिलीफ पहुंचाने की बात है वह रेवेन्यू विभाग करता है। अब प्रादेशिक तरीके पर स्टेट में कोई ऐसी कमेटी होना जरूरी है और जैसा कि मैंने एक कमेटी का जिक्र किया था हम जल्द ही एक कमेटी नियुक्त करने जा रहे हैं। कभी-कभी कोई सहायता ऐसी होती है जो सरकारी सहायता से अलग होती है और उसकी जरूरत होती है। उदाहरण के लिये इस फ्लड में तो आदमी कम मरे हैं, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी दूसरे नुक्सान हुए, लोगों के घर बह गये, बहुत सी विधवायें हैं, बच्चे हैं। उनके घर बार का इन्तजाम करना है, उनकी फीस माफ करना है, इस तरह की कई सहायता ऐसी हो सकती हैं जो सहायता के अन्दर सीधे तौर से नहीं आ सकतीं। तो इस तरह के कामों के लिये एक कमेटी मुकर्रर करने का हमारा खयाल है और उसके अध्यक्ष माननीय कमलापति जी होंगे। फ्लड के अलावा कुछ और भी दिक्कतें होती हैं। हमने देखा कि और सालों की अपेक्षा कई जगह आग लगी। और कई जगह सहायता भेजनी पड़ी। आग के जो शिकार हो जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को मदद की जरूरत है। यही नहीं कि तात्कालिक आगे भी जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे कामों के लिये एक कमेटी नियुक्त करने का विचार है और जल्दी ही नियुक्त होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा चरणसिंह जी ने जिक्र किया था कि आपत्ति है, खराबियां भी हैं, लेकिन उनमें एक स्वर्णिम रेखा दिखाई पड़ी है और वह है सहयोग जो इस साल दिखाई पड़ा है। हो सकता है कि कहीं कहीं पर किसी आदमी की तरफ से असहयोग हुआ हो। चाहे वह सरकारी नौकर हो, चाहे पब्लिक में काम करने वाला हो, लेकिन जो सहयोग दोनों तरफ से दीख पड़ा वह वाकई बड़ा आशाजनक है और अगर ऐसा सहयोग बराबर दीख पड़ा तो हमारी बहुत सी मुसीबतें हल हो सकती हैं।

आज एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि हमारे सदन के एक सदस्य के साथ किसी एस० डी० एम० ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूं जिनकी तरफ उनका इशारा था। उनका इशारा श्री जयराम वर्मा की तरफ था। उनसे किसी एस० डी० एम० की बातचीत हुई, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करना चाहता। उस की जांच होगी और जैसा होगा लेकिन एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उस बात का जिक्र किया उनको शिकायत भले ही हो, लेकिन ऐसी हालत में भी मैं तारीफ एक बात की करता हूं कि श्री जयराम वर्मा ने चाहे जो कुछ भी हुआ हो काम करना बन्द नहीं किया और खूबसूरती के साथ आज भी काम करते आये हैं। और अगर हमारे अन्दर भी वही भाव रहे और सहयोग की सूरत ऐसी दिखाई पड़े तो इससे बड़ी-बड़ी मुसीबतें भी हल हो सकती हैं। एक मिसाल मैं रखता हूं जिसको सुनकर शायद सब लोगों को बड़ी खुशी होगी। श्री भगवतीदीन तिवारी हैं जौनपुर के एम० एल० ए०। जब मैं जौनपुर गया था, तो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह भी सब लोग थे तो जिक्र हुआ कि एक गांव था और ६ सौ आदमी उसमें रहते थे और वह गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। पानी इतना जोरों का था कि मोटरबोट तक पानी से हट आती थी। मल्लाहों को काफी मोटी रकमें दी जाती थीं, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। तिवारी जी ने कहा कि पानी बढ़ रहा है लोगों की जानें चली जायंगी तो मैं अकेले जाऊंगा और अकेले ही हिम्मत कर के आगे बढ़ गये और बाद में उनकी हिम्मत को देख कर और लोग भी आये। यह तो एक मिसाल हमारे सामने है और भी कई मिसालें होंगी जहां पर लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जान पर खेल कर लोगों की जानें बचाई हैं। यह ऐसी चीज है जहां आशा मिलती है, ढाढस मिलता है, हिम्मत आती है कि यह मुसीबत क्या इससे बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं कौन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जानता है, लेकिन इससे हम इस मुसीबत को और इससे बड़ी मुसीबतें भी हों उन सबको अपनी हिम्मत के बल पर जीत ले जायेंगे और जिस शान के साथ हम अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं हम सब मिल-जुल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि एकाध जगह ऐसी बात हुई हो, किसी दल के कोई ऐसे आदमी रहे हों, जिन्होंने कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की हो और राजनीतिक दलबन्दी की कोशिश की हो और अगर ऐसा है तो वह अफसोस की बात है और यह उस आदमी की गलती की बात है, लेकिन जो मुख्य-मुख्य पार्टियां हैं मसलन, जौनपुर और जहां तक उसकी प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग हैं सरकारी अहलकारों से और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सब ने एक साथ मिलकर काम किया, सबने एक दूसरे से सहयोग किया। उसमें भी कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। जौनपुर में किसी पार्टी के लोगों ने पी० एस० पी०, के लोगों ने नहीं किसी और पार्टी के लोगों ने जहां पर काम लगा हुआ था वहां लोगों से कहा कि तुम को चला दिया जाता है, तुमको इस वक्त पूड़ी, तरकारी मिलनी चाहिये थी और इस तरह से उनको दूसरी तरफ हटाने की कोशिश की। ठीक है जो फायदा उससे उनका हुआ हो लेकिन तारीफ इस बात की रही, कि भिन्न-भिन्न पार्टियों के लोगों के सब के सामने एक आदर्श था कि हमारे प्रदेश पर मुसीबत आयी हुई है और इस मुसीबत का सबको मिल कर सामना करना है और अगर यह भाव रहा तो हमारा प्रदेश इस मुसीबत को पार कर जायगा और आगे भी हम अपने प्रदेश को निश्चय ही उस स्थान पर पहुंचायेंगे जहां पर उस को हम अपनी महत्ता से पहुंचाना चाहते हैं।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के विषय में मुझे अपने जिले बस्ती और गोरखपुर में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे जिले में आजमगढ़ शहर को बचाने के लिये एक नये बांध का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत के विषय में मुझे ठीक ज्ञात नहीं है लेकिन वह बांध बाढ़ के पहले ही धक्के में खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मालमंत्री जी इस बात को नोट करें और सरकार की ओर से जो कमेटी है लाल डिग्गी और मलौनी बांध के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये बनाई गई है। उसकी जांच के क्षेत्र में इस बांध के टूटने के कारणों की जांच करने की बात भी स्वीकार कर ली जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में उस बांध का भी नाम खास तौर से दिया हुआ है।

श्री झारखंडे राय---जहां तक मुझे मालूम हुआ है उस कमेटी की जांच अधिकार में लाल डिग्गी बांध और गोरखपुर जिले का मलौनी बांध दो ही हैं, लेकिन आजमगढ़ शहर को खास कर कचहरी भाग को बचाने के लिए जो नया बांध बनाया गया था, जो बाढ़ के एक ही धक्के में टूट गया, उसकी जांच भी इसमें शामिल कर ली जाय और इस बात को देखा जाय कि इस बांध को इतना पतला क्यों बनाया गया और जो लोग इसके लिये जिम्मेदार पाये जायं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाय, चाहे वह कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि जाहिर है कि कोई भी भ्रष्टाचार जो बांध के सिलसिले में होता है उस में केवल ठेकेदार और ओवरसियर ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी भी सांठ-गांठ अक्सर पाई जाती है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस बांध की जांच उस में शामिल कर के इसकी पूरी छान-बीन की जाय कि यह बांध क्यों टूटा। लाल डिग्गी बांध के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि यह बांध जो टूटा उस के विषय में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब १९५३ में बाढ़ आई थी और वह बांध ध्वस्त हुआ था उस समय जिलाधीश ने जनता के सहयोग से शहर को डूबने से बचा लिया था, लेकिन उस के बाद से उस बांध की कोई मरम्मत नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, लाल डिग्गी बांध जब रात में ध्वस्त हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इंजीनियर महोदय ने वहां इकट्ठा जनता को एलान करके बतलाया कि अब मिनटों में बांध टूटने वाला है, शहर डूब जायगा तुम लोग भाग जाओ। पूरी जनता को नर्वस किया। उस समय कांग्रेस जन, कम्युनिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, जनसंघ और हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं ने और जनता के लोगों ने मिल जुल कर बांध को रात भर में बचा लिया और रात में बांध नहीं टूटा और अगर रात में बांध टूट गया होता तो सैकड़ों आदमियों के मरने का समाचार हमें और आप लोगों को सुनने को मिलता। उस समय मैं खुद सौभाग्य से उन लोगों में था, जिन्होंने १३ घंटे नानस्टाप फिजिकल लेबर किया। सर पर डलिया और पीठ पर मिट्टी का बोरा ढोया। उस समय बिना किसी लिहाज के कौन किस दल का है, किस संस्था का है सब एक भाव से काम कर रहे थे कि शहर को बचाना है, लेकिन मैं कहूंगा कि उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों के हाथ पैर फूल गये थे। फ्लड डिवीजन के केवल दो इंजीनियर एक तो बाग्ची साहब और दूसरे एक सरदार साहब को छोड़ कर वहां कोई नहीं था, किसी का पता नहीं था। जो जैसा करता है उस की वैसी तारीफ भी करनी चाहिये। बाग्ची साहब ने हम लोगों के साथ घुटने घुटने पानी में स्वयं काम किया, यह नहीं कि केवल कराया ही। मैं कहूंगा कि लाल डिग्गी बांध की मरम्मत नहीं की गयी थी। सड़क को जो नीचा किया गया था उससे जो पानी का बहाव रुका था उससे पानी उलट कर बांध पर धक्का मार रहा था जिसके कारण लाल डिग्गी बांध टूटा। तो मैं राज नारायण जी की उन भावनाओं की कद्र करता हूं कि सड़क टूटने पर वहां की जनता के लोगों ने जिलाधीश पर बार बार जोर दिया कि सड़क काट दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय माल मंत्री जी को इस बात का पता होगा कि आजमगढ़ जिले में जिन सड़कों को नीचा किया गया खास कर मऊ और कोपा के बीच में, आजमगढ़ शहर में बड़े पुल और रोडवेज स्टेशन के बीच में, उसके कारण तमसा की बाढ़ का इतना भयानक रूप हुआ। २८ तारीख को मैंने खुद जिलाधीश महोदय को बारह बजे के करीब फोन किया कि जब सारा शहर डूब गया, लाल डिग्गी बांध टूट गया और आप इसको नहीं बचा सके केवल इसलिए कि सड़क न काटी जाय। उस समय भी कहा गया था कि सड़क के काट देने से, जहां सड़क कटेगी वहीं पर नुकसान होगा, बाकी सड़क भी शायद बच जाय। लेकिन इस लालच में कि सड़क बनी रहे, नतीजा यह हुआ कि सारी सड़क भी बह गयी और नया पुल भी टूट गया। बड़ा पुल जो ४१५ वर्ष का था वह भी काफी खतरे में पड़ गया। उसी तरह से हमने बतलाया कि एक नमूना हमारे सामने पेश है। ऐसी हालत में कृपा करके मऊ कोपा के बीच जो सड़क है उसको कटवादें, क्योंकि गांव वाले बराबर जोर दे रहे थे कि हम लोग मर जायेंगे। सड़क काटी जाय। उस सड़क पर पूरे ६ मील के बीच में एक मामूली सी पुरानी पुलिया थी फिर भी वह काटी नहीं गयी। नतीजा क्या हुआ? मऊ का पुराना ऐतिहासिक पुल टूट गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसकी जांच पड़ताल की जाय। हो सकता है कि चाहे वह एरर आफ जजमेंट ही हो। हम यह नहीं कहते कि कोई अधिकारी चाहता है कि बाढ़ आ जाय और लोग मर जायं। अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत है। चाहे वह एरर आफ जजमेंट ही हो लेकिन इसकी जांच की जाय। ऐसे मौके पर जब कि पूरा जनमत कह रहा था कि सड़कें काटी जायं, सड़कें क्यों नहीं काटी गयीं? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मिनट और देने की कृपा कीजिये।

एक बात और ध्यान में रखने की है। हमारे जिले में और अन्य जिलों में भी पुलों की संख्या बहुत कम है और पुलों की चौड़ाई भी बहुत कम है। मुझे याद है। श्री ब्रजबिहारी मिश्र जो कि हमारे जिले से इस सदन में निर्वाचित हैं, उन्होंने सदन में कई बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि आजमगढ़ जिले को बचाने के लिए जरूरी है कि पुलों की चौड़ाई बढ़ाई जाय, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे शहर में जब नया पुल बन रहा था उसकी चौड़ाई जो जिले से तामीरी विभाग ने लिख कर मांग की थी उससे करीब-करीब आधी मंजूर हो कर गयी। मैं चाहता हूं

[श्री झारखण्डे राय]

कि इसकी भी जांच की जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के शब्दों की कद्र करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सार्वजनिक विपत्ति के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार हों, चाहे वह बड़े से बड़ा हो उस पर सख्त कार्यवाही करें। तभी जनता का विश्वास प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। बाढ़ क्षेत्र के अलावा भी ऐसे स्थान हैं जहां कम नुकसान नहीं हुआ है। जहां पर बड़े-बड़े ताल थे, उनके पानी के निकास का पूरा मौका नहीं मिला, या नदियों ने उन तालों को भर दिया। उनसे भी हानि हुई है। मैं चाहता हूं कि जो सुविधाएं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों या किसानों को माफी के सिलसिले में दी जा रही हैं, अन्य लोगों को भी दी जा रही हैं, उसी तरीके की सुविधाएं उनको भी दी जायं जो कि तालों के बढ़ने से या बड़े बड़े जलाशयों के बढ़ने से पीड़ित हैं। इन शब्दों के साथ मैं बैठ रहा हूं।

श्री भगवतीदीन तिवारी (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दैवी प्रकोप जो हमारे जिले और पूर्वी जिलों पर हुआ है, उसमें थोड़ी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें जो तजुर्बे मुझे हुए मैं उनको माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं माननीय माल मंत्री और मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा और उनके जो बयान हुए हैं उनका स्वागत करूंगा कि जो उन्होंने मदद जनता को की है वह सराहनीय है। बधाई इसलिये भी दूंगा कि इतने दिनों में वह सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति को बदल सकने में सफल हुए हैं। इस दैवी प्रकोप के जमाने में सरकारी अफसरों ने जिस सेवा के भाव से काम किया है और जिस ढंग से उन्होंने जनता की सेवा की है उससे पता चलता है कि जो उनकी हुकूमत करने की मनोवृत्ति थी, वह बिल्कुल बदल गई है और यह मालूम हुआ कि वाकई वह जनता के सेवक हैं और उसी ढंग से उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसलिये मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने उनकी मनोवृत्ति को बदल दिया है और वह इस काम में पूरी तरह से सफल हुई है।

मेरे अपने जिले की हालत जो थी वह ऐसी थी कि वहां पांच तो बड़ी नदियां बहती हैं और इसके साथ-साथ करीब १० छोटी नदियां हैं? इनके अलावा नाले, ताल, तलैया, पोखर आदि हैं। उस जमाने में घनघोर वृष्टि हो रही थी और मैं तो घनघोर वृष्टि क्या कहूं, मैं तो कहूंगा कि बादल सीधे-सीधे जमीन पर उतर आये थे। जो आंकड़े माननीय माल मंत्री ने कल दिये हैं कि यहां-यहां इतने-इतने इंच पानी गिरा, मैं तो कहूंगा कि कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिरा है, क्योंकि संपूर्ण जिले की नापतौल की नहीं गई थी। कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा पानी गिरा है। मैं तो घूमता रहा और मैं समझता हूं कि २ दिन से लेकर १५ दिन तक हमारा पूरा जिला पानी के अन्दर रहा, क्योंकि यह १५, २० नदियां, ताल तलैया, पोखर सब इस तरह से वृष्टि के कारण उमड़ आये थे कि यह नहीं कहा जा सकता था कि कोई जमीन का हिस्सा खाली रह गया हो, क्योंकि पानी लगातार बरस रहा था और उसके निकलने का रास्ता नहीं था। कुछ ऊंची आबादी की जो जमीन थी, उसको छोड़ कर सब तरफ पानी ही पानी नजर आता था। मैं तो कहूंगा कि प्रलय की छोटी सी झांकी हमारे जिले में आ गई थी और अगर ७ रोज तक यह पानी और बरसता तो पूरी प्रलय ही हमारे जिले में आ जाती।

एक तजुर्बा तो हुआ कि इस दैवी प्रकोप के मुकाबिले में मानव शक्ति बहुत छोटी और नगण्य है। बावजूद इसके कि सरकारी कर्मचारियों ने और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने बिना किसी दल के भेद भाव के, अथक परिश्रम के साथ जनता की

सेवा की, जो काम हुआ, वह मुसीबत को टालने के लिये कम था। शहरों में तो सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा हर पार्टी के लोग मौजूद रहे लेकिन गांवों में बहुत कम लोग पहुंच पाये। गांवों में पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी जो गांव नदी के किनारे बसे थे उनके जानवरों, सामान और बच्चों को पीछे के गांव वालों ने बचाया। वे लाठी लेकर निकल पड़े और उन्होंने डूबने वालों को बचाया और उन लोगों को अपने यहां शरण दी। तो इस तरह से हर एक आदमी मदद कर रहा था। यह एक तजुर्बा हुआ कि किस तरह से दैवी प्रकोप से हर आदमी लड़ना जानता है और किस तरह से उससे लड़कर बचा जा सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि बावजूद इन सब तकलीफों के हमारे जिले में बाढ़ से एक भी आदमी नहीं मरा। जानवर तो जरूर कुछ मरे हैं और साथ ही साथ सामान भी कुछ बह गया, लेकिन आदमी बाढ़ से नहीं मरे। घर गिरने से जरूर कुछ मरे हैं, एक तो मैंने देखा भी बाद को, लेकिन वह बाढ़ की वजह से नहीं मरा। पानी बरसने की वजह से घर गिर पड़ा और उसमें २ आदमी, १ जानवर और एक कुत्ता मर गया। तो इस तरह से लोगों ने बचाया और मुसीबत में वह एक दूसरे के काम आये।

सरकारी आंकड़े जो माल मंत्री जी ने दिये हैं वह तो समूची बाढ़ के हैं, लेकिन हमारे जिले के बारे में जो आंकड़े हैं वह मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम हैं और नुकसान उससे ज्यादा जरूर है। क्योंकि समूचा जिला जलमग्न था, हमारा ख्याल है कि सरकारी जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उसमें २०५ गांव पूर्णतः बह गये, ३३६ को दो बटे तीन नुकसान हुआ, कुल १८५० गांवों की क्षति हुई है और ९ लाख ५१ हजार ८६७ पूरे रकबे की ६ लाख ५० हजार जमीन पानी में डूब गई थी। लेकिन यह सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आंकड़े तो केवल उस जगह के हैं जो दरिया के किनारे के थे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो गांव ताल या नालों या तालाबों के किनारे या बारिस के कारण जिन गांवों को क्षति हुई है यह इन आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। उस तरह से अगर कुल जोड़ा जाय तो मैं कहूंगा कि ३० हजार मकानों के गिरने के आंकड़े दिये गये हैं, पर ५० हजार मकान से कम हमारे जिले में नहीं गिरे होंगे। क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कच्चे मकान न हों और ज्यादातर कच्चे मकान हैं उसमें कम से कम एक बटे तीन मकान जो कच्चे हैं ऐसा नहीं है कि जो न गिरे हों। लेकिन अगर ३० हजार भी माना जाय तो १०० से लेकर ५ हजार, १० हजार की लागत के गांवों में कच्चे मकान रहे हैं। औसत अगर जोड़ा जाय तो मैं माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि करोड़ों रुपयों की तो मकानों की ही क्षति होगी और जो प्लान ५ वर्ष का आने वाला है जितना उस पर रुपया खर्च होने वाला होगा उतने से भी पूर्ति नहीं हो सकती। फसल तो हमारे जिले की सम्पूर्ण नष्ट हो गई। कुछ तो सफेद रूप में दीख पड़ती है जो बाढ़ का भाग था और कुछ लाल क्योंकि पानी जो बरसा लगातार तो पूरी की पूरी फसल लाल हो करके सूख गई। तो समूचे जिले में इस वक्त फसल नहीं है और मकान बाढ़ के एरिया में और बाहर के एरिया में दोनों में गिरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो मदद आप देना चाहते हैं वह लांग टर्म कर्ज की आप दें। हमारा जो शहर है उसे करीब करीब माननीय मुख्य मंत्री जी देख चुके हैं और लोगों ने भी देखा होगा कि जहां १०, १२ फुट पानी बह रहा था और इतना नुकसान हुआ है चारों तरफ से कि उसका कोई ठिकाना नहीं है तो वहां भी आपके पास रुपया तो रिकन्स्ट्रक्शन करें, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लांग टर्म का रीकन्स्ट्रक्शन का कर्जा दिया जाता है वह शहर और देहात दोनों के लिये लागू कर दें, क्योंकि देहात...

श्री चरणसिंह—सब जगहों के लिये है।

श्री भगवतीदीन तिवारी---बड़ी खुशी की बात है। इसी सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके यहां का कोयला मिलता है तो वह आप केवल कोआपरेटिव के क्लर्क को देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बाढ़ से जो क्षति हुई है उसके लिये अगर इंडिविजुअल भी अपना भट्टा लगा करके ईंट पकाना चाहे तो उनको भी दिया जाय।

स्कूल हमारे यहां के काफी गिर गये हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनको भी सहायता दें कि वे रीकन्स्ट्रक्ट हो सकें। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सबके सब गिरे हैं और मैं यह भी कहूंगा कि आप जब कि बाढ़ पीड़ित एरिया जो थे और पिछले तीन, चार साल से जो सूखा से पीड़ित थे जैसे मड़ियाहूं तहसील थी, शाहगंज का भी हिस्सा है, तो इन तहसीलों में जो आपने तकावी का कर्जा माफ किया है तो सूखा को भी उसमें शामिल करें।

श्री चरणसिंह---शामिल है उसमें।

श्री भगवतीदीन तिवारी---ठीक है। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

†श्री पदानार्थसिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५३ की बाढ़ से अभी आजमगढ़ संभला भी नहीं था कि सन् १९५५ की भयावनी बाढ़ ने उसे इस तरह बर्बाद किया है जिसे पूरी सरकार पूर्ण रूप से जानती है। जो कुछ जितना भी वहां का वर्णन था उससे ज्यादा यहां पर पहुंच चुका है और इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार ने इस विपत्ति के समय जिस उदारता और जिस तत्परता से सहायता पहुंचायी है वह सराहनीय है। न केवल सरकारी कर्मचारियों ने बल्कि दोनों ने मिल कर इस तत्काल विपत्ति का ऐसा मुकाबला किया है कि जिसे देख कर एक बार साहस से इससे भी बड़ी विपत्ति का मुकाबला करने का बल आ गया है। आजमगढ़ में टोंस नदी बीच से पार करती है और इसने इस तरह बरबाद किया है आगजमगढ़ को कि जितनी सड़कें हैं, सड़कों पर जितने पुल हैं, वे सब के सब पुल बह चुके हैं, टूट चुके हैं। टोंस नदी पर कुल मिला कर पांच पुल हैं। उनमें से एक तो बिल्कुल बह गया है मऊ में और शेष चार भी टूट कर ध्वस्त हो चुके हैं। जो नहीं टूटे हैं वहां दोनों तरफ सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं। आजमगढ़ और मऊ जो दो प्रमुख नगर हैं उनमें प्रवेश करना असम्भव सा है। नावों से या किसी तरह बड़ी मुश्किल से कीचड़ में से होकर पहुंचा जा सकता है। बड़ी भयावह स्थिति है। लोगों के दस-दस, बीस-बीस हजार तक की कीमत के मकान गिर गए हैं। एक छोटी सी नदी है मझुई उसने तो मकानों का इस तरह से सत्यानाश किया है कि जहां पहले सुन्दर मकान दिखाई पड़ते थे वहां अब सब उजाड़ पड़ा है और एक भी मकान नहीं रह गया है। इन बातों की चर्चा करने में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता वह इसलिए कि सरकार के मंत्री महोदय और दूसरे कर्मचारी इसको देख चुके हैं और जान चुके हैं। और जैसा मैंने कहा कि बड़ी उदारता और तत्परता से सहायता भी पहुंच चुकी है। आजमगढ़ में २८ इंच पानी बरसा और फैजाबाद में ५० इंच बरसा। कुल ७८ इंच पानी का बोझा आजमगढ़ पर पड़ा। इसलिए यह कहना कि बांध होते तो आजमगढ़ को नुकसान न पहुंचता, गलत बात है। हां यह जरूर है कि १९५३ में लालडिग्गी का बांध जब टूटने लगा था तो सन् ५३ के बाद मौलिक रूप से उसे बनाना चाहिए था, यह एक विशेष रूप से गलती हुई है, जिसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। और यह गलती भी क्यों हो गई मालूम नहीं, लेकिन खैर, गलती हो गई। तो ७८ इंच पानी का बोझ, चाहे बांध होते या न होते, बर्दाश्त करना मुश्किल था।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सरकार का ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं और वह यह कि प्रदेश के पूर्वी भाग प्रति वर्ष बाढ़ और सूखे के शिकार हुआ करते हैं। कभी बाढ़ आयी और बाढ़ के बाद ही सूखा आ गया। या बाढ़ नहीं आयी तो सूखा ही सूखा आ गया। फिर शिकायत आती है, यह सरकार भी शिकायत करती है और हम भी शिकायत करते हैं। हम पूर्वी भाग के रहने वाले भी शर्माते हैं कि अपनी विपत्ति को हर साल सरकार के सामने, दुनिया के सामने कहना पड़ता है, हमें भी लज्जा आती है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यदि सरकार पूर्वी भाग की रक्षा करना चाहती है, यदि सरकार इस विपत्ति को बचाना चाहती है और करोड़ों रुपये जो कर्ज के रूप में, दान के रूप में तकाबी के रूप में, तात्कालिक रिलीफ के रूप में, खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें बचाना चाहती है। तो इस प्रश्न को मौलिक रूप से हल करना होगा। मेरी प्रार्थना है कि पूर्वी भाग में जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, नीची और ऊंची भूमि है, बांध हैं, रेलवे लाइन हैं, जितनी सड़कें हैं और उन पर जितने पुल हैं.....

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उनका पूर्ण रूप से सर्वेक्षण होना चाहिए। एक व्यापक सर्वेक्षण करने के पश्चात् और उसका परिणाम अध्ययन कर लेने के पश्चात् उसका निवारण होना चाहिए। आजमगढ़ जिले की सड़कों पर जितने पुल हैं सब टूटे हैं। लेकिन रेलवे लाइन पर का एक भी पुल नहीं टूटा है। उसका कारण यह है कि रेलवे लाइन के पुल इतने लम्बे चौड़े हैं कि उनके नीचे से पानी आसानी से निकल जाता है। इस सर्वेक्षण के कार्य में रुपया बहुत खर्च होगा इसमें सन्देह नहीं है और यह कार्य भी बड़ा विशाल और मुश्किल है, लेकिन यदि प्रति वर्ष करोड़ों रुपये जो सरकार खर्च करती है, तात्कालिक रिलीफ के लिए, उसे बचाने का सरकार इरादा रखती है और पूर्वी भाग को भी एक सुख की जिन्दगी देना चाहती है और बदनामी और लज्जा से वहां के निवासियों को बचाना चाहती है तो यह कार्य जरूर ऐसा है कि जिसे आज नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा और यह करना अनिवार्य सा है। प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से भी इसे करना ही चाहिये। मेरी दो प्रार्थनाएं हैं, पहली प्रार्थना यह है कि टोंस नदी फैजाबाद जिले से निकलती है और आजमगढ़ को पार करती हुई बलिया में मिलती है। टोंस नदी अकबरपुर में, फैजाबाद जिले में एक ऐसे स्थान पर आती है कि वहां पर यदि बांध बांध दिया जाय तो उससे फैजाबाद जिले की जो बरबादी होती है प्रतिवर्ष वह गालिबन बन्द हो जाय और उसके बाद टोंस एक अच्छी कैनाल का रूप धारण कर ले। दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि टोंस नदी इतनी टेढ़ी है, इतनी अधिक तेजी से वह बहती है कि केवल आजमगढ़ जिले में अहरौला से मऊ तक वह १८० मील हो जाती है जब कि उस क्षेत्र की कुल लम्बाई केवल ८० मील होती है। यह टेढ़ी होने के कारण होता है। अकबरपुर में बांध बांधने के पश्चात् अगर इस नदी को सीधा किया जा सके तो इससे जिले का बड़ा हित होगा। सन् ५३, ५४ और इस साल भी, हर साल उसमें बाढ़ आती है और हर साल हजारों घरों को बरबाद और नष्ट करके जाती है। एक और प्रार्थना यह है कि अगर पूर्वी प्रदेश को बचाना है तो जिस तरह से बिहार में कोसी पर कार्य हुआ है उसी तरह से घाघरा पर हमारे यहां होना चाहिये। हर साल गोमती और टोंस में तो बाढ़ आती है, अगर घाघरा को ट्रेन नहीं किया गया तो पूर्वी भाग का बचना असम्भव सा है। यह संयोग की बात है कि घाघरा में बाढ़ नहीं आई। अगर आई तो इससे कहीं ज्यादा क्षति होती है और प्रतिवर्ष होती जाती है। इस लिए मेरा निवदन विशेष रूप से माल मंत्री और मुख्य मंत्री से है कि यह कोसी जरूरत से ज्यादा नुकसान बिहार में पहुंचाती है तो हमारे इस प्रदेश में भी घाघरा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। हम फिर दोहराते हैं कि आजमगढ़ और पूर्वी प्रदेश में जो क्षति हुई है वह अवर्णनीय है, लेकिन जो सहायता दी गयी है वह बड़ी उदारता से पहुंचाई

[श्री पद्मनाथ सिंह]

गयी है और उससे जनता में अजीब सा उत्साह और साहस, शक्ति और बल पैदा किया है और उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को मौलिक रूप से सुलझाना आवश्यक है। उसमें चाहे जितना रुपया लगे, समय लगे और शक्ति लगे, इसको मौलिक रूप से हल करना अनिवार्य सा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)— यह सब की राय है कि यह मामला बहुत बड़ा है। अगर कल लंच टाइम तक कम से कम इसके लिए समय बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह— जी हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो कल सवा बजे तक यह चलेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह दलील मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्रकृति पर मानव कब्जा नहीं कर सकता है। कल हमें बड़ी हार्दिक तकलीफ हुई कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि बाढ़ जहां आती है वहां की भूमि को सिंचित करके चली जाती है और वह वहां के रहने वालों के लिए सुखदाई हुआ करती है। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा सा मेरठ और आजमगढ़-बस्ती की अदला बदली कर लेते और हम लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं वह जावें मेरठ, अलीगढ़ और बुलन्दशहर में, तब पता चले कि राजस्व मंत्री जी को कि तकलीफ है या आराम। मेरा खयाल है कि राजस्व मंत्री उदार हृदय के हैं, वह मेरे इस थोड़े से सुझाव को स्वीकार करने का ऐलान सदन में करेंगे।

सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में जो अनुदान नावों के निर्माण में दिया गया था उससे केवल ८८ नावें बनीं और राजस्व मंत्री जी ने कहा कि गांव पंचायतों ने सहयोग नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी तकलीफ होती है और मैं तो उसी देहात और गांव का रहने वाला हूं जहां चारों तरफ से नदी का पानी घिरा रहता है। बाढ़ में मेरे गांव में गांव पंचायत के पास सरकार की तरफ से एक नाव आयी। जब मैंने सुना कि नाव आयी है, नाव के पास गया उसे नापा, जोखा और वहां एक गांव के लोगों की भी नाव थी जो कि वहीं के लोहार ने बनाई थी वह भी वहां मौजूद थी। उसने उसको नापा और यह फैसला किया कि यह अधिक से अधिक डेढ़ सौ रुपये की हो सकती है जिसको कि सरकार ने खरीद कर ६०० रुपये में भेजा है और जो नाव उसने बनायी है उसके लिए उसने कहा कि तीन, साढ़े तीन सौ रुपये मुझको दे दें तो मैं दे सकता हूं। मैं अदब के साथ कह सकता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग होता था उसी तरीके से इस विभाग में भी हो रहा है, कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी।

मेरा सुझाव है राजस्व मंत्री के लिये (राजस्व मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, दूसरे काम में लगे हुये हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जरा सा इधर भी ध्यान दिलायें) कि प्रत्येक गांव पंचायतों को ४०० रु० दिये जायें और इतना ही रुपया वे भी दिलावें। अगर ४०० रु० प्रत्येक गांव पंचायत के ग्रेन बैंक को दे दिये जाते तो मेरा ख्याल है कि ४००रुपये से कम ही में एक नाव तैयार हो जाती जिसे ६०० रुपये खर्च करके सरकार की ओर से प्रदान किया गया है जिसमें एक पशु भी नहीं जा सकता। बाढ़ के जमाने में हमने कहा कि एक पशु भी चढ़ाओ तो मल्लाहों ने कहा कि पशु एक भी इसमें नहीं जा सकता है केवल १५-१६ आदमी जा सकते हैं।

इसके प्रस्तावक माननीय माल मंत्री जी ने बयान किया और ऐक्ट भी है सन् ५१ का कि लोगों को ऊपर बसाने के लिये जमीन दी जाय लेकिन मैं नहीं भूल सकता, मैं तो एक बाढ़ पीड़ित

जिले का रहने वाला हूं। माननीय मंत्री जी के ऊपर तमाम प्रदेश का बोझ है, पर बरोहा, मोलनापुर, मूसा डोही आदि के बारे में हर साल बजट के दौरान में कहा, हर साल चिट्ठी लिखी कि यह जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घर जमीन कट गये हैं, उनको ऊपर बसने के लिये जमीन दी जाय। लेकिन आज तक जमीन उनको नहीं दी गयी और वहां के जो परगना हाकिम हैं वह नहीं चाहते कि लोगों को ऊपर बसने के लिये जमीन मिले। फिर उन्होंने कहा कि सन् ५३ में आर्डर दिया गया कि अगर गांव समाज की जमीन ऐसे लोगों के लिये न मिले तो सरकारी जंगल में बसाये जायं, जोतने को भी जमीन दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के कितने निवासियों को खेती के लिये जमीन दी गयी और कितनों को बसने के लिये जमीन दी गयी। आजमगढ़ की मुझे पूरी जानकारी है, कि एक भी गांव को ऊपर नहीं बसाया गया। परगना हाकिम घोसी सरकार के लाड़ले हैं, उनकी शिकायत की जाती है तो सरकार मानती नहीं है बल्कि पुरस्कृत करती है अर्थात् जिसकी हम शिकायत करेंगे उसको माननीय मंत्री जी या सरकार का कोई आदमी मानने को तैयार नहीं होता है। हां, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि जिससे शायद कुछ परिवर्तन हो उस नीति में, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस घोसी परगने का हाकिम काम नहीं करता। आजमगढ़ में १७ जुलाई से पानी बढ़ने लगा। मैं वहां पर १७ से २० तक था, घाघरा की बाढ़ देख कर मैंने २० तारीख को तार दिया कि आजमगढ़ में बाढ़ आ गयी है आप इन्तजाम कीजिये, लेकिन २० से २८ तक सरकार की ओर कोई इन्तजाम नहीं हुआ जब तक कि वहां के कलेक्टर की या और किसी की सूचना सरकार के पास नहीं आयी, मैं कैसे मान लूं कि सरकार सहयोग चाहती है जनप्रतिनिधियों का जब कि २० तारीख को तार दिया और उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि न मालूम कितना नुकशान हो गया, सैकड़ों पशु बह गये। फसलें तो नहीं बचायी जा सकीं थीं लेकिन और नुकसान रोका जा सकता था।

कहा जाता है कि मालगुजारी वसूली की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दे दी गयी है। हमें तकलीफ होती है कि जहां लगातार सन् ४९ से बाढ़ आयी हो और हर साल मालगुजारी में छूट होती हो, तकावी दी जाती हो, मुफ्त सहायता दी जाती हो, वहां की मालगुजारी की वसूली कलेक्टर के ऊपर छोड़ दी जाय तो मेरा यह ख्याल है कि कलेक्टर बदनाम नहीं होगा, वह सरकार की निगाहों में ऊंचा बनना चाहेगा, नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वह ऊंचा पद चाहता है, वह नहीं चाहता कि किसान लोग मालगुजारी अदा न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं ११ तारीख को तुगा चौरा में नायब तहसीलदार से मिला, मैंने कहा कि कहां घूमते हो उन्होंने जवाब दिया कि मालगुजारी वसूल करने तथा बाढ़ में सहायता करने के लिये। पुनः पूछा कि कोई आदेश स्थगित करने के लिये नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं और फिर 'पंचायत कर' न वसूल करने की घोषणा तो माननीय मुख्य मंत्री ने की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स को स्थगित करने की या उसको खत्म करने की घोषणा इस सदन में नहीं की गयी। मैं इसके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि उसकी भी घोषणा होनी चाहिये। मऊ के संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि दिसम्बर, १९५४ में एक मऊ पश्चिमी कछार सम्मेलन हुआ था जिसमें हमें भी जाने का अवसर मिला था उसमें हजारों जनता जमा थी और सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था कि मऊ कोपागंज सड़क जो ऊंची की जा रही है उसके कारण पानी बहने पर रोक लगेगी। इस लिये मऊ और भुजौदी के पुल को चौड़ा किया जाना चाहिये। लेकिन प्रस्ताव पास होने के १०/११ महीने बाद भी आपकी प्लानिंग कमेटी तथा सार्वजनिक कल्याण विभाग ने कोई खयाल नहीं किया। (लाल रोशनी को देख कर)

मुझे दो मिनट समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय खत्म हो गया है।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, कल राजस्व मंत्री जी ने पूर्वी जिलों के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के निमित्त विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत

[श्री शिवमंगल सिंह]

किया है वह निस्सन्देह सराहनीय है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जबकि हमारा वर्षों का अनुभव है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र प्रायः हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमें कोई ऐसी बड़ी योजना बनानी है, जिसका कि सदन में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि घाघरा, गंडक, गोमती वगैरह को कंट्रोल करने की योजना बनायी जाय। हमें प्रसन्नता है और हमारे मुख्य मंत्री जी ने आज भाषण दिया है उससे हमें आशा होती है कि हमारी यह योजना शीघ्र ही पूरी की जायगी।

मैं आज विशेष तौर से बलिया जिले के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बलिया जिला गंगा और घाघरा के बीच में स्थित है और प्रायः हर वर्ष यह जिला बाढ़ का शिकार बनता है, इस साल गंगा में तो नहीं लेकिन घाघरा ने इस वर्ष भी हमारे जिले को माफ नहीं किया है और घाघरा और टोंस नदी से जो बाढ़ आयी है उससे हमारे जिले को काफी क्षति पहुंची है। यह तो कहा जा सकता है कि बड़ी नदियों से काफी क्षति होती है लेकिन मैं मुख्यतः सिंचाई मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी बांसडीह तहसील में एक नाला बहेरा है और इसी प्रकार रसड़ा में एक नाला लकड़ा है और कुछ बड़े बड़े ऐसे नाले हैं जो बाढ़ के अवसर पर नदियों से मिल जाते हैं और वह वही दृश्य उपस्थित करते हैं, चाहे वह फसल का नुकसान हो या चाहे लोगों की जान की बरबादी हो, जो बड़ी नदियां कर सकती हैं। ऐसी सूरत में यह आवश्यक हो जाता है कि जहां हम और योजनाओं के बारे में सोचते हैं वहां जो छोटी छोटी योजनायें हैं इन पर भी सोचें क्योंकि यह काफी नुकशान पहुंचाती हैं। इस लिये इनका भी कोई न कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये और जहां तक मुझे आशा है और जो हमारा बांध तुर्नीपार, सुमेरनपुर में बंध रहा है उससे जो नालों से नुकसान होता है वह कम हो जायगा लेकिन फिर भी उनके पानी के निकलने का प्रबन्ध करना पड़ेगा और कहीं-कहीं पर यह भी समस्या है और जब मैंने दौरा किया था तो अपने साथ इंजीनियर को भी ले गया था और उनसे बातें कीं कि अपने यहां एक समस्या ऐसी है कि जहां यह नाले घाघरा में मिलते हैं वहां हमारा क्षेत्र नदी से बहुत नीचा पड़ता है। और हमारे लिये यह समस्या अवश्य है कि हम सोचें कि किस प्रकार से इस तमाम पानी को निकाला जाय क्योंकि घाघरा का लेविल उस क्षेत्र की सतह के बराबर होने के कारण पानी के निकालने की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वह क्षेत्र नीचा पड़ जाय तो हमारे लिये कठिनाई की बात होती है। फिर भी हमको इसके बारे में कुछ न कुछ सोचने की जरूरत है या दूसरे मार्ग से ताल में ले जाकर किसी तरह से इस पानी को मिलाया जाय, नहीं तो मेरा विचार है कि यह नदी सदा से कष्ट देती आयी है उसी प्रकार से उसका प्रभाव चलता रहेगा। जिन लोगों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है उन सबका यह विश्वास रहा है कि कछार का हिस्सा जो भी घाघरा का है उसमें पानी फैल जाता है और वह तब नाले से मिल जाता है और इन दोनों के बीच में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। तो मैं विशेष रूप से इस बारे में अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें कि बहेरा और लकड़ा जो नाले हैं इनके उस तमाम पानी को निकालने का कोई न कोई प्रबन्ध उचित रीति से किया जाय।

दूसरी चीज मैं अपने जिले की यह बतलाना चाहता हूं कि उस वर्ष घाघरा नदी ने कटाव का रूप धारण किया है। हमारे राजस्व मंत्री जी और सरकार को यह सूचना मिली होगी कि हेमन्तपुर गांव घाघरा नदी ने बिलकुल साफ कर दिया है। उसका कोई वहां पर पता नहीं है और जिस तेजी के साथ आज सुरेमनपुर के पास कटाव जारी है और जिसके पास ही थोड़ी दूर पर रेलवे स्टेशन स्थित है भगवान न करे कि ऐसा हो लेकिन अगर सुरेमनपुर में इसी प्रकार कटाव होता रहा तो वह स्टेशन को भी धक्का देगा तो शायद बलिया जिले का बहुत बड़ा भाग भी समूचा नष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त बलिया का पश्चिमी भाग इन्द्रपुर

ग्राम के पास इस साल गंगा की वजह से कट गया है। वही रोदन की स्थिति वहां पर भी है जो कि सुरेमनपुर के पास है। हमको संदेह है कि अगर इसी प्रकार से कटाव होता रहा तो इससे भयावह स्थिति उपस्थित हो सकती है। यदि इसका कोई फौरन उपाय नहीं सोचा गया तो जो नयी धारा बनाकर बलिया को बचाया गया है तो वही धारा फिर बलिया शहर के लिये खतरा पैदा कर सकती है। जो स्थिति हमारे जिले की पैदा हो रही है उसकी तरफ मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वे उस पर विचार करें और उसको रोकने के लिये कोई न कोई उचित प्रबन्ध करने की कृपा करें।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है जो कुछ भी सहायता सरकार की ओर से की जा रही है वह पर्याप्त है इसमें हमको जरा भी सन्देह नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो चीजों के बारे कहना चाहता हूं और यह तात्कालिक समस्या बाढ़ के वक्त में गांवों में आवागमन और फौडर के प्रश्न की है, क्योंकि हमने देखा है और हमारे जिले में अक्सर बाढ़ आया करती है। वहां के लिये गोरखपुर से घास मंगायी जाती है। मैं नहीं जानता हूं कि उस घास को जानवर खाते हैं। जो घास बलिया जिले में आती है वह बेकार ही पड़ी रहती है। उसको डिब्बों में भर कर स्टेशन पर रख दिया जाता है कि लोग वहां से ले लें लेकिन उसको कोई मवेशी नहीं खाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके बजाय उनके लिये भूसे का काफी मात्रा में प्रबन्ध किया जाय और वह भूसा कम दाम पर ही नहीं, बल्कि तकावी के रुप में दिया जायतो यह अधिक उचित होगा। क्योंकि उन लोगों में उसको खरीदने की शक्ति कम होती है और हर किसान उसको खरीद नहीं सकता है।

श्री वसी नक़वी (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको आज मौका दिया कि मैं भी अपने जिले की नुमाइन्दगी कर सकूं। श्रीमन्, यह बात अखबारों में आ चुकी है कि रायबरेली जिले के पांच परगने इस बाढ़ की वजह से पीड़ित हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का बयान जो उन्होंने कल इस सदन में दिया उसको बहुत गौर से सुना। मुझे यह जान कर दुख हुआ कि इस समय २२ हजार गांव, ८० लाख जनता और ६० लाख एकड़ जमीन इस बाढ़ के असर में आये हैं। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि हमारी सरकार ने इस बात का इरादा किया है कि कुछ भी हो इन पीड़ितों का दुख अवश्य दूर किया जाय और उसके लिये रुपये का कोई कंसीडरेशन नहीं है। यह तमाम दुख और दर्द दूर होने की जरुरत है। मुझे यह मालूम करके खुशी हुई कि तीन करोड़ रुपया गवर्नमेंट इस वक्त इसके लिये खर्च करने जा रही है। लेकिन श्रीमन्, मुझे यह जान कर दुख हुआ कि ५४ लाख रुपया इस वक्त तक खर्च हो चुका है, लेकिन हमारे जिले के हिस्से में सिर्फ एक लाख रुपया आया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रायबरेली के ५ परगनों की साढ़े तीन लाख जनता इस बाढ़ से पीड़ित है। जो यह एक लाख रुपये की तकावी दी गयी है वह वहां के लिये बहुत कम है। इस एक लाख रुपये में से बीस-बीस रुपया वहां लोगों को तकावी में दिया जा रहा है। इसके लिये वहां की जनता यह कह रही है कि वह बहुत कम है।

दूसरी बात इस तकावी में यह है कि यह जंजीर वाली तकावी है। १०–१०, १२–१२ आदमी मिल कर इस तकावी को लें और जब इसके वसूल करने का वक्त आयेगा तो एक ही आदमी से वसूल की जा सकती है। तो मेरा यह सुझाव है कि इस १०–१०, २०–२० रुपये की तकावी देने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अगर मदद उनको दी जाती है तो उसको बढ़ा कर दिया जाय। दूसरे यह जो जंजीर वाली तकावी है इससे लोगों को बड़ा संकोच महसूस होता है। यह ठीक नहीं है कि उनसे तकावी का ज्यादा रुपया वसूल किया जाय, मेरा सुझाव यह है कि तकावी इस तरीके से तकसीम की जाय जिसमें कुछ रद्दोबदल हो कर लोगों को आसानी हो। दूसरी बात जानकर मुझे खुशी हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस कदर सहायता दी जा सकती है उसका ऐलान हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है और मैं उस ऐलान का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले में सिवाय

[श्री वसी लखनवी]

१ लाख तकावी की रकम के और १० हजार की दूसरी रकम के किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची है। जो जायस का टाउन एरिया है उसकी आबादी १८ हजार है, जिसमें १२-१४ सौ मकान गिर गये हैं, वह एक मिट्टी का ढेर है। मुझे यह कहने में बहुत दुख मालूम होता है कि वहां पर अभी तक मलवा पड़ा हुआ है। मैं मंत्रीजी की इस बात से सहमत हूं कि मिलिटरी अथारिटी आदि बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरी तहसील में अभी कोई मदद नहीं पहुंची, है अभी तक मलवा पड़ा हुआ है। डर है कि कहीं ड्रेनेज सिस्टम के बिगड़ जाने से बीमारी न फैल जाय और उनमें और भी बहुत से लोगों की जान जाती नजर आये।

श्रीमन्, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस रूप से सरकार मदद कर रही है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस मर्तबा जिले की अथारिटीज ने बड़ी कोशिश के साथ पीड़ितों की मदद की। उनकी यह कोशिश बिला शुबहा सराहनीय है और इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उनकी जहनियत बदल गयी है, उनमें एक परिवर्तन और इन्कलाब हो गया है, उनके काम करने में। क्योंकि मैंने देखा कि जिलाधीश महोदय ४-४-, ६-६ मील पैदल गये हैं। मैंने यह भी देखा कि एस० डी० एम० महोदय ने कमर-कमर पानी में देहातियों की तरह जा कर २२-२२ गांव देखे हैं। मैं इस काम के लिये उनको (माननीय मंत्री जी को) बधाई देता हूं और माल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने रंग बदला है। उनमें जनता के दुख और दर्द को जानने की मति पैदा हुई है और वे हमारे साथ-साथ देश की रक्षा और भलाई करना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इस समय जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट फिर से अपनी पालिसी पर विचार करे और मकान बनाने के लिये कम से कम ५००-१,००० रु० कर्जा या तकावी दे बजाय इसके कि १०-१० रुपया तकावी दे। क्योंकि उससे जनता को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। जब कि लोगों की मदद के लिये करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है तो एक ऐसी स्कीम बनायी जाय जिससे लोग यह महसूस करें कि उनकी ठोस मदद गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे और इस तरह के जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने जिले की स्थिति पर प्रकाश डालने का अवसर दिया। यह बाढ़ जो कि पूर्वी जिलों में आयी, उसमें सुल्तानपुर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान चौरी है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गोमती में जितना पानी इस बार आया, १८७१ की बाढ़ में भी उतना पानी नहीं आया था इसके अलावा उन स्थानों में जहां नदी घूम कर बहती थी, उसका बहाव सीधा हो गया और उसके बीच का सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया और इस बीच में जो गांव आये वे सब अब दीख भी नहीं पड़ते और अब यह भी समझ में नहीं आता कि यहां पर गांव थे। इस प्रकार से सुल्तानपुर जिले में सिर्फ गोमती नदी में ही नहीं बाढ़ आयी, बल्कि छोटे-छोटे नाले जिनमें कांपू नाला, पीली नदी, मधुई नाला, इन सभी नालों ने भयंकर रूप धारण कर लिया और वे नाले जिनका कोई वास्ता नहीं था, जिनका कोई जिक्र कभी नहीं था वे भी गांव के गांव बहा ले गये और ऐसे-ऐसे घर जिनमें हजारों मन अन्न भरे हुए थे वे घर मचमचाकर बैठ गये। ऐसी न तो वहां कभी बाढ़ आयी थी और न वे इस बाढ़ का मुकाबला करने के लिये तैयार थे। इसके साथ सीगो, मसियावां ताल इस तरह के हैं जिनके अन्दर बाढ़ आयी, जिससे जामों का दक्षिणी भाग तथा अमेठी का पश्चिमी भाग बिल्कुल जलमग्न हो गया। जामों में अभी भी नदी की तरह से पानी लहरा रहा है और उस पानी की वजह से उन गांवों के आदमियों को बड़ा कष्ट है। खासकर वहां की जो स्त्रियां हैं, उनको बड़ा कष्ट है क्योंकि उनको अपनी जरूरियात से भी फारिग होने के लिये पानी में ही जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार की ओर से जो भी सहायता का कार्य

किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे जिले में खास कर मुसाफिरखाना, कादीपुर और चौरी-इसौली परगना में एक अच्छी बात यह थी कि वहां चकबन्दी का स्टाफ मौजूद था और उन सब लोगों से उस काम को लिया गया। लेकिन परगना जामों का जो हिस्सा बाकी रहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि १३ तारीख तक मैं दौरा करता रहा, लेकिन उस वक्त तक वहां कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा था। वहां न तो किसी को एक पैसा ग्रेच्यूटी रिलीफ भेजा गया और न किसी और प्रकार की सहायता दी जा सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कन्धे से कन्धा मिला कर दिल खोल कर काम किया। वहां बाढ़ का पानी इस तरह से भरा हुआ था, जिससे लोगों का वहां पहुंचना भी असम्भव था। जहां पर मैं न पहुंचने की बात कहता हूं वहां पर यह नहीं कि सरकारी अधिकारी की ही सिर्फ गलती थी बल्कि सब से बड़ा कारण यह है कि चारों तरफ से रास्ता कट गया है, जिससे वहां कोई मोटर भी नहीं जा सकती है। रायबरेली जाने वाली सड़क, लखनऊ जाने वाली सड़क, इसके अलावा जायस से जगदीशपुर आने वाली सड़क, ये तीनों सड़कें कई स्थानों पर कट गयीं हैं जिससे न तो वहां कोई मोटर जा सकती है, न जीप जा सकती है और न और कोई सवारी ही जा सकती है। सिवा पैदल जाने के वहां और कोई मार्ग नहीं है। मैं समझता हूं कि पैदल चलकर भी ऐसे स्थान पर पहुंचना बहुत असम्भव था। पानी भरा हुआ था, घर गिर रहे थे। वहां हमने एक घर के अन्दर एक औरत को देखा जो आग जला कर अपने तीन बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उसके मकान के ऊपर एक दूसरा मकान गिरा और उसकी वजह से नीचे आग, उसके ऊपर औरत और उसके तीन बच्चे थे और उसकी दीवार उस औरत के ऊपर गिरी। उसमें से निकाला गया तो औरत तो मर गयी थी लेकिन बच्चे भी मरणासन्न थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास जो खाने को था सब बह गया है, बहुत से जानवर भी बह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकारी सहायता मिलती है उसके लिये मैं सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और जिस प्रकार से लोगों ने साहस के साथ काम किया है उसके लिये मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ वहां कुछ ऐसी बातें भी हमें देखने को मिली हैं, जिनका जिक्र कर देना चाहता हूं। मुसाफिरखाना के पश्चिमी हिस्से में २० हजार मकान गिरे हैं और इसके अलावा सदर, कादीपुर में २५ हजार मकान गिरे हैं और उसके आस-पास के और भी बहुत से मकान नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। कुछ इलाका ऐसा है कि जिसमें पानी के भर जाने के कारण जो खरीफ की फसल बोई गई थी वह सब नष्ट हो गई और लेट पेडी या जड़हन जिसको कहते हैं वह नहीं बोया जा सका। वहां पर जहां जड़हन धान बोया जा सकता था वहां सिर और छाती के बराबर पानी भरा है और उसका नतीजा यह है कि यह फसल खरीफ की तो गई ही वहां चैती फसल भी नहीं हो सकती। वह बेचारे दोनों रबी और खरीफ की फसलों से गये। वैसे तो नदी की बाढ़ के इलाके में मिट्टी ऐसी हो जाती है कि जिसमें रबी अच्छी होती है, लेकिन इस इलाके में वह भी सुविधा नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में जहां दोनों फसलें नहीं हो सकतीं, उस इलाके के स्कूलों में जून तक की फीस माफ करने की कृपा करें, क्योंकि वहां चैती में भी कुछ पैदा हो सकने की आशा नहीं है। इसके अलावा ऐसे काम जिनसे लोगों को रोजी मिल सके फौरन वहां शुरू करने चाहिए। सौभाग्य से आम घाट का पुल जिसका एस्टीमेट ७ लाख रुपए का है, उस पर अगर जल्द काम शुरू कर दिया जाय तो उससे ऐसे समय में लोगों को रोजी मिल सकती है।

इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी बातें भी सुनी हैं कि छूट के सिलसिले में कुछ ऐसी बात हो रही है कि जहां पर लेट पेडी या जड़हन नहीं बोया गया था, वहां वह फसल नुकसान में नहीं दिखलाई जा रही है। कुछ कानूनी पेचीदगी हैं और अड़चनें हैं कि जिस तरह खातेवार नुकसान दिखाया जाता है कि ८ आने का नुकसान है तब तो छूट

[श्री गुरुप्रसाद सिंह]

मिलती है और अगर उससे कम नुकसान होता है तो वह छूट नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि यह तरीका छूट देने का बहुत पुराना हो गया है, हमें इन रूढ़ियों को बदलने की जरूरत है और हमें उन पुराने नियमों को संशोधन करके दुरुस्त करना चाहिए ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। इसमें शक नहीं कि हमारे यहां जो गल्ला बांटा गया है उसकी बहुत जरूरत थी लेकिन अब धीरे-धीरे जहां जहां पानी घट रहा है और जैसे जैसे लोगों के पास जो संचित गल्ला था वह खत्म हो रहा है उनकी विपत्ति और बढ़ रही है और मेरे खयाल से आगे वह धीरे धीरे और बढ़ेगी। इसलिए ऐसा गल्ला जो सड़ गया है, या जो सस्ते दामों पर मिल सकता है या किसी और कारण से खरीद लिया गया है उसको देने के बजाय अगर आगे उनको नकद रुपया और वस्त्र दिए जायं तो ज्यादा सहायता का लाभ उनको मिलेगा। अन्त में सरकार ने जो सहायता की है और आगे करने जा रही है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुविधायें बाढ़ग्रस्त किसानों के लिए आवश्यकीय होंगी वे सब सरकार की ओर से उनको अवश्य दी जायंगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की दुखद कहानी केवल इसी वर्ष में इस सदन को नहीं सुना रहा हूं। सन् ३७ से लगातार जो कम व बेश विपत्ति और संकट पूर्वी जिलों में बाढ़ के कारण आता रहा है उसको मैं समय समय पर विस्तारपूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों को सुनाता रहा हूं। सौभाग्य से हमारे माननीय माल मंत्री जी जो आज मंत्री पद पर हैं और इसके पहले वह इसी विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे। बाढ़ के कारण जो क्लेश और विपत्ति पूर्वी जिलों के लोगों पर आती रही है उससे वह पहले से ही भली भांति परिचित हैं। इस वर्ष जो असाधारण ढंग से बाढ़ आई, उससे लोगों के कष्ट को देखते हुए हमें देखना है कि जो कदम सहायता के लिये सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने उठाये हैं उससे लोगों को फायदा हुआ है या नहीं। मैंने सारे व्याख्यानों को जो माननीय सदस्यों ने यहां दिये हैं बड़े गौर से सुना और साथ ही साथ माननीय माल मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य विस्तारपूर्वक दिया है उसको भी सुना है।

श्री मान्यवर! माल मंत्री जी से बराबर हम लोगों की याचना रही और उनसे विनम्रतापूर्वक हम यह प्रार्थना करते रहे हैं कि केवल मुट्ठी भर चने से बाढ़ पीड़ितों का कल्याण होने वाला नहीं है और न एक मिट्टी के तेल की बोतल से ही विपत्ति दूर होने वाली है। उन बाढ़ पीड़ितों के बीच में जब बाढ़ नहीं आई होती है हम प्रतिनिधि उनके घरों पर आते जाते हैं तो वे हमारा नाना प्रकार से सम्मान और आदर करते हैं। आज यदि हम उनके बीच में साधारण समय में नहीं विपत्ति काल में केवल मुट्ठीभर चना लेकर पहुंचते हैं तो यह हमारे लिये और उनके लिये बड़ी ही विडम्बना है। यों तो कहने के लिये बड़ा धैर्य होता है, साहस मिलता है लेकिन हम केवल धैर्य के सहारे ही उनके क्लेश को दूर नहीं कर सकते। वास्तव में मुट्ठी पर चने से कुछ सहारा अवश्य मिल सकता है उनको जिनके पास खाने को कतई नहीं है लेकिन उससे उनके अस्थिपंजर को बचाने के लिये भी सोचा विचारा और उपाय ढूंढ़ा जा सकता है। लाखों रुपया खर्च करके जो हमने बाढ़ के समय तजुर्बा हासिल किया है उससे क्या फायदा उठा सकते हैं। हमने माल मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये और उनके मवेशियों की बचत के वास्ते कोई प्रबन्ध होना चाहिये। हमने उनसे याचना की थी अधिक नावों के लिये। मंत्री जी फरमाते हैं कि केवल ८८ नावें सारे प्रान्त में इस वर्ष बनाई गईं और यह भी बतलाया है कि मई मास में ही आदेश सारे सूबे के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को भेजे गये थे कि वे सतर्क हो जायं बहुत

सम्भव है कि बाढ़ आ जाय। तो इतनी तैयारी के बाद केवल ८८ नावें बनीं यह सिवाय उदासीनता के और क्या कहा जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां दस नदियां बहती हैं। डुमरियागंज, उसका नौगढ़ और बांसी को पार करती हुयी गोरखपुर में पहुंचते पहुंचते नदियां समुन्दर का रूप धारण कर लेती हैं। ट्रांस राप्ती एरिया में होकर बाढ़ के कारण जीविका निर्वाह के लिये बाढ़पीड़ित भाग-भाग कर नैपाल की तराई तक जाते हैं। बाढ़ क्षेत्र के मजदूर ट्रांस प्लांटेशन के लिये जड़हन की बैठौनी अपनी जीविका निर्वाह करने के लिये नैपाल तराई में गये। मजदूरी कमा कर बाढ़ पीड़ित आने भी लगे हैं। अब बाढ़ घट रही है। महोदय ! बांसी के पास जहां राप्ती नदी बहती है आज कल भयावह शक्ल उसकी हो गई है। बाढ़ के कारण उसको देख कर जो साधारण आदमी होगा वह घबड़ा जायगा। दुर्भाग्यवश ककरही घाट पर सिर्फ एक नाव है और दिन दिन भर ठहरे रहने पर वहां के मवेशी और राही को उतार रहे हैं। वह राही नहीं जो एक जिले से दूसरे जिले को जा रहे हैं बल्कि जो एक टैरीटरी से दूसरी टैरीटरी यानी नैपाल को भागना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिनके सुपुर्द यह काम था कि वहां के बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये उनको सतर्क हो जाना। है वे खामोश थे। उनमें से कोई नैनीताल में हवा खाने के लिये चले गये होंगे तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि आपकी गश्ती चिट्ठी के बावजूद भी उन्होंने कोई माकूल तैयारी नहीं की है। मैं तो खुद १० तारीख को नौगढ़ से ककरही घाट के पार तहसील नवगढ़ के नायब तहसीलदार के साथ ट्रक को लेकर पहुंचा और सारी रात मूसलाधार पानी में घूमता फिरता रहा। माल पहुंचाने के लिये मेरे साथ में १०, १५ कांग्रेस के साथी भी थे, कुर्कअमीन चपरासी वग़ैरह भी थे हमें सारी रात चट्टान पर बितानी पड़ी और उस मूसलाधार पानी में ठिटुर ठिटुर कर वक्त काटा गया। मैं कह सकता हूं कि ककरही घाट पर कम से कम ४ पांच नावें वहां होनी चाहिये थीं वहां एक नाव थी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नाव की संख्या फौरन बढ़ाई जावे जिससे रक्षा का कार्य सुगम हो सके।

अध्यक्ष महोदय ! मैंने २३-७-५५ को माननीय माल मंत्री की खिदमत में एक पत्र लिखा था और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि चाहे कुछ खाने पीने को कम मिले या ज्यादा लेकिन नाव की व्यवस्था तो अधिक होनी चाहिये कि जान बचा सकें। जान बचने पर चाहे मेहनत मजदूरी करें या इधर उधर जाकर भिक्षावृत्ति करें दिन कट सकता है। एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री की भी सेवा में ४ अगस्त, १९५५ को विस्तारपूर्वक लिख कर भेजा था। अब तीन नावें बस्ती जिले में जा रही हैं। स्टीम बोट है या मोटर बोट। संयोग से मिलीटरी से उधार लेकर और वह भी उस वक्त जब कि दरियाओं में कम पानी है। उस समय उनको नहीं पहुंचाया गया जब कि दरिया बाढ़ से मौज में थी, एक दूसरे की खैरियत का समाचार किसी को नहीं मिल पा रहा था, कौन मर रहा है और कौन जिन्दा है। खैरियत का समाचार प्राप्त करना कठिन हो रहा था। इतनी सतर्कता का यह परिणाम होता है। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि आपका (मंत्री जी का) अभिप्राय, और नियत दुरुस्त है, क्योंकि आप भी दिलचस्पी लेते हैं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये और आप चाहते हैं कि जो भी बाढ़ पीड़ित हों उनका कल्याण हो लेकिन आपके कर्मचारी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस ओर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिये। बाढ़ का रिएक्शन (प्रतिक्रिया) तो अब होगा। बीमारियां बढ़ेंगी, खाना, पीना, तकावी इत्यादि-इत्यादि जितनी चीजें हैं उन सब को आपको देना और प्रबन्ध करके देखना होगा। समय से चीजें पहुंचे लेकिन अगर कुसमय पहुंचा तो क्या लाभ। लाखों रुपया हमने दिलवाया लेकिन जब सिफारिश करते हैं तो ५ रुपये भी साधारण मजदूर को या बाढ़ पीड़ित को अपने जिले में नहीं दिला पाते। वहां जो नौकरशाही का ढंग है वह ठीक नहीं है। मैं सराहना करता हूं कि

[श्री रामकुमार शास्त्री]

आप तो सतर्क हैं, तत्पर हैं और आप वहां हर भांति से कल्याण करना चाहते हैं लेकिन आपके अफसर किस ढंग से काम करते हैं इस ओर भी आपका ध्यान शीघ्र जाना चाहिये। मुझे अपवाद के रूप में मालूम हुआ है कि कहीं फैजाबाद में बड़ा सहयोग हुआ है या कहीं और हुआ है? लेकिन मेरे यहां यह दिक्कत जरूर रही कि ५०० रुपये का सामान मैं लेकर गया जहां ढाई लाख की आबादी थी पीड़ितों की। जिस अनुपात से रुपया आप दे रहे हैं उससे कोई बहुत कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि आपके अधिकारी जो सतर्क नहीं हैं उन्हें खूब सतर्क करने की जरूरत है। सूबे भर में आपके अधिकारी वर्ग का बाढ़ सम्बन्धी काम अब शुरू होगा। अब रिएक्शन होगा बाढ़ का। एक तरफ आपने यह ऐलान कर रखा है कि पंचायतों का अक्टूबर में चुनाव होगा। अक्टूबर तक सिलसिला बाढ़ का कायम रहेगा बल्कि जनवरी तक यह सिलसिला रहेगा। बाढ़ पीड़ितों का जिनका अरबों रुपया नुकसान हुआ है, जिनका हम कल्याण करना चाहते हैं, पुनरुद्धार करना चाहते हैं चुनाव में पड़ जाने से भाव बदल जायगा। अफसरान चुनाव में कैसे काम करेंगे जब बाढ़ कार्य में फुरसत न होगी। मैं चाहता हूं कि हमें ऐलान करके आगे आने वाले पंचायतों के चुनाव को स्थगित कर देना चाहिये और ठीक तरह से व्यवस्था बाढ़ पीड़ितों की मदद के सिलसिले में करनी चाहिये।

*श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता की और उसके लिये कोशिश की यह मुझे स्वीकार है मगर यह कि वह सहायता पर्याप्त मात्रा में थी और लोगों की तकलीफें दूर हुईं या नहीं हुईं यह दूसरी बात है। वर्षा असाधारण थी, जैसा कि पानी इस साल बरसा वैसा शायद पचासियों वर्ष से नहीं बरसा। तो यह जरूर है कि सरकार की ऐसी सहायता होनी चाहिये जिससे लोगों की तकलीफें दूर होतीं। मुझे शिकायत इस बात की है कि जो सहायता दी भी गई वह जहां जानी चाहिये थी वहां नहीं पहुंची और जहां नहीं जरूरत थी वहां पहुंच गई। हमारी बलरामपुर तहसील में चना दियासलाई बांटी गयी। लेकिन जहां जरूरत नहीं थी, खास बलरामपुर टाउन में और बरलरामपुर के पास तो चने और दियासलाइयां बांटी गयीं। लेकिन राप्ती के उस पार १५ मील तक जहां पानी भरा हुआ था वहां कोई साहब नहीं पहुंचे। मैं शिकायत नहीं करता। हमारे यहां जिलाधीश बहुत ही काबिल आदमी हैं। एस० डी० ओ० की भी शिकायत नहीं करता। मगर यह जरूर कहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह दरियाफ्त कर लें कि राप्ती के उस पार पन्द्रह सोलह मील तक पिपरा तक जहां पानी था और बिल्कुल जलमग्न था वहां कोई सहायता क्यों नहीं अफसरों के द्वारा पहुंचायी गयी। हम लोग पहुंच गये नावों के जरिये से, लेकिन जिनके पास सरकारी सुविधाएं थीं, उनके द्वारा सहायता क्यों नहीं पहुंचायी गयी? आमतौर पर बलरामपुर तक अधिकारीगण रेलवे या जीप से गये, और इधर करनैलगंज की तरफ, मनकापुर साइड में रेलवेलाइन है वहां गये। लेकिन हमें शिकायत है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखने के लिये कि वहां क्या परिस्थिति है नहीं गये। दूसरे जिलों से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बातें भेजी हैं, उनको कहने की भी मैं अनुमति चाहता हूं। राजननारायण जी ने चावल का नमूना पेश किया। हमारे पास भी हमारे एक कार्यकर्ता माननीय नाना देशमुख जी ने आटा भेजा है। अगर इजाजत हो तो भेज दूं।

एक शिकायत और है। जो आबादी ऊंची की जा रही है उसका एक नमूना अगर माननीय मंत्री महोदय खुद देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। रिपोर्ट यह है कि जहां आबादी ऊंची की गयी है वहां गांव तो नीचा है उसके ऊपर मिट्टी उठा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गयी है। दस बारह फीट पानी गांव के अन्दर भरा हुआ है। बाहर अगर निकलें तो पानी ही पानी है और पानी बढ़ जाने की वजह से मकानात गिर रहे हैं। अगर इस तरह से आबादी ऊंची की जायगी तो हमारी समझ में भगवान ही रक्षा करें आबादी कैसे ऊंची की जा सकती है उसके लिये भी हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है और वह यहां तक तैयार हैं कि अगर उनको मौका दिया जाय तो अपने श्रम से जिलाधीश के निरीक्षण में वह नमूना दिखा देंगे कि आबादी किस तरह से ऊंची की जा सकती है। देवरिया जिले में जो भी आबादी ऊंची की गयी है उससे उनकी मुसीबतें और बढ़ गयी हैं। आबादी ऊंची करने का सुझाव परमानेंट है। इसलिये मैंने माननीय मंत्री महोदय से अर्ज किया। वह इस पर गौर फरमा लें। और देख लें कि किस तरह से आबादी ऊंची करने में फायदा है। और नुकसान है मगर इस परिस्थिति में इस समय जो बाढ़ आयी, इस वक्त जो काम किया गया उससे बजाय फायदे के नुकसान ही रहा।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं अपने माल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में जबकि सारी जनता बाढ़ की वजह से त्राहि त्राहि कर रही थी बहुत बड़ी सहायता दी। उस सहायता में उन्होंने रुपये की कोई परवाह नहीं की। दिल खोल कर सहायता दी जहां तक सरकारी अधिकारियों का प्रश्न रहा मैं अपने गोरखपुर जिले की ओर से कह सकता हूं कि उन्होंने भी उसमें दिल खोल कर के मदद की। सार्वजनिक कार्यकर्ता एक तरफ रहे। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जो तत्परता दिखायी, हमने इसके पहले कभी नहीं देखी थी।

महोदय, यों तो बाढ़ गोरखपुर की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन पिछले दो सालों से से जिस रूप में यह बाढ़ आ रही है उसको देखते हुये यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इसका अन्त कैसे होगा। नारायणी जो कि कभी इतना प्रकोप हमारे जिले में नहीं दिखलाती रही, वह आज गोरखपुर के उत्तरी हिस्से को जहां महाराजगंज की तहसील है मटियामेट करती चली जा रही है। उस तहसील का सारा हिस्सा उसने बालू से पाट दिया है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सब में वह अपना पानी फेंकती चली जा रही हैं जिससे कि वह सारी जगह तबाही करती चली जा रही है। गोरखपुर जिला ८ नदियों से घिरा हुआ है और यह नदियां बरसात के दिनों में भयंकर रूप धारण कर लेती हैं जिससे कि वहां की सारी फसल ही नहीं बरबाद होती बल्कि वहां के रहने वालों के सारे मकान भी गिर जाते हैं। यह एक प्रमुख समस्या है। हालांकि नारायणी के किनारे पर सरकार ने बांध बंधवाना शुरू किया था लेकिन थोड़ा सा बांध बाकी रह जाने के कारण जो उससे पानी निकल आया है उससे हमारी तहसील को काफी क्षति पहुंची है।

महोदय, जिले के मलौनी बांध की चर्चा भी यहां हुई। उसके बारे में बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जिले के अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से और गैर जिम्मेदारी की वजह से यह बांध टूटा है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है जिले के अधिकारियों ने कोई त्रुटि नहीं की। जहां तक पानी की सतह पहुंची थी उसके नीचे से बांध कटता जा रहा था और जहां से कि किसी को अंदेशा भी नहीं हो सकता था। नतीजा यह हुआ कि वह एक दम बरबाद हो गया और उसके कटने से रामगढ़ ताल के आस पास सब पानी फैल गया और वहां की सारी आबादी पानी में डूब गई। नतीजा यह हुआ कि गोरखपुर शहर में घरों घरों में पानी घुस गया और शहर के बहुत से पूर्वी भाग में भी पानी पहुंचा। महोदय, इसी प्रकार मवेशियों की भी काफी क्षति हुई है और कुछ आदमी बह कर भी मर गये हैं। आप यह देखेंगे कि हमारे यहां जो नारायणी नहर निकाली गई है उसमें पुलों का प्रबन्ध न होने के कारण या रास्तों का प्रबन्ध न होने के कारण कई जगह पर रास्ते दो दो, तीन तीन, मील तक बन्द हो गये और कई जगह पर तो ऐसा हुआ कि कितने ही मवेशी बह गये और एक स्थान पर ऐसा सुना गया कि दो आदमी बह कर मर गये। तो ऐसी

[श्री शुकदेव प्रसाद]

सूरत में यह रास्ता बन जाना बहुत आवश्यक है और मेरा ख्याल है कि उस के लिये सरकार को जल्द कोई कदम उठाना चाहिये।

महोदय, लगान की छूट तो हर साल उस बाढ़ के एरिया में मिलती ही है लेकिन मैं इस महराजगंज तहसील की बात बतलाता हूं कि उसका बहुत सा हिस्सा ऐसा है कि जहां गांव में लगान की छूट तो मिली लेकिन अमीन जा कर उस छूट को भी वसूल कर लाये। नतीजा यह है कि उसका फल जो गांव वालों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया और वह उससे महरूम रहे। इसके अलावा उन एरियाज में जहां बाढ़ आई है और जहां की फसल बरबाद हो गई है वहां पर लोगों को एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स की छूट भी मिलनी चाहिये और इस तरह की लगान की जो छूट होती है उसकी मुनादी तहसीलदार के जरिये या और किसी के जरिये से करा देनी चाहिये गांव में और लोगों को बतलाना चाहिये कि इतनी इतनी छूट हुई है ताकि लोग पहले से ही सतर्क रहें और जो अमीन जाये वह उन से ज्यादा वसूली न कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, नाव की समस्या जहां तक है हमारी तहसील में काफी बाढ़ आई और बड़ी गंडक के किनारे भी काफी बाढ़ आई लेकिन जब नाव का प्रबन्ध किया जाता है तो उनके वहां तक पहुंचने की भी कोई आशा नहीं रहती। शहर गोरखपुर दक्खिन तरफ बसा हुआ है जिससे उत्तर तक नाव जाना बहुत कठिन हो जाता है। मेरा सुझाव यह है कि नाव का प्रबन्ध जहां तक हो सके पहले से ही होना चाहिये क्योंकि वह बाढ़ग्रस्त एरिया तो है ही, उसमें नाव का प्रबन्ध पहले से ही रहे तो अच्छा है ताकि मौके पर जिस समय भी बाढ़ आये वह उनसे सहायता ले सकें।

गांव वाले बिल्कुल दो-दो, तीन-२ रोज तक घिरे रहे। ऐसी कठिनाई में बड़ी कठिनाई से नाव पहुंचती है। इसी संबंध में मुझे यह कहना है कि नावें जो हैं कहीं-कहीं पर वह ४ सौ रुपया लेकर के दी गई हैं। मेरा ख्याल यह है कि बाढ़ के गांवों में सरकार को अपनी ओर से नावों का प्रबन्ध करना चाहिये उनसे रुपया ले करके या थोड़ी अपनी मदद दे करके। नावों का प्रबन्ध होना मुश्किल हो गया। जो गांव रुपया इकट्ठा कर पा रहे हैं वह तो नावों का फायदा उठा रहे हैं लेकिन जहां से रुपया नहीं दिया जा रहा है वहां नावों का फायदा नहीं पहुंच रहा है।

इसके अलावा चारे की समस्या है। जो जिला बाढ़ ग्रस्त है उस जिले के लिये मई, जून में प्रबन्ध कर लेना चाहिये और सेंटर बना लेने चाहिये। वहां चारा इकट्ठा कर लिया जाय। तीन तीन चार चार रोज तक मवेशी मरते रहे हैं, वहां चारे का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। जब सेंटर रहेंगे तो नावों के जरिये से वह चारा बाढ़ ग्रस्त गांवों में पहुंचाया जा सकता है और मवेशियों की रक्षा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार खाद्यान्न की भी व्यवस्था है और खाद्यान्न की जो वस्तुयें उनको दी जाती हैं। हमारे यहां अक्सर ऐसा भी हुआ कि वह बड़ी खराब किस्म की रही हैं। हालांकि जिलाधिकारियों ने जिसको जिम्मेदार पाया है उसके खिलाफ कार्यवाही भी की है। लेकिन इस तरह की चीज अच्छी नहीं होती। इसके अलावा बहुत से मवेशी बाढ़ एरिया में ऐसे होते हैं जो चारे के बिना छूटे रहते हैं, बूढ़े बैल छोड़ देते हैं, भैंसें छोड़ देते हैं वह जा करके सब के खेतों को चरते हैं। ऐसी सूरत में उनसे भी बचाने की व्यवस्था करनी चाहिये और जगह जगह गोशाला वगैरा खोल देनी चाहिये ताकि ऐसे मवेशी बाढ़ग्रस्त जगहों में ऐसी जगह पहुंचा दिये जायं और उनकी रक्षा हो सके।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने जो बाढ़क्षेत्र के लिये विवाद चल रहा है उसमें मैं भी थोड़ा सा जौनपुर का जिक्र आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सरकार को तो मैं इसलिये धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितनी जल्दी हमारे जिले में उसने सहायता पहुंचायी और की उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं और जौनपुर जिले की पांचों तहसीलों में चाहे कोई गांव रहा हो, इस तरह से बाढ़ ने परेशान किया है कि शायद अगर मैं सही बतलाऊं तो सूबे का कोई क्षेत्र इतना डूबा नहीं होगा जितना जौनपुर। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी एक मढ़ियाहूं तहसील में बरना, बसुई, सई, अर्सीघुड़सार, गड़ई नम्बर १ और गड़ई नम्बर २ उनमें ४ जुलाई से बाढ़ शुरू हुई। ११ जुलाई के अन्दर जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली रोड पर यातायात १२ जुलाई तक बन्द रहा और १३, १४, १५ के बाद १६, १७ की रात २२ घंटे के अन्दर १५ इंच पानी बरसा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सई नदी में बाढ़ आ जाने से १७, १८ तारीख तक मढ़ियाहूं तहसील का सारा क्षेत्र, चाहे कोई गांव हो, चाहे ताल के किनारे रहा हो, या नदी के किनारे या नाले के किनारे नदियों की धारा ने मिलकर ५ दिन तक तहसील को नुक्सान पहुंचाया कोई यातायात नहीं रह गया। इलाहाबाद से एक लाइन जौनपुर जाती है सात दिन तक लगातार पांच सौ आदमी अपने बच्चों को लेकर, पशुओं को लेकर रेल के किनारे रहे, न उनके यहां बैठने का कोई स्थान था, उनकी दुर्दशा देखकर जो यात्री रेल से आते थे वे सरकारी कर्मचारियों के बीच या जहां कहीं पहुंचते थे, उनसे कहते थे कि मढ़ियाहूं तहसील की हालत और जौनपुर जिले की जो हालत है, जो दुर्दशा है उसको देखकर सब को तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ अगस्त, १९५५।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
APPOINTMENT (B) DEPARTMENT

No. 304/II-B—118-1954

Dated January 31, 1955

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 oi the Constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendment in the Government Servants' Conduct Rules applicable to members of the services under his rule-Making control :

AMENDMENT

After rule 26, *add* the following as a new rule 27 :

"*Bigamous marriages*—No government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him."

By order,

A. N. JHA,
Chief Secretary.

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२–३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

नक्शा "अ" (फर्नीचर जो कि सन् १९४९ और १९५२ के दर्मियान में खरीदा गया)

१—अग्रवाल टिम्बर स्टोर्स, बरेली

१—चारपाइयां	२०० दर ४९ रु० की प्रत्येक	९,८०० रु०
२—बिना हत्थे की कुर्सियां	२०० दर ८ रु० १४ आ० की प्रत्येक	१,७७५ रु०
३—श्रृंगार मेज की कुर्सियां	२०० दर ८ रु० १४ आ० की प्रत्येक	१,७७५ रु०
४—बेड साइड लौकर्स	२०० दर १९ रु० की प्रत्येक	३,८०० रु०

२—वजीर अली एन्ड सन्स, बरेली

१—आराम कुर्सियां	२०० दर १६ रु० ७ आ० की प्रत्येक	३,२८७ रु० ८ आ०
२—पेग रेल्स	४०० दर ३ रु० ६ आ० की प्रत्येक	१,३५० रु०

३—रुहेलखंड वुड वर्क्स, बरेली

१—लिखने की मेजें	९६ दर ३५ रु० की प्रत्येक	३,२६४ रु०
२—श्रृंगार मेजें	६० दर ४४ रु० की प्रत्येक	२,६४० रु०
३—आलमारी	१०३ दर ४५ रु० की प्रत्येक	४,६३५ रु०

४—गोयल एन्ड को०, लखनऊ

१—औकेजनल मेजे	४९ दर ९ रु० की प्रत्येक	४४१ रु०
२—बाथ ग्रिड्स	७ दर ७ रु० की प्रत्येक	४९ रु०

५—मौडेल जेल्स, लखनऊ

१—दरियां	२०० दर ७ रु० २ आ० प्रति वर्ग गज	२२,२१५ रु० ६ आ०
		५५,०३१ रु० १४ आ०

फर्नीचर जो कि सन् १९५२ से ५४ के दर्मियान में खरीदा गया

१—इंडियन बौबिन कं०, बरेली

१—चारपाइयां	३०० दर २६ रु० की प्रत्येक	७,८०० रु०
२—टी टेबिल्स	४०० दर १२ रु० की प्रत्येक	४,८०० रु०
३—बाथ ग्रिड्स	२५० दर ८ रु० की प्रत्येक	२,००० रु०
४—बिना हत्थे की कुर्सियां	५०० दर १३ रु० १२ आ० की प्रत्येक	६,८७५ रु०

५—लिखने की मेज	३५० दर	५३ रु० ८ आ० की प्रत्येक	१,८७२५ रु०
६—शृंगार मेजें	१७५ दर	७२ रु० १२ आ० की प्रत्येक	१,२७३१ रु० ४ आ०
७—आराम कुर्सियां	२५० दर	२९ रु० ८ आ० की प्रत्येक	७,३७५ रु०
८—आलमारियां	१६२ दर	१६२ रु० की प्रत्येक	२८,३५० रु०
९—विज़िटिंग कार्ड बोर्ड	१ दर	५५ रु० का प्रत्येक	५५, रु०
१०—नोटिस बोर्ड	१ दर	३० रु० का प्रत्येक	३०, रु०
११—की बोर्ड	१ दर	३५ रु० का प्रत्येक	३५, रु०
१२—नेम बोर्ड	१ दर	८ रु० का प्रत्येक	८, रु०
१३—सड़क बताने वाला बोर्ड	१ दर	६ रु० का प्रत्येक	६, रु०
१४—पेंगरेल्स	५०० दर	५ रु० १० आ० की प्रत्येक	२,८१२ रु० ८ आ०
२—सेंट्रल जेल, नैनी			
१—निवाड़	३५ मन १ सेर दर ४ रु० १३ आ० प्रति सेर		६,७४२ रु० ५ आ०
३—मौडेल जेल, लखनऊ			
१—बरियां	१४० दर ७ रु० ४ आ० ३ पा० प्रति वर्ग गज		२१,४५५ रु० १० आ०
			१,१९८०० रु० ११ आ०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३ पर)

थाना मालपुरा जिला आगरा में सन् १९५४ में हुई चोरी, डकैती और फौजदारी की घटनाओं की सूची।

संख्या	घटना	दर्ज की गई	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	छूट गये	अदालत में चल रहे हैं	जांच जारी है	पता नहीं लगा और उनमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।
१	चोरी	४४	४४	१४	८	६	..	..	३०
२	डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..
३	फौजदारी	८	८	४	२	..	२	३	१

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—५३ एल० ए०—१९५५—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा